कार्यसूची

दिनांक - 25 अगस्त 2025

षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का

तृतीय (मानसून) पूरक सत्र 2025

सत्यमेव जयते

षष्टम्
झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय (मानसून) पूरक सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग--2

सोमवार, दिनांक 03 भाद्र, 1947 (श०) / 25 अगस्त, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-25 (पच्चीस)

(1)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	...	...	03
(2)	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	...	...	10
(3)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	...	...	06
(4)	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	...	...	03
(5)	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	...	...	01
(6)	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	...	...	02
			कुल योग-	25

समायोजित करना ।

35. श्री राज सिन्हा--क्या मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जैप (झारखण्ड एजेन्सी फॉर प्रोमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी) के डाटा सेंटर का उपयोग राज्य में वर्ष-2005-2006 से किया जा रहा है तथा स्टेट डाटा सेंटर को समुचित आधारभूत सुविधाओं-उपकरणों के साथ वर्ष-2014-2019 की अवधि में समुन्नत किया जा चुका है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जैप डाटा सेंटर को स्टेट डाटा सेंटर के साथ समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रिक्त पदों पर नियुक्ति ।

36. श्री जयराम कुमार महतो--क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चिकित्सकों के कुल 3,634 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 2,210 पद खाली है, जो कुल स्वीकृत पदों का 61 प्रतिशत है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्टाफ नर्सो के स्वीकृत 5,872 पदों की तुलना में 52 प्रतिशत यानी 3,033 पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 24 जिलों में पैरामेडिक्स के स्वीकृत 1,080 पदों का 80 प्रतिशत रिक्त है तथा केवल 216 पैरामेडिक्स ही अस्पतालों में कार्यरत हैं;

(4) क्या यह बात सही है कि भारत में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 37 चिकित्सक है, लेकिन झारखण्ड में इसी आबादी पर चिकित्सकों की संख्या घट कर केवल 4 है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में इन रिक्तियों पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सातवाँ वेतनमान का लाभ ।

37. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद की नियमावली हु-बहु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद नियमावली से अधिगृहित कर लागू की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना ने अपने ज्ञापांक-3243, दिनांक 25 जुलाई 2025 द्वारा अपने सभी कर्मियों को सातवाँ वेतनमान का लाभ दे रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में बिहार राज्य के तर्ज पर झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मियों को भी सातवाँ वेतनमान अविलंब देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई ।

38. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक-08/फार्मेसी-02-04-2024-स्वा०-170 (8) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अयोग्य पाये जाने के कारण श्री राहुल कुमार, फार्मासिस्ट के निबंधन संख्या-JH/01702 तथा ट्रिब्यूनल निबंधन संख्या- 2219-JH-171 का निबंधन झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने रद्द कर दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि संचिका के पृष्ठ-141/टि० पर योग्य सरकारी फार्मेस्टिों की सूची अंकित रहने के बावजूद तत्कालीन विभागीय मंत्री ने जानबुझकर गैर सरकारी व्यक्ति, श्री राहुल कुमार को झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रभारी निबंधक सह-सचिव नियुक्त करने का आदेश दे दिया है;

(3) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन विभागीय मंत्री के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने श्री राहुल कुमार को योग्य ठहराने का षडयंत्र किया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक गैर सरकारी अयोग्य फार्मासिस्ट को झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का निबंधक सह-सचिव नियुक्त करने का षडयंत्र रचनेवाले दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मानदेय वृद्धि ।

39. श्रीमती श्वेता सिंह--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 14 फरवरी, 2022 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या-1189, दिनांक 24 सितम्बर, 2024 के अंतर्गत, सेवा संपुष्टि उपरांत सहायक अध्यापकों को 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार समिति का गठन नहीं होने के कारण कार्यरत सहायक अध्यापकों को वार्षिक मानदेय वृद्धि नहीं मिल पा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राधिकार समिति का गठन कर सहायक अध्यापकों को भी अन्य क्षेत्रों की भांति 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियमानुसार कार्रवाई ।

40. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में आरटीई के अनुसार छात्रों और शिक्षकों का अनुपात कक्षाओं में नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रारंभ की तारीख से छह माह के अंदर छात्र-शिक्षक अनुपात को नियमानुसार सुनिश्चित करने का नियम था;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र-शिक्षक अनुपात को नियमानुसार सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सा पर्षद की बैठक ।

41. श्री उमाकान्त रजक--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के माननीय सदस्य/पूर्व माननीय सदस्य एवं उनके आश्रितों को राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद रिम्स राँची में प्रत्येक माह के कार्य दिवस के 10 तारीख को सशरीर उपस्थित होना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (एक) के आलोक में वर्णित बैठक पूर्व में झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय में हुआ करता था;

(3) क्या यह बात सही है कि माननीय सदस्यों की कार्य अधिकता एवं जनसमयस्याओं के कारण समयावधि कम होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भाँति पुनः राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद की बैठक विधान-सभा सचिवालय में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना ।

42. श्री संजीव सरदार--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में मरीजों हेतु मात्र 100 बेड की सुविधा है एवं Central Sterile Supply Deparment (CSSD) और Mechanisad Laundry की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में CT Scan, MRI, की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा Component Separation हेतु भवन बन कर तैयार है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के सदर अस्पताल में अतिरिक्त बेड CT Scan, और MRI, की सुविधा उपलब्ध कराने तथा Component Separation भवन का संचालन करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

व्यवस्था सुदृढ़ कराना ।

43. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला वर्तमान में डिजिटल इंडिया में संसीमित नहीं हो पायी है जहाँ Internet & Mobile Network की सुविधा बेहद नगण्य है;

(2) क्या यह बात सही है कि Internet & Mobile Network लचर रहने से छात्रों को Online पढ़ाई तथा Net Banking में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमडेगा जिला में डिजिटल इंडिया की सफलता सुनिश्चित करने हेतु Internet & Mobile Network व्यवस्था सुदृढ़ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियुक्ति करना ।

44. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीज हेतु बेड के अनुपात में मरीज की संख्या अधिक है, जिसके कारण दूर-दराज से आने वाले मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल, अनुमण्डल स्तरीय अस्पताल में ए०एन०एम० और जी०एन०एम० का युनिट के आधार पर नियुक्ति नहीं होने के कारण महिला मरीजों को कठिनाईयाँ होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स में मरीज हेतु बेड की पूर्ण व्यवस्था के साथ-साथ राज्यान्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० का यूनिट के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

महाविद्यालय का निर्माण ।

45. श्री रोशन लाल चौधरी--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागाँव में डिग्री महाविद्यालय निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड, चतरा जिला टंडवा प्रखण्ड और हजारीबाग जिला का केरेडारी प्रखण्ड में खनन के रूप में विकसित हो गया है जिसके कारण इस क्षेत्र की जनसंख्या दिनों दिन वृद्धि हो रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कोई डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागाँव में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने एवं खलारी, टंडवा और केरेडारी के बीचबचरा में एक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आँकड़ा उपलब्ध कराना ।

46. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और आदर्श विद्यालयों (मोर्डन स्कूलों) में अंग्रेजी शिक्षकों की कमी के कारण राज्य में 12.27 लाख स्कूली बच्चे पिछले साल की तुलना में कम नामांकित हुए हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रयोजन हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को ऐसे बच्चों को पता लगाने का निर्देश दिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में विशेष कर आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने, अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति और कम नामांकित होने वाले बच्चों का जिला-वार आँकड़ा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

उच्च स्तरीय जाँच ।

47. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष-2024-2025 में अनगड़ा से नामकुम तक फोरलेन पर 13 हजार पौधे लगाये जाने के लिए पाँच करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित आवंटित राशि कागज पर खर्च तो हो गये परन्तु एक भी पौधा नहीं लगाया गया इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, दूसरी ओर पथ निर्माण के क्रम में 3192 पेड़ काटे गये जो बेहद गंभीर मामला है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विशेष जाँच दल का गठन ।

*48. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०-1278/वि०, राँची, दिनांक 3 जून, 2025 के तहत मानव बल प्रदेता एजेंसीयों पर नियंत्रण एवं कार्यरत कर्मियों को शोषण से बचाने हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि यह संकल्प एजेंसीयों द्वारा मानव बल चयन में मनचाहा अतिरिक्त उगाही को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि हाल के दिनों में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत सिक्योरिटी एजेंसी "समांता" ने अधिक मानव बल दिखाकर अतिरिक्त भुगतान लेने का प्रयास किया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संकल्प में सुधार एवं भिन्न-भिन्न विभागों में मानवबल देने वाली एजेंसी का "विशेष जाँच दल" का गठन कर उससे जाँच कराना चाहती है ताकि कार्यरत नौजवानों को भी न्याय मिल सके एवं इन एजेंसीयों पर लगाम लग सके, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियमों में संसोधन ।

49. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा धिनियम 2009 के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के द्वारा इसे झारखण्ड में 2011 से लागू किया गया है;

---

* नोट- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक-1449, दिनांक 28 जुलाई, 2025 के द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग में स्थानांतरित ।

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (यथा संशोधित) 2019 में कई कठिन नियम यथा जमीन लीज आदि की समय अवधि जो दी गई है इसके कारण मान्यता लेने में कई तरह की कठिनाईयां आ रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि कठिन नियमों के कारण कम भूमि क्षेत्र रखने वाले निजी मध्य विद्यालयों को स्थापना अनुमति नहीं प्राप्त हो रही है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संशोधित अधिनियम 2019 में जोड़े गए कठिन नियमों में संशोधन कर जमीन की बाध्यता को समाप्त करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

ए०सी०बी० से जाँच ।

50. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिला के अनगड़ा से नामकुम तक फोरलेन सड़क बनाने में 3120 काटे गये पेड़ के बदले पौधारोपन हेतु वन विभाग को 6.25 करोड़ रु० दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि वन विभाग में बिना पेड़ लगाये ही सारे पैसों को चपत लगाया है;

(3) क्या यह बात सही है कि वन विभाग ने अन्य सड़कों के निर्माण एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्व में भी काटे गये पेड़ के बदले नए पेड़ ना लगाकर मोटी रकम की हेराफेरी किया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ACB से जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्राकृतिक चिकित्सालय केन्द्र की स्थापना ।

51. श्रीमती श्वेता सिंह-क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान-सभा क्षेत्र में अब तक कोई आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो विधान-सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सालय केन्द्र की स्थापना करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

इंजेक्शन की उपलब्धता ।

52. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रत्येक साल मॉनसून के दौरान सर्पदंश की सैकड़ों घटनाएं होती है और त्वरित इलाज के अभाव में कई लोगों की मौत भी हो जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्र में एंटी स्नेक वाइल उपलब्ध नहीं है और सभी जिलों में सदर अस्पताल के गाँवों से अधिक दूरी होने पर मरीज समय पर नहीं पहुँच पाते है और अंततः इलाज के अभाव में मौत हो जाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अधिसूचित करना ।

53. श्री निरल पुरती--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन स्थलों को अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव की माँग की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों के साथ पश्चिमी सिंहभूम के मंझगाँव विधान-सभा के तांतनगर, मंझारी एवं मंझगाँव के पर्यटक स्थलों को प्रखण्ड से प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेज दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभिन्न प्रखण्डों से प्राप्त प्रस्ताव को विचार करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव, मंझारी एवं तांतनगर के विभिन्न पर्यटन स्थल को अधिसूचित करने की कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

ग्रेड पे को यथावत रखना ।

54. श्री राज सिन्हा--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का नामकरण "आचार्य" कर दिया गया है और पुराने ग्रेड पे०-रु० 4,200/- रु० 4,600/- और रु० 4,800/- को विलोपित कर नया ग्रेड पे रु० 2,400/- रु० 2,800/- और रु० 4,200/- किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 एवं 2016 के सर्टिफिकेट पर पूर्व में सिर्फ काउंसिलिंग कराकर नौकरी पाए शिक्षक खण्ड (01) में वर्णित पुराने ग्रेड पे प्राप्त करेंगे, परन्तु उसी शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वारा प्राप्त प्रमाण-पत्र से एक से अधिक परीक्षा देकर नौकरी पाने वाले नाम परिवर्तित "आचार्य" (शिक्षक) नये ग्रेड पे प्राप्त करेंगे जो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लंघन है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षक को सिर्फ नामकरण परिवर्तित कर "आचार्य" करने के आधार पर न करके पुराने ग्रेड पे को यथावत रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

संचालकों पर कार्रवाई ।

55. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी में कई नर्सिंग होम का संचालन बिना पंजीकरण एवं आवश्यक निर्देशों की अवहेलना करके अवैध रूप से किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नर्सिंग होमों में अप्रशिक्षित एवं गैर मान्याता प्राप्त लोगों द्वारा चिकित्सा एवं सर्जरी करने के कारण आजतक कई मरीज एवं जच्चा-बच्चा की जान जा चुकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मरीजों की जान से खेलने वाले अवैध नर्सिंग होमों को बंद करने एवं इनके संचालकों पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करना ।

56. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मई 2025 में सरकार के द्वारा केन्द्र से विशेष स्वास्थ्य पैकेज की माँग की गई है, जिस पर केन्द्र द्वारा माँग की अनुरूप विस्तृत रिर्पोट समर्पित करने को कहा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के देख-रेख का अभाव, चिकित्सकों की कमी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और सरकार ने ऐसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी अस्पतालों में 10 रु० में 10 जाँच की व्यवस्था की है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार को झारखण्ड की आवश्यकताओं पर आवश्यक रिपोर्ट समर्पित करने और खण्ड 2 के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति ।

57. श्री निरल पुरती--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अधिकतर एवं पश्चिमी सिंहभूम के डिग्री महाविद्यालय मंझगाँव में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के डिग्री महाविद्यालय मंझगाँव में शिक्षकों के 18 स्वीकृत पद के विरूद्ध मात्र 03 शिक्षक कार्यरत है जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्रीय भाषा के सम्बर्धन के लिए राज्य के विभिन्न महाविद्यालय के साथ-साथ पश्चिमी सिंहभूम के डिग्री महाविद्याल मंझगाँव में क्षेत्रीय भाषा ''हो'' की पढ़ाई एवं शिक्षकों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई ।

58. श्री निर्मल महतो--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय में झारखण्ड के सभी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की बी०एड एवं स्नातकोत्तर पढ़ाई प्रारंभ नहीं होने के कारण मूलवासी/ आदिवासी छात्र/ छात्रएं बी०एड एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तरीय की पढ़ाई से वंचित रह जाते है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई बी०एड एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तर की सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में शुरू कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समस्या का समाधान ।

59. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अन्तर्गत सभी CHC/PHC/PHSC में चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी ICU की अनुपलब्धता एवं आधुनिक मशीनों की कोई व्यवस्था नहीं होने से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि संसाधनों की कमी/ अनुपलब्धता के कारण गर्भवती महिलाएं/ बच्चे/ गंभीर मरीज भारी परेशानी में रहते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विषय गंभीर पहल कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँची:
दिनांक:- 25 अगस्त, 2025 (ई०)

माणिक लाल हेम्ब्रम,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 10--250--18-08-2025

सत्यमेव जयते

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय (मानसून) पूरक सत्र

ताराँकित प्रश्न

वर्ग--2

सोमवार, दिनांक 03 भाद्र, 1947' (श०) / 25 अगस्त, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-52 (बावन)

(1)	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	...	...	17
(2)	खान एवं भूतत्व विभाग	...	...	03
(3)	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	...	...	12
(4)	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	...	...	04
(5)	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	...	...	02
(6)	उद्योग विभाग	...	...	01
(7)	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	...	...	13
			कुल योग-	52

वाणिज्य संकाय की पढ़ाई ।

*22. श्री समीर कुमार मोहन्ती--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा कई उच्च विद्यालयों को 10+2 में उत्क्रमित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित कुछ विद्यालयों में विज्ञान एवं कला संकाय तथा लगभग सभी विद्यालयों में कला संकाय में पठन-पाठन की क्रियाएँ चल रही है, परन्तु किसी भी उत्क्रमित विद्यालयों में वाणिज्य (Commerce) संकाय में पठन-पाठन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उत्क्रमित विद्यालयों में वाणिज्य (Commerce) संकाय में पठन-पाठन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दोषी कंपनी पर कार्रवाई ।

*23. श्री रोशन लाल चौधरी--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ और हजारीबाग जिला में 25 से अधिक खनन परियोजनाएं एवं 40 से अधिक छोटे-बड़े उद्योग संचालित है, लेकिन किसी कंपनी या एजेन्सी के द्वारा विगत 10 वर्षों से सीएसआर फंड की राशि का खर्च कम्पनी अधिनियम 2013 धारा 135 के Schedule VII निर्धारित क्षेत्र में नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जिला में सीएसआर फंड की राशि का जिला स्थापना से संबंधित सामग्रियों को खरीदने एवं सम्बन्धित क्षेत्र से बाहर राशि खर्च की गई है जो नियम के विपरीत है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ और हजारीबाग में विगत 10 वर्षों का सीएसआर मद का अंकेक्षण कराकर दोषी कंपनियों एवं पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्टेडियम के रूप में परिवर्तन ।

*24. श्रीमती ममता देवी--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत गोला प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय डिमरा में बच्चों के लिए खेल मैदान स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि बारिश हो जाने पर उक्त मैदान बच्चों के खेलने लायक नही रह जाता है, जिसके कारण बच्चों को खेलने एवं वृद्धों को टहलने में काफी परेशानी होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि गोला प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय डिमरा के मैदान को खेल स्टेडियम बनाने से प्रखण्डवासियों एवं अध्ययनरत छात्रों को लाभ मिलेगा;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नीति निर्धारण ।

*25. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित विभिन्न उद्योगों यथा-हिण्डालको BSL, TATA आदि कंपनियों द्वारा CSR Fund के उपयोग हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नीति नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कंपनियों द्वारा की जा रही CSR Fund राशि के उपयोग की जाँच एवं जानकारी सरकार द्वारा प्राप्त करने हेतु स्पष्ट नीति नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नीति निर्धारित करने हेतु पहल करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पठन-पाठन प्रारंभ कराना ।

*26. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय हेतु पूर्ववर्त्ती सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान किया गया था, तथा जिला प्रशांसन लातेहार द्वारा उक्त महाविद्यालय हेतु भूमि का चयन कर लिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होने के कारण इसे अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है;.

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त डिग्री महाविद्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए भवन निर्माण एवं शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए पठन-पाठन का कार्य शुरू कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कर्मचारियों का समायोजन ।

*27. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने के पश्चात् झारखण्ड के डिग्री अंगीभुत कॉलेजों में इंटरमिडिएट की पढ़ाई बन्द हो गई है और 10+2 स्कूलों की कमी के कारण मैट्रिक पास विद्यार्थियों के 10+2 में नामांकन में कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि डिग्री अंगीभूत महाविद्यालयों से इंटरमिडिएट की पढ़ाई अलग हो जाने के कारण वहाँ पर कार्यरत इंटरमिडिएट शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के समक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में पर्याप्त 10+2 विद्यालय खोलने, विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित करने तथा बेरोजगार शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राज्य के 10+2 विद्यालय में समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

एक समान वेतनमान लागू करना ।

*28. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सहायक अध्यापकों को वर्त्तमान महंगाई दर के अनुपात में अत्यंत ही कम वेतन का भुगतान हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कुछ विभागों के संविदा कर्मियों को समान काम समान वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है, परंतु सहायक अध्यापकों को यह सुविधा नहीं मिल रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सहायक अध्यापकों को भी अन्य संविदा कर्मियों की तरह समान काम के बदले समान वेतनमान लागू करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रशिक्षक की नियुक्ति ।

*29. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने अपने ज्ञापांक-384, दिनांक 3 मार्च, 2025 के द्वारा राँची जिला के सिल्ली प्रखण्ड स्थित फुटबॉल स्टेडियम में शीघ्र फुटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति करने की घोषणा किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम में आवासीय फुटबॉल शिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु जिला संचालन समिति से अनुशंसा प्राप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला संचालन समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण ।

*30. श्री धनंजय सोरेन--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का बोरियो विधान-सभा क्षेत्र जन जातीय बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर फुटबॉल से यहाँ के लोगों को फुटबॉल से अत्यधिक लगाव है;

(2) क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान-सभा के मडरो प्रखण्ड में एक भी फुटबॉल स्टेडियम नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मडरो प्रखण्ड में एक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पढ़ाई प्रारंभ कराना ।

*31. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर विधान-सभा में एक एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा;

(2) क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत कोलेबिरा प्रखण्ड में भवन निर्माण विभाग द्वारा डिग्री कॉलेज बना कर तैयार कर दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसी चालू वित्तीय वर्ष में कोलेबिरा प्रखण्ड में बनकर पूर्ण हुए कॉलेज भवन में डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विशेषज्ञ चिकित्सों का पदस्थापन ।

*32. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के तंड़वा प्रखण्ड में चिकित्सकों की कमी के कारण इलाज नहीं किया जा रहा है, साथ ही यहां पर अस्पतालों में मैन पावर की कमी है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तंडवा के सरकारी अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ समेत सभी चिकित्सकों तथा कर्मियों की पदस्थापना करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना ।

*33. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के छात्र-छात्राओं को 12वीं के उपरांत उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु डिग्री महाविद्यालय मेदनीनगर 30 कि०मी०, मनिका 60 कि०मी० एवं लातेहार 75 कि०मी० की दूरी तय करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि बरवाडीह प्रखण्ड घनी आबादी वाला भौगालिक दृष्टिकोण से अत्यंत घना वन क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित है साथ ही यह क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के कारण यहाँ के छात्र-छात्राएँ जो अधिकांशत: अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग बहुल है को उच्च शिक्षा हेतु आवागमन में काफी कठिनाई होती है, साथ ही कई एक को अत्याधिक दूरी तय करने एवं आर्थिक तंगी के कारण 12वीं के बाद ड्राप आउट करना पड़ता है;

(4) क्या यह बात सही है कि बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय का अधिष्ठापन हेतु उपायुक्त, लातेहार द्वारा प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय का अधिष्ठापन अतिशीघ्र करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सकों का पदस्थापन ।

*34. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के भण्डरिया प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की 10 पद सृजित है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रखण्ड की परिधि में लगभग 76 गाँव आते हैं जिसकी आबादी लगभग एक लाख के करीब है तथा एक मात्र चिकित्सकों के सहारे उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखण्ड मुख्यालय के आबादी के हिसाब से जनहित में पर्याप्त चिकित्सकों का पदस्थापन, दवा एवं मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षा परियोजना से जोड़ना ।

*35. मो० ताजुद्दीन--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों को सांतवा वेतनमान वर्ष-2016 से मिल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 186 अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठा वेतनमान मिल रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि मदरसों को झारखण्ड शिक्षा परियोजना से जोड़ने से मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी सरकारी स्कूल के भाँति पोषाक, भवन, डेस्क-बेंच व अन्य सुविधा मिल सकेगी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मदरसों के कर्मियों को सांतवा वेतनमान उपलब्ध कराते हुए झारखण्ड के मदरसों की भी झारखण्ड शिक्षा परियोजना से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की स्थापना ।

*36. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भण्डरीया प्रखण्ड अंतर्गत कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय नहीं होने के चलते यहाँ के छात्राओं को पढ़ाई के लिए अन्य जगह जाना पड़ता है जिससे काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड भण्डरीया में कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समान कार्य के बदले समान वेतन ।

*37. श्री देवेन्द्र कुँवर--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में विगत 25 वर्षों से सहायक अध्यापक अपनी सेवा दे रहे हैं;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समान कार्य का समान वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारीयों पर कार्रवाई ।

*38. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत धनबाद जिले में सर्वाइकल कैंसर के जाँच हेतु बीस (20) लाख रुपये की VIA Kit का क्रय जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) धनबाद के द्वारा एन०सी०डी० सेल, धनबाद से बिना मंतव्य लिए ही कर लिया गया और तो और इसमें आवश्यक जाँच सामग्री के जगह अनावश्यक सामग्रियों का क्रय कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा जिलास्तर पर जाँच करने हेतु आदेशित किये जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डी०पी०एम० धनबाद द्वारा नियम विरूद्ध रूप अनावश्यक सामग्रियों के क्रय जैसी गंभीर विषय पर अबतक हुई विभागीय जाँच का प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए इसमें दोषी पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पढ़ाई आरंभ कराना ।

*39. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिले के सतगावां, डोमचांच और मरकच्चो प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज तथा बेकोबार में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का भवन बन कर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि विशेष सुविधा युक्त डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण सुदूरवर्ती सतगावां, डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड के छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में सतगावां, डोमचांच और मरकच्चो के डिग्री कॉलेज को इसी वित्तीय वर्ष-2025-2026 में अथवा शीघ्र चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पार्क का निर्माण ।

*40. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत महुआडांड़ प्रखण्ड मुख्यालय जो पर्यटकीय क्षेत्र महुआडांड़, लोधफोल, सुरकईफॉल (ओरसा) सुग्गा बांध, मिरचईयाफोल, बेतला नेशनल पार्क के मध्यवर्ती घनी आबादी वाला क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रखण्ड मुख्यालय में पर्यटकों के आवागमन के दृष्टिकोण से जमशेदपुर अवस्थित जुबली पार्क के तर्ज पर पार्क निर्माण एवं महुआडाड़ में ही अवस्थित कुटुदिरी डैम (साले डैम) का विकास कार्य एवं सुन्दरीकरण कार्य से इस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महुआडांड़ प्रखण्ड मुख्यालय में पार्क निर्माण कार्य एवं कुटुदिरी डैम (साले डैम) का विकास कार्य एवं सुन्दरीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रोजगार देना ।

*41. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गणित प्रतिष्ठा की पढ़ाई झारखण्ड के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं कला दोनों संकाय में समान पाठ्यक्रम एवं समान विभाग द्वारा कराया जाता है तथा विश्वविद्यालय में गणित विभाग द्वारा गणित की उपाधि दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रतिष्ठित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (विज्ञापन संख्या-13/2023) में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक (विज्ञान)/विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा) की अनुपलब्धता बताकर कला संकाय से गणित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने वाले झारखंडी आदिवासी/मूलवासी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि विनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के परीक्षा नियंत्रक ने अपने Ref N0. VBU/Ex1462/2025, दिनांक 14 जून, 2025 में स्पष्ट किया है कि त्रिवर्षीय स्नातक विज्ञान संकाय एवं स्नातक कला संकाय में गणित प्रतिष्ठा का पाठ्यक्रम दोनों एक समान है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्नातक कला संकाय से गणित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो विज्ञापन संख्या-13/2023 में उत्तीर्ण है, को रोजगार देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ।

*42. श्री अनंत प्रताप देव--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भवनाथपुर अन्तर्गत निवास कर रहे लगभग साढ़े चार लाख की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 100 (एक सौ) बेड का "मॉडल अत्याधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र" का निर्माण अतिआवश्यक है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भवनाथपुर में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के उद्देश्य से 100 (एक सौ) बेड का मॉडल अत्याधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र (आवासीय भवन सहित) का निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण ।

*43. श्री सुरेश कुमार बैठा--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि काँके विधानसभा अंतर्गत बुढ़मू प्रखंड के विभिन्न गाँवों की दूरी जिला से 50-60 किलोमिटर तक है;

(2) क्या यह बात सही है कि बुढ़मू प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बुढ़मू में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समायोजन करना ।

*44. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष-2009 से वर्ष-2025 तक राज्य के 55 अंगीभूत महाविद्यालयों में +2 के विद्यार्थियों के पठन-पाठन की जिम्मेवारी करीब 540 शिक्षकों और लगभग 300 नन टीचिंग स्टाफ के कंधों पर थी, जिन्हें अचानक हटा देने से उन सभी टीचिंग और न टीचिंग स्टाफों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की अवधि 2026 थी;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की उच्चस्तरीय कमेटी (RUSA), नई शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के लिए बनी थी, जिसके निर्णय का भी अनुपालन नहीं हो पाया, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व की भांति +2 के विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य जिन 540 शिक्षकों और लगभग 300 नन टीचिंग स्टाफ के सहारे चल रहा था, उन छात्रों के पठन-पाठन के मद्देनजर समायोजन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण ।

*45. डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के खेल प्रतिभा को निखारने एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम एवं डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करती है;

(2) क्या यह बात सही है कि पाँकी विधान-सभा क्षेत्र में सम्मिलित कुल 05 प्रखण्डों में से एक भी प्रखण्ड में उपयोगी प्रखण्ड स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि पाँकी प्रखंड के ग्राम+पंचायत-सगालिम में स्टेडियम निर्माण में संवेदक एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा घोर अनियमितता की गई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाँकी विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित कुल 05 प्रखण्डों में प्रखण्डस्तरीय स्टेडियम एवं डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दवा एवं उपकरण उपलब्ध कराना ।

*46. श्री आलोक कुमार सोरेन--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा विधान-सभा के तीनों प्रखण्ड-रानेश्वर, काठीकुण्ड, एवं शिकारीपाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी है, तथा दवा का घोर अभाव है;

(2) क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों के नहीं रहने के तथा दवा की कमी के कारण गरीब मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रखण्डों के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों में चिकित्सक, चिकित्साकर्मियों की स्वीकृत पद के अनुरूप नियुक्त करने तथा दवा एवं उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ।

*47. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत बिरनी प्रखंड के ग्राम पंचायत पड़रमनियां के अगल-बगल कोई स्वास्थ्य उप केन्द्र नहीं रहने के कारण उक्त पंचायत एवं बगल के पंचायतों के लोगों को इलाज हेतु काफी दूर जाना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में गर्भवती महिलाओं एवं बंजुर्ग लोगों को इलाज सुविधा उपलब्ध कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; कभी-कभी तो इलाज के लिए ले जाने के क्रम में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम पड़रमनियां में स्वास्थ्य केंद्र बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियुक्ति करना ।

*48. श्री सुरेश कुमार बैठा--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में स्नातक प्रतिष्ठा विषय को अनिवार्य किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2024 में संशोधित कर स्नातक प्रतिष्ठा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सभी विषयों को सम्मिलित किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2024 की नियमावली के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना ।

*49. श्री नरेश प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के कांडी एवं मझिआंव प्रखण्ड में एवं पलामू जिला के पाण्डु एवं विश्रामपुर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से वहाँ के छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रह रहे हैं;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बालिका उच्चविद्यालय स्थापित करना ।

*50. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर अंतर्गत (1) रमना (2) सगमा (3) धुरकी (4) केतार (5) डंडई (6) खरौंधी तथा (7) विशुनपुरा में बालिका उच्च विद्यालय स्थापित नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित प्रखण्डों के अंतर्गत ग्रामों में निवास करने वाली छात्राओं को प्रतिदिन सुदूरवर्ती इलाकों से गुजर कर पठन-पाठन हेतु उच्च विद्यालय, भवनाथपुर जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-(1) में वर्णित प्रखण्डों में एक-एक बालिका उच्च विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कराना ।

*51. श्रीमती निसात आलम--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बरहरवा प्रखण्ड में छः मध्य विद्यालय यथा (i) GOVT. MS AGLOI (ii) UPG GOVT. MS PURULIA DANGA (iii) GOVT. MS KANKJOLE (iv) GOVT. MS BELDANGA (v) GOVT. MS GOALKHOR (vi) UPG GOVT. MS URDU DILALPUR को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव विभाग को जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा वर्ष-2023 में भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अबतक लंबित है;

(2) क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखण्ड में दो मध्य विद्यालय यथा मध्य वि० सीतापहाड़ी एवं मध्य वि० झिकरहाटी को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव विभाग को जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा वर्ष-2023 में भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अबतक लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित सभी मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अस्पताल भवन चालू करना ।

*52. श्री नरेश प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखण्ड में (PHC) अस्पताल भवन एवं पलामू जिला के उंटारी प्रखंड में (PHC) अस्पताल बनाकर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि माझिंआव, बरडीहा एवं कांडी एवं नावा प्रखण्ड में एम्बुलेंश एवं चिकित्सकों के नहीं रहने से वहाँ के घायल मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी कठिनाई होती है, तथा यहाँ के आम नागरिकों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों पर अस्पताल भवन को चालू करने, डाक्टरों का पदस्थापन करने एवं एम्बुलेंश उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण ।

*53. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार को तोरपा विधान-सभा क्षेत्र के अनेक सरकारी विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति एवं कई विद्यालयों में भवनों की अनुपस्थिति की जानकारी है;

(2) क्या यह बात सही है कि कई विद्यालय मरम्मत होने के बावजूद पठन-पाठन के योग्य नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों की मरम्मत अथवा नए भवन निर्माण हेतु एवं आगामी बजट में शिक्षा मद में प्राथमिकता देते हुए नए विद्यालय भवनों के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पढ़ाई आरंभ कराना ।

*54. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कम्प्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टफिशल इन्टेलिजेन्स, जैसे विषयों में बी०एड० कोर्स की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है जबकि +2 शिक्षकों की बहाली हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों की शैक्षणिक अनिवार्यता के रूप में एंमसीए या एमटेक के साथ-साथ बी०एड० डिग्री अनिवार्य रखा गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बी०एड० कोर्स के अंतर्गत उक्त विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सक का पदस्थापन ।

*55. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में चिकित्सक का कुल स्वीकृत पद 122 है, जिसके विरूद्ध मात्र 48 चिकित्सक ही पदस्थापित है, इनमें से (02) दो चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति अन्य जिला में कर दी गई है, जिससे आम नागरिकों को समुचित इलाज में असुविधा होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के किसी भी सरकारी अस्पताल में सी०टी० स्कैन/अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध नहीं है तथा जिला के मात्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही डिजीटल एक्सरे मशीन उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चतरा जिला में सभी स्वीकृत पद पर चिकित्सकों का पदस्थापन एवं सी०टी० स्कैन/अल्ट्रासाउण्ड मशीन (टेकनीशियन के साथ) एवं डिजीटल एक्सरे मशीन सभी प्रमुख अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अविलंब उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मानव बल देना ।

*56. श्रीमती ममता देवी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ के सदर अस्पताल सहित झारखण्ड के सभी सरकारी अस्पतालों में मानव शक्ति (Man Power) की कमी होने के कारण सरकारी अस्पताल में जाकर आम जनमानस को इलाज कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि मानव शक्ति (Man Power) की कमी होने के कारण सरकारी अस्पतालों में लगी अत्याधुनिक मशीनों का भी सुचारू रूप से इस्तेमान नहीं हो पा रहा है और साथ ही आम जनमानस को बाहर से जाँच कराने को विवश होना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानव शक्ति (Man Power) की कमी को व्यापक जनहित में दूर करने का विचार अतिशीघ्र रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सकों की नियुक्ति ।

*57. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र दो चिकित्सक पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड अंतर्गत 16 पंचायतों के एक लाख आबादी में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता दो चिकित्सक से संभव नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि तोरपा प्रखण्ड, बानो प्रखण्ड एवं रनिया प्रखण्ड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सकों का पदस्थापन अब तक नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रिक्त पद पर नियुक्ति ।

*58. श्री नवीन जयसवाल--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सभी अंगीभूत महाविद्यालय में लगभग 10 वर्षों से लगभग 550 शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण न्यूनतम मानदेय के आधार इण्टरमिडियट के साथ-साथ यू०जी०/पी०जी० पर अपनी पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपनी सेवा देते आ रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में कई शिक्षा नीति के तहत उक्त सभी कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण को उनकी सेवा से हटा दिया गया है, जिस कारण ये सभी पूर्ण रूप से बेराजगार हो गये है, जबकि ये सभी शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण काफी अनुभव प्राप्त कर्मचारी हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राँची विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण के लगभग 500 पद रिक्त है इसके बावजूद इन अनुभव प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण को रिक्त पद पर नियुक्त करने के बजाय उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है साथ ही साथ कुछ माह पूर्व राँची विश्वविद्यालय के तरफ से बिना किसी विज्ञापन के अवैध तरीके से राम लखन सिंह यादव कॉलेज एवं आर्यभट में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व से कार्यरत अनुभव प्राप्त शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण को उनके रिक्त पद पर नियुक्त करने या किसी अन्य महाविद्यालयों/+2 स्कूलों में समायोजन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बालू घाटों की निलामी ।

*59. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 544 बालू घाटों में से कुछ एक को छोड़ कर वर्ष 2015 से अब तक टेंडर/आक्शन की जिम्मेदारी JSMDC के जिम्मे थी, लेकिन एक साजिश के तहत JSMDC ने अभी तक बालू घाटों का टेंडर/आक्शन नहीं किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 10 जून के बाद नदी-नालों से बालू नहीं निकालने हेतु NGT का सख्त निर्देश है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टेंडर नहीं करने वाले JSMDC के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए राज्य के सभी 544 बालू घाटों का टेंडर/आक्शन कराकर आमजनों के लिए पूर्व की भाँति बालू सुलभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियुक्ति करना ।

*60. श्री मथुरा प्रसाद महतो--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वनपाल, वन रक्षक की नियुक्ति पिछले कई वर्षो से नहीं हुई है फलस्वरूप नियुक्ति नहीं होने से वन क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वनपाल वनरक्षक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पढ़ाई प्रारम्भ कराना ।

*61. श्री जयराम कुमार महतो--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 09 नवनिर्मित पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें 01-खूँटी, 02-हजारीबाग, 03-जामताड़ा, 04-गोड्डा, 05-पलामू, 06-चतरा, 07-बगोदर, 08-लोहरदगा, 09-बसिया शामिल है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन भवनों में पठन-पाठन कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन भवनों में पॉलीटेक्निक की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

वेतन भुगतान ।

*62. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रेणुका श्याम महिधर एवं अन्य छः सहायक शिक्षक की नियुक्ति दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मध्य विद्यालय कदमा, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) में हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि रेणुका श्याम महिधर एवं अन्य शिक्षिका का वेतन दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक लंबित है, जबकि अन्य पाँच शिक्षकों को वेतन भुगतान हो चुका है;

(3) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा ब्रिज कोर्स करने के उपरांत ही लंबित वेतन का भुगतान की बात कही गई है जबकि विभाग द्वारा अबतक ब्रिज कोर्स नही कराया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रेणुका श्याम महिधर सहायक शिक्षिका का लंबित वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

हाथियों के आंतक से निजात ।

*63. श्रीमती सबिता महतो--क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्ड जंगली हाथियों के आतंक से पीड़ित है और यहाँ आये दिन जंगली हाथियों द्वारा घर, मकान, खेती एवं फसलों के साथ-साथ जान-माल की भी क्षति हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि चाण्डिल डैम निर्माण से विस्थापित हुए डूब क्षेत्र में जंगली हाथियों द्वारा नुकसान की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्णित सभी डूब क्षेत्रों में हाथियों से हुई फसल नुकसान एवं मकान क्षति पर किसी भी प्रकार का मुआवजा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र में जंगली हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के साथ-साथ पूर्व में हुए नुकसान के मुआवजा में वृद्धि करते हुए पीड़ितों को भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बालू घाटों की निलामी ।

*64. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में बालू घाटों का लीज अभी तक नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में बालू घाटों का लीज नहीं होने के कारण आम लोगों का निजी कार्यों के लिए अबुआ आवास योजनाओं का निर्माण समेत अन्य सरकारी योजनाओं के समस्त कार्यों के लिए लीज का बालू उपलब्ध नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा में कोई भी बालू घाटों का लीज नहीं होने के बावजूद भी निजी कार्यों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी योजनाओं का निर्माण कार्य सामान्य रूप से चल रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आम नागरिकों के निजी कार्यों एवं सरकारी योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए बालू घाटों का लीज करा कर पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रक्रिया का सरलीकरण ।

*65. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यभर में 13000 (तेरह हजार) छोटे निजी विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009-11 के तहत शहरी व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-629, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 में लिए गये निर्णयों से वर्ष 2019 से पूर्व स्थापित स्कूलों को भवन एवं भूमि की बाध्यताओं के कारण मान्यता प्राप्त नहीं होने से राज्य के इन 13000 (तेरह हजार) निजी स्कूल और इसके 76000(छिहत्तर हजार) शिक्षक पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं, एवं इनसे जुड़े आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या भी 5 (पाँच) लाख है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष 2019 के पूर्व स्थापित स्कूलों पर ज़मीन की बाध्यता तथा इन स्कूलों में नामांकित कमजोर वर्ग के बच्चों को आर०टी०आई० अधिनियम के तहत अनुदान एवं यू-डायस देने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना ।

*66. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के मयुरहण्ड प्रखण्ड के पंचायत मझगावां के ग्राम मधनियां में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन लगभग 15 वर्षों से बन कर तैयार है परन्तु संबंधित विभाग आज तक इस भवन में प्रवेश नहीं कर पाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि मयुरहण्ड प्रखण्ड के ग्राम मझगावां में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं होने से प्रखण्ड मुख्यालय से मझगावां ग्रामीण वासियों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या के निराकरण के लिए लम्बी दूरी तय करना होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त प्रखण्डों के चिकित्सको/नर्सो की बहाली एवं नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र का स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय की स्थापना ।

*67. श्रीमती निसात आलम--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पाकुड़ विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है, जबकि सभी विधान-सभा क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पाकुड़ विधान-सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रही हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाकुड़ विधान-सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

ट्रामा सेन्टर का निर्माण ।

*68. श्री मथुरा प्रसाद महतो--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत गोविन्दपुर साहेबगंज पथ पर आए दिन दुर्घटना होने के कारण टुण्डी-गिरिडीह के आस पास अस्पताल नहीं रहने के कारण आम नागरिकों को जान गवाँना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ में पूर्वी टुण्डी के पास ट्रामा सेन्टर का निर्माण होने पर मरीजों को आकस्मिक सुविधा प्राप्त होगी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्वी टुण्डी क्षेत्र में ट्रामा सेन्टर का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्य प्रारंभ कराना ।

*69. श्री दशरथ गागराई--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार, के पत्रांक-12/यो, 1-16/2023/2803 दिनांक 4 अक्टूबर, 2024 द्वारा सरायकेला खरसाँवा जिलान्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुचाई के भवन निर्माण हेतु 6.59 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य के लिए अबतक आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुचाई का भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन ।

*70. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सारठ, पालोजोरी एवं करमाटांड़ प्रखण्डो में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जहाँ पर्याप्त मात्रा मे डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी की कमी है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्डो की जनसंख्या अधिक रहने के कारण उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को अपग्रेड करना तथा स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना आवश्यक है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सारठ को क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र में अपग्रेड करते हुए, खण्ड-1 में वर्णित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का शीघ्र पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय की स्थापना ।

*71. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिले में सिर्फ लातेहार प्रखण्ड में एक महिला डिग्री कॉलेज है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिर्फ एक महिला डिग्री कॉलेज होने के कारण इस अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक विधान-सभा में उच्च शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत काफी कम है;

(3) क्या यह बात सही है कि लातेहार विधान-सभा का बारियातु प्रखण्ड दो जिलों पलामू तथा चतरा की सीमा पर है तथा इसकी सीमा लगभग 5 प्रखण्डों को छूती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बारियातु प्रखण्ड में महिला डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

गृह जिला में पदस्थापन ।

*72. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को गृह जिला से अन्यत्र जिला में पदस्थापित किया गया है जबकि इनके गृह जिला में आवश्यकतानुसार पद रिक्त पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित शिक्षकों का पदस्थापन, अपने-अपने गृह जिला में होने से इन्हें अपने कर्त्तव्य निर्वहन में सुविधा होगी;

(3) क्या यह बात सही है कि वैसे शिक्षक/शिक्षिका जो असाध्य रोग से पीड़ित/विधवा/तलाकसूदा/अविवाहित/दिव्यांग को क्षेत्रीय भाषा एवं कोटी का लाभ सहित विशेष परिस्थिति में अन्तर जिला स्थानान्तरण में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में अंतर जिला में पदस्थापित शिक्षकों का विशेष अभियान चलाकर अपने-अपने गृह जिला में पदस्थापित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण ।

*73. श्री आलोक कुमार सोरेन--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखण्ड रानेश्वर के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय रघुनाथपुर में विद्यालय का चहारदीवारी निर्माण अबतक नहीं कराया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को काफी असुविधा होती है तथा शाम में असमाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में DPR बनवाकर उपरोक्त विद्यालय का चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँचीः
दिनांकः- 25 अगस्त, 2025 (ई०)

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 09--250--22-08-2025 ।

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा
[तृतीय(मानसून) पूरक सत्र]

सोमवार,तिथि- 25 अगस्त, 2025 (ई0)
03 भाद्र, 1947 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तरः-

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्यः-

(04)- सर्वश्री रोशन लाल चौधरी,निर्मल महतो एवं श्री प्रदीप प्रसाद स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-04.08.2025 से स्थगित)

(05)- श्री चन्द्रदेव महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-04.08.2025 से स्थगित)

(06)-श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं श्रीमती सबिता महतो स0वि0स0की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार(गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-04.08.2025 से स्थगित)

(07)- श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-04.08.2025 से स्थगित)

(08) -श्री सरयू राय,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-04.08.2025 से स्थगित)

(09) -श्री प्रदीप प्रसाद,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(10) –श्री रामेश्वर उराँव, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(11)– सर्वश्री प्रकाश राम, आलोक कुमार चौरसिया एवं कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(12)– श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(13) –श्री आलोक कुमार सोरेन, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

–: समितियों का गठन :–

(14) –झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

–: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(15)–प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर,प्रस्ताव करेंगे कि भारत का संविधान के अनुच्छेद–151(2)के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक,महालेखा परीक्षक का झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या–1) 31मार्च,2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का मार्च 2023को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या–03(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल) जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(16)– प्रभारी मंत्री,संसदीय कार्य श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) का विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित नियमावलियों की संकलित प्रति का सभा–पटल पर रखा जाना।

(17)– झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा–पटल पर रखा जाना। (यदि हो)

(18)– याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

कृ0पृ0उ0/

-: वित्तीय-कार्य :-

(19)- वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
{कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक,2025

(20)- प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर,प्रस्ताव करेंगे कि"**झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक,2025"** को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(21)- प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर,"**झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक,2025"** को पुरःस्थापित करेंगे।

(22)- प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर,,प्रस्ताव करेंगे कि "**झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक,2025"** पर विचार हो।

(23)- प्रभारी मंत्री वित्त श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि "**झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक,2025"** स्वीकृत हो।

(24)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-08/2025-3030/वि0स0,राँची,दिनांक-24/08/2025

प्रतिलिपिः-माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08/2025
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-08/2025-3030/वि0स0,राँची,दिनांक-24/08/2025

प्रतिलिपिः-अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/2025
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-08/2025-3030/वि0स0,राँची,दिनांक-24/08/2025

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08/2025
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

21.08.25

झारखण्ड विधान-सभा
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی

فہرست امور

ششم جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی

{تیسرا (مانسون) ضمنی اجلاس}

سموار، مورخہ: 25 / اگست، 2025 (عیسوی)

03 / بھادو، 1947 (شک)

[کاروائی شروع ہونے کا وقت 11:00 / بجے دن]

ابتدائی امور

سوال و جواب

01- ایوان کے گذشتہ اجلاس کے غیر علامتی اور غیر موجود سوالوں کے جواب کا اسمبلی سکریٹری کے ذریعہ ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

02- مختصر میعادی و علامتی سوال اور ان کے جواب۔

03- وقفہ صفر کے اطلاعات۔

توجہ طلب اطلاع اور ان پر سرکاری بیان

04- جناب روشن لال، جناب نرمل مہتو اور جناب پردیپ یادو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

مورخہ۔04 / اگست، 2025 سے ملتوی]

05- جناب چندر دیو مہتو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ پنچایتی راج) کی جانب سے بیان۔

مورخہ۔04 / اگست، 2025 سے ملتوی]

06- جناب متھورا پرساد مہتو اور محترمہ سیتا مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ داخلہ، جیل اور منتظمہ آفات) کی جانب سے بیان۔

مورخہ۔04 / اگست، 2025 سے ملتوی]

07- جناب پردیپ یادو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ اعلی اور تکنیکی تعلیم) کی جانب سے بیان۔

مورخہ۔04 / اگست، 2025 سے ملتوی]

08- جناب سریو رائے، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

مورخہ۔04/اگست،2025 سے ملتوی]

09۔ جناب پردیپ پرساد، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

10۔ جناب رامیش اوراؤں، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

11۔ جناب پرکاش رام جناب الوک کمار چورسیا اور جناب ششی بھوشن مہتا، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ زمرہ ملازمین اصلاح انتظامیہ اور راج بھاشا) کی جانب سے بیان۔

12۔ جناب ستیندر ناتھ تیواری اور امیت کمار یادو ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ پنچایتی راج) کی جانب سے بیان۔

13۔ جناب الوک کمار سورین، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی وسائل) کی جانب سے بیان۔

کمیٹیوں کی تشکیل

14۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ اور دستور العمل کے تناظر میں کمیٹیوں کی تشکیل (اگر ہو)۔

ایوان کے میز پر کاغذات کا رکھا جانا

15۔ وزیر انچارج مالیات، جناب رادھا کرشن کشور تجویز کریں گے کہ میں ''دستور ہند کے دفعہ۔151(2) کے تناظر میں، میں ہندوستان کے ناظم محاسب کا جھارکھنڈ میں انٹیگریٹڈ فنانشل مینجمنٹ سسٹم پر رپورٹ (جھارکھنڈ حکومت کی رپورٹ سال 2025 کا شمارہ۔1) 31 مارچ 2024، کو ختم ہونے والے سال کے لیے فنانس آڈٹ کی رپورٹ اور مارچ 2023 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے ہندوستان کے کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ حکومت جھارکھنڈ کی رپورٹ نمبر 03 (کارکردگی اور تعمیل آڈٹ سول) جو کہ ہندوستان کے کمپٹرولر جنرل کے پاس بھیجی گئی ہے۔ جسے قانون ساز اسمبلی کے روبرو رکھنے کے لئے حکومتِ ہند کے ناظم محاسب اعلی نے عزت مآب گورنر کے پاس بھیجا ہے، کو ایوان کے میز پر رکھتا ہوں۔

جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ اور دستور العمل کے آئین۔238 کے شرط کے مطابق عوامی احتسابی کمیٹی کا رپورٹ حسبِ وقت ایوان میں رکھا کیا جائے گا۔

میں تجویز کرتا ہوں کہ قانون ساز اسمبلی کے روبرو رکھے جانے کے بعد اور ان پر عوامی احتسابی کمیٹی کی طرف معائنہ کئے جانے کے قبل یہ عوام میں فروخت کے لئے وصول ہو۔

16۔ وزیر انچارج، پارلیمانی امور جناب رادھا کرشن کشور کے ذریعہ محکمہ کابینہ سکریٹریٹ اور نگرانی (پارلیمانی امور) کے مختلف ایکٹ کے تحت تیار کردہ دستور العمل کی ایک مرتب شدہ کاپی ایوان کی میز پر رکھنا۔

17۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی کمیٹیوں کے رپورٹوں کا ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

18۔ عرضیوں کی پیشی (اگر ہو)۔

مالی امور

19۔ مالی سال 26-2025 کے پہلے ضمنی اخراجات کی تفصیلات میں شامل مطالباتِ زیر بحث ومباحثہ سرکار کا جواب اور ووٹنگ۔

{مطالبات اور تخفیف تجویزوں کی فہرست الگ سے تقسیم کی جا رہی ہے}

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

قانونی امور

ریاستی بل

''جھارکھنڈ تصرف (شمارہ۔03) بل،2025''

20۔ محکمہ مالیات کے وزیر انچارج، جناب رادھا کرشن کشور، تجویز کریں گے کہ ''جھارکھنڈ تصرف (شمارہ۔03) بل،2025 '' کو دوبارہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔

21۔ محکمہ مالیات کے وزیر انچارج، جناب رادھا کرشن کشور، مندرجہ بالا بل کو دوبارہ پیش کریں گے۔

22۔ محکمہ مالیات کے وزیر انچارج، جناب رادھا کرشن کشور، تجویز کریں گے کہ ''جھارکھنڈ تصرف (شمارہ۔03) بل،2025'' پر غور وفکر ہو۔

23۔ محکمہ مالیات کے وزیر انچارج، جناب رادھا کرشن کشور، تجویز کریں گے کہ ''جھارکھنڈ تصرف (شمارہ۔03) بل،2025 '' منظور ہو۔

24۔ دیگر نہایت ضروری امور (اگر ہو)۔

(مانک لال ہیمبرم)
کارگزار سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

یادداشت نمبر: فہرست امور۔08/2025/ 3030 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 24 اگست، 2025 (عیسوی)

نقل تحریر: معزز اراکینِ حضرات، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی/ معزز وزیر اعلیٰ/ معزز وزراء حضرات/ معزز اپوزیشن لیڈر، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی/ چیف سکریٹری، جھارکھنڈ/ عزت مآب گورنر کے پرنسپل سکریٹری/ ایڈوکیٹ جنرل، جھارکھنڈ، رانچی/ لوک سبھا، نئی دہلی/ راجیہ سبھا، نئی دہلی/ جھارکھنڈ سرکار کے تمام محکموں کے پرنسپل سکریٹری/ سکریٹری کو اطلاعات اور ضروری کاروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

(سید شبیر/ ازو جیہ بنٹی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔08/2025/ 3030 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 24 اگست، 2025 (عیسوی)

نقل تحریر: انڈر سکریٹری، اسپیکر دفتر اور ماہر معتمد، سکریٹری دفتر کو بالترتیب عزت مآب اسپیکر صاحب اور کارگزار سکریٹری کو اطلاعات مرسلہ۔

(سید شبیر/ ازو جیہ بنٹی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔08/2025/ 3030 ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 24 اگست، 2025 (عیسوی)

اردو ترجمہ: جاری کردہ ''شعبہ اردو'' جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

نقل تحریر: جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے تمام افسران/ شعبۂ ویب سائٹ/ شعبۂ لائبریری، شعبہ تعلقات عامہ اور جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ٹی وی کو اطلاعات اور ضروری کاروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

(سید شبیر/ ازو جیہ بنٹی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान– सभा

तृतीय (मानसून) पूरक सत्र

वर्ग– 02

03 भाद्र, 1947 [श0]

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक–...को

25 अगस्त, 2025 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
35.	अ0सू0–22	श्री राज सिन्हा	समायोजित करना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई– गवर्नेंस	31.07.2025
36.	अ0सू0–09	श्री जयराम कुमार महतो	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
37.	अ0सू0–10	श्री अमित कुमार यादव	7वाँ वेतनमान का लाभ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025
38.	अ0सू0–14	श्री सरयू राय	दोषियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
39.	अ0सू0–23	श्रीमती श्वेता सिंह	मानदेय वृद्धि।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	31.07.2025
40.	अ0सू0–03	श्री चन्द्रदेव महतो	नियमानुसार कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2025
41.	अ0सू0–06	श्री उमाकान्त रजक	चिकित्सा पर्षद की बैठक।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
42.	अ0सू0–17	श्री संजीव सरदार	सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	30.07.2025
43.	अ0सू0–20	श्री भूषण बड़ा	व्यवस्था सुदृढ़ कराना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस	30.07.2025

01.	02.	03.	04.	05.	06
44.	अ0सू0–04	श्री चन्द्रदेव महतो	नियुक्ति करना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	22.07.2025
45.	अ0सू0–15	श्री रोशन लाल चौधरी	महाविद्यालय का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	31.07.2025
46.	अ0सू0–07	श्री हेमलाल मुर्मू	आँकड़ा उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
47.	अ0सू0–24	श्री राजेश कच्छप	उच्च स्तरीय जाँच।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	31.07.2025
48.	अ0सू0–02	श्री प्रदीप यादव	विशेष जाँच दल का गठन।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई– गवर्नेस	22.07.2025
49.	अ0सू0–12	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	नियमों में संशोधन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025
50.	अ0सू0–01	श्री प्रदीप यादव	ए0सी0बी0 से जाँच।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.07.2025
51.	अ0सू0–25	श्रीमती श्वेता सिंह	प्राकृतिक चिकित्सालय केन्द्र की स्थापना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	31.07.2025
52.	अ0सू0–05	डॉ0 नीरा यादव	इंजेक्शन की उपलब्धता।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
53.	अ0सू0–18	श्री निरल पुरती	अधिसूचित करना।	पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य	30.07.2025
54.	अ0सू0–21	श्री राज सिन्हा	ग्रेड–पे को यथावत रखना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	31.07.2025
55.	अ0सू0–13	डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता	संचालकों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
56.	अ0सू0–08	श्री हेमलाल मुर्मू	स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
57.	अ0सू0–16	श्री निरल पुरती	शिक्षकों की नियुक्ति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	30.07.2025
58.	अ0सू0–11	श्री निर्मल महतो	जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	27.07.2025
59.	अ0सू0–19	श्री भूषण बड़ा	समस्या का समाधान।	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण	30.07.2025

राँची,
दिनांक– 25 अगस्त, 2025 ई0।

माणिकलाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–08/2025–......3016....../वि0स0, रांची, दिनांक– 22/08/25

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न– 08/2025–......3016....../वि0स0, रांची, दिनांक– 22/08/25

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न वर्ग–02) को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न– 08/2025–......3016....../वि0स0, रांची, दिनांक– 22/08/25

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा, J.V.S T.V शखा एवं आश्वासन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

काजल/–

श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं. अ.सू.–22 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जैप (झारखंड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी) के डाटा सेंटर का उपयोग राज्य में वर्ष 2005–2006 से किया जा रहा है तथा स्टेट डाटा सेंटर को समुचित आधारभूत सुविधाओं–उपकरणों के साथ वर्ष 2014–2019 की अवधि में समुन्नत किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जैप डाटा सेंटर को स्टेट डाटा सेंटर के साथ समायोजित करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। JAPIT Data Centre को State Data Centre में निम्नलिखित कारणों से समायोजित नहीं किया जा सकता है– (क) बहुधा बिना Security Audit के Software को आपात स्थिति में Live करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के application को State Data Centre के protocol के अनुसार State Data Centre में Host नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करना Data/Cyber सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बिना security audited application को JAPIT Data Centre में Internal Security Assesment के बाद Host किया जाता है। (ख) दोनों Data Centre का अस्तित्व इस लिए जरूरी है कि आवश्यक एवं तत्काल निर्मित application समय पर launch हो सके एवं राज्य सरकार द्वारा तय की गई सुरक्षा मानकों का पालन भी किया जा सके। अतः दोनों की उपयोगिता अलग–अलग एवं अपरिहार्य है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/7/2025-DoIT-Section1 –1052 रांची, दिनांक : 21/08/25

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–2013 / वि.स., दि. 31.07.2025 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wishal 21.08.25

(निशालदीप खलखो)

उप सचिव।

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/7/2025-DoIT-Section1 –1052 रांची, दिनांक : 21/08/25

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wishal 21.08.25

उप सचिव।

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/7/2025-DoIT-Section1 –1052 रांची, दिनांक : 21/08/25

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय प्रभारी मंत्री के वरीय प्रधान आप्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wishal 21.08.25

उप सचिव।

श्री जयराम कुमार महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में चिकित्सकों के कुल 3,634 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2,210 पद खाली है, जो कुल स्वीकृत पदों का 61 प्रतिशत है ;	राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा पदाधिकारियों के कुल स्वीकृत बल 3284 के विरुद्ध 2178 चिकित्सक पदस्थापित है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्टाफ नर्सों के स्वीकृत 5,872 पदों की तुलना में 52 प्रतिशत यानी 3,033 पद रिक्त पड़े हुए है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्टाफ नर्सों के स्वीकृत पद 2457 के विरुद्ध 1173 पद की नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को भेजी जा चुकी है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 24 जिलों में पैरामेडिक्स के स्वीकृत 1,080 पदों का 80 प्रतिशत रिक्त है तथा केवल 216 पैरामेडिक्स ही अस्पतालों में कार्यरत हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। परिचारिका श्रेणी 'ए' का कुल स्वीकृत पद 2457 है, जिसके विरुद्ध 112 कार्यरत है। महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका का 398 (नियमित) पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 11 कार्यरत है एवं ए०एन०एम० का 4727 (नियमित) पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 2288 कार्यरत है। 3181 ए०एन०एम० की नियमित नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से विज्ञापन प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त जिलों में एन०एच०एम० एवं डी०एम०एफ०टी० से अनुबंध पर तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी नर्सों की सेवा ली जा रही है।
4.	क्या यह बात सही है कि भारत में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 37 चिकित्सक है, लेकिन, झारखण्ड में इसी आबादी पर चिकित्सकों की संख्या घट कर केवल 4 हैं ;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिसम्बर, 2023 में चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में इन रिक्तियों पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में पारामेडिक्स अन्तर्गत फार्मासिस्ट–585, प्रयोगशाला प्रावैधिक–658, एक्स–रे टेक्नीशियन–116, ए0एन0एम0–3181 पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–49/2025 948(3) राँची, दिनांक: 23.8.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०– 1855/वि०स० दिनांक 24.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.25

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1686
19/08/2025

श्री अमित कुमार यादव, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् की नियमावली हु–बहु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नियमावली से अधिगृहित कर लागू की गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना ने अपने ज्ञापांक 3243 दिनांक 25.07.2025 द्वारा अपने सभी कर्मियों को सातवाँ वेतनमान का लाभ दे रही है;	यह झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है,। तो क्या सरकार राज्यहित में बिहार राज्य के तर्ज पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के कर्मियों को भी सातवाँ वेतनमान अविलंब देना चाहती है, नहीं तो क्यों	समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत एवं राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत के अनुपात में अंशदान प्राप्त होता है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के कर्मियों को समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रबंधन शीर्ष में उपलब्ध राशि से मानदेय का भुगतान किया जाता है। परियोजना कर्मियों को समय–समय पर उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। वर्तमान में परियोजना कर्मियों को योगदान की तिथि से प्राप्त मानदेय में अब तक 120 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। परियोजना कर्मियों के मानदेय बढ़ोत्तरी से संबंधित प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आलोक में यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–02–103/2025...1686....../ राँची, दिनांक 19/08/2025

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1893 दिनांक 27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-14 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक-08/फार्मेसी-02-04/2024स्वा0-170(8) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अयोग्य पाये जाने के कारण श्री राहुल कुमार, फार्मासिस्ट के निबंधन सं0-JH/01702 तथा ट्रिब्यूनल निबंधन सं0-2219-JH-171 का निबंधन झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने रद्द कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संचिका के पृष्ठ-141/टि0 पर योग्य सरकारी फार्मासिस्टों की सूची अंकित रहने के बावजूद तत्कालीन विभागीय मंत्री ने जान-बुझ कर गैर सरकारी व्यक्ति, श्री राहुल कुमार को झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रभारी निबंधक-सह-सचिव नियुक्त करने का आदेश दे दिया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन विभागीय मंत्री के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने श्री राहुल कुमार को योग्य ठहराने का षडयंत्र किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। उक्त बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने वाली संचिका सं0-08/फार्मेसी-08-11/2024 की छायाप्रति संलग्न है, जिसके टिप्पणी भाग पृ0-169/टि0 के विभागीय प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि श्री राहुल कुमार, फार्मासिस्ट को निबंधक के पद हेतु योग्य नहीं माना गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक गैर सरकारी अयोग्य फार्मासिस्ट को झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का निबंधक-सह-सचिव नियुक्त करने का षडयंत्र रचने वाले दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-08/फार्मेसी(वि0स0)-01-06/2025 207(8) स्वा0/राँची/दिनांकः- 19/8/2025

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-1896 वि0स0 दिनांक-27.07.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 19.8.25

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1678
19/08/2025

श्रीमती श्वेता सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-23

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है, कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-14.02.2022 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या-1189, दिनांक-24.09.2024 के अंतर्गत, सेवा संपुष्टि उपरांत सहायक अध्यापकों को 4% वार्षिक मानदेय वृद्धि का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है, कि प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार समिति का गठन नहीं होने के कारण कार्यरत सहायक अध्यापको को वार्षिक मानदेय वृद्धि नहीं मिल पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक । सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 की कंडिका-5 के प्रावधानानुसार प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय प्रशासनिक-सह- अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका-9 (ii) के अनुसार प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में 4% प्रतिवर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान्य है। प्रखण्ड एवं पंचायत क्षेत्र (शहरी क्षेत्र को छोड़कर) में कार्यरत सहायक अध्यापकों को सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन होने के पश्चात् कुल 50766 सहायक अध्यापकों को 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1189, दिनांक 24.09.2024 के द्वारा नगर निगम/नगर परिषद् तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों सम्प्रति सहायक अध्यापक के लिए प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। शहरी क्षेत्र में नगर निकाय यथा-नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं पार्षद का चुनाव नहीं होने की स्थिति में सहायक अध्यापकों को 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहरी निकाय चुनाव नहीं होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र के प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार की वैकल्पिक व्यवस्था की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या प्राधिकार समिति का गठन कर सहायक अध्यापकों को भी अन्य क्षेत्रों की भांति 4% वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर कंडिका-2 में सन्निहित है।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०-02-101/2025..1678/ रॉंची, दिनांक..19/08/2025

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2071 दिनांक 31.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1676
19/08/2025

श्री चन्द्रदेव महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–03

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में आर.टी.ई. के अनुसार छात्रों और शिक्षकों का अनुपात कक्षाओं में नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रारंभ की तारीख से छः माह के अंदर छात्र–शिक्षक अनुपात को नियमानुसार सुनिश्चित करने का नियम था;	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रत्येक विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात बनाये रखे जाने का प्रावधान है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छात्र–शिक्षक अनुपात को नियमानुसार सुनिश्चित करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में 26001 (इण्टर प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य) पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

Asum 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–02–86/2025...1676/ राँची, दिनांक 19/08/2025

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1804 दिनांक 22.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Asum 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री उमाकान्त रजक, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के माननीय सदस्य/पूर्व माननीय सदस्य एवं उनके आश्रितों को राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद रिम्स-राँची में प्रत्येक माह के कार्य दिवस के 10 तारीख को सशरीर उपस्थित होना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के पत्रांक-267(13) दिनांक 15.09.2015 द्वारा झारखण्ड विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित औषधालय में प्रत्येक माह के 10 तारीख को अपराह्न 12:30 बजे राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद की बैठक आयोजित किया जाना आदेशित था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (एक) के आलोक में वर्णित बैठक पूर्व में झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में हुआ करता था है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि माननीय सदस्यों की कार्य अधिकता एवं जनसमस्याओं के कारण समयावधि कम होती है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भांति पुनः राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद की बैठक विधान सभा सचिवालय में कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के पत्रांक-267(13) दिनांक 15.09.2015 द्वारा झारखण्ड विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित औषधालय में प्रत्येक माह के 10 तारीख को अपराह्न 12:30 बजे राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद की बैठक आयोजित किया जाना आदेशित था। विभागीय संकल्प संख्या 13(13) दिनांक 24.01.2025 द्वारा राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है। उक्त योजना के तहत् राज्य चिकित्सा पर्षद से अनुमति/अनुशंसा प्राप्त किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में राज्य चिकित्सा पर्षद की बैठक आहूत किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-10/2025 181 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः- 21/8/2025

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-1853 वि0स0 दिनांक-24.07.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-विशेष सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.08.25

सरकार के उप सचिव।

श्री संजीव सरदार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–17 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में मरीजों हेतु मात्र 100 बेड की सुविधा है एवं Central Sterile Supply Department (CSSD) और Mechanisad Laundry की सुविधा उपलब्ध नही है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में CT Scan, MRI की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा Component Separation हेतु भवन बन कर तैयार है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के सदर अस्पताल में अतिरिक्त बेड CT Scan, और MRI की सुविधा उपलब्ध कराने तथा Component Separation भवन का संचालन करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पूर्वी सिंहभूम जिला में पूर्व से संचालित 100 शय्यावाला सदर अस्पताल के अतिरिक्त सदर अस्पताल के परिसर में 100 Bedded Prefabricated अस्पताल निर्माणाधीन है। पूर्ण होने के उपरांत इसे चालू करने के संबंध में कार्रवाई की जानी है। तत्काल जिस जिला में मेडिकल कॉलेज स्थापित है वहाँ CT Scan एवं MRI मशीन की खरीद एव अधिष्ठापन की कार्रवाई जारी है। तत्पश्चात् सदर अस्पताल में CT Scan एवं MRI मशीन का अधिष्ठापन किया जायगा। Blood Component Separation Unit को आवश्यक मशीन उपकरण से लैस करने की कार्रवाइं की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–5/पी०(वि०स०)–आ०सू०–38/2025_306(S) स्वा०, राँची, दिनांक 21.08.2025

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2033/वि०स०, दिनाक–30.07.2025 के क्रम मे 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25

अवर सचिव

श्री संजीव सरदार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–17 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में मरीजों हेतु मात्र 100 बेड की सुविधा है एवं Central Sterile Supply Department (CSSD) और Mechanisad Laundry की सुविधा उपलब्ध नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में CT Scan, MRI की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा Component Separation हेतु भवन बन कर तैयार है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के सदर अस्पताल में अतिरिक्त बेड CT Scan, और MRI की सुविधा उपलब्ध कराने तथा Component Separation भवन का संचालन करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पूर्वी सिंहभूम जिला में पूर्व से संचालित 100 शय्यावाला सदर अस्पताल के अतिरिक्त सदर अस्पताल के परिसर में 100 Bedded Prefabricated अस्पताल निर्माणाधीन है। पूर्ण होने के उपरांत इसे चालू करने के संबंध में कार्रवाई की जानी है। तत्काल जिस जिला में मेडिकल कॉलेज स्थापित है वहाँ CT Scan एवं MRI मशीन की खरीद एवं अधिष्ठापन की कार्रवाई जारी है। तत्पश्चात् सदर अस्पताल में CT Scan एवं MRI मशीन का अधिष्ठापन किया जायगा। Blood Component Separation Unit को आवश्यक मशीन उपकरण से लैस करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–5/पी०(वि०स०)–आ०सू०–38/2025...306(S)   स्वा०, राँची, दिनांक 21.08.2025

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2033/वि0स0, दिनांक–30.07.2025 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25
अवर सचिव

श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं. अ.सू.–20 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला वर्तमान में डिजिटल इंडिया में संसीमित नहीं हो पायी है जहाँ Internet & Mobile Network की सुविधा बेहद नगण्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिलान्तर्गत 10 प्रखंड/अंचल अंतर्गत कुल राजस्व ग्राम–451 में से 96 ग्रामों में Mobile Network की समस्या है।
2	क्या यह बात सही है कि Internet & Mobile Network लचर रहने से छात्रों को Online पढ़ाई तथा Net Banking में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमडेगा जिला में डिजिटल इंडिया की सफलता सुनिश्चित करने हेतु Internet & Mobile Network व्यवस्था सुदृढ़ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सिमडेगा जिले के कार्यालय पत्रांक–419(ii)/सा0शा0 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा विभाग को Shadow Zone Area में मोबाईल टॉवर अधिष्ठापन हेतु अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा Shadow Zone Area में मोबाईल टॉवर अधिष्ठापन के संबंध में टेलिकॉम कम्पनियों को शीघ्र ही आवश्यक निदेश दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/6/2025-DoIT-Section1 –1051 रांची, दिनांक : 21/08/25

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–2035/वि.स., दि. 30.07.2025 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vishal 21/08/25

(विशालदीप खलखो)
उप सचिव।

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/6/2025-DoIT-Section1 –1051 रांची, दिनांक : 21/08/25

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vishal 21/08/25

उप सचिव।

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/6/2025-DoIT-Section1 – 1051 रांची, दिनांक : 21/08/25

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय प्रभारी मंत्री के वरीय प्रधान आप्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vishal 21/08/25

उप सचिव।

श्री चन्द्रदेव महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–04 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीज हेतु बेड के अनुपात में मरीज की संख्या अधिक है, जिसके कारण दूर–दराज से आने वाले मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सदर अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में ए0एन0एम0 और जी0एन0एम0 का युनिट के आधार पर नियुक्ति नहीं होने के कारण महिला मरीजों को कठिनाईयाँ होती है। ;	आंशिक स्वीकारात्मक। आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुसार नर्स एवं रोगी का अनुपात 1:3 है। वर्त्तमान में नियमित ए0एन0एम0–2288, जी0एन0एम0–96 तथा एन0एच0एम0 के अंतर्गत अनुबंध पर ए0एन0एम0–5145 एवं जी0एन0एम0 864 कार्यरत है, जिनके माध्यम से सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं अनुमण्डलीय अस्पतालों द्वारा महिला मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकतानुसार जिलों द्वारा डी0एम0एफ0टी0 फंड एवं आउसोर्सिंग के माध्यम से भी ए0एन0एम0 की सेवा प्राप्त करते हुए महिला मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स में मरीज हेतु बेड की पूर्ण व्यवस्था के साथ–साथ राज्यन्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 का यूनिट के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	रिम्स, राँची में कुल 2226 बेड क्रियाशील है। संप्रति ऑनकोलॉजी भवन में आकस्मिक मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त 75 बेड की अभिवृद्धि की जा रही है। रिम्स, राँची के पत्रांक–249 दिनांक–19.02.2025 द्वारा रिम्स, राँची मे परिचारिका श्रेणी "ए" के 144 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना विभाग के माध्यम से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजी गई है।

		राज्य सरकार के अंतर्गत परिचारिका श्रेणी "ए" के पद पर नियुक्ति हेतु 1173 पदों एवं ए0एन0एम0 के कुल 3181 पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना प्रेषित की गयी है जिसके आलोक में आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 10/क्यू–01–07/2025 144 (10) राँची, दिनांक: 20/08/2025

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1806/वि०स० दिनांक 22.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/25

सरकार के अवर सचिव

श्री रोशन लाल चौधरी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15 का उत्तर :–

क्र0सं0	विषय	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव में डिग्री महाविद्यालय निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अन्तर्गत बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, बड़कागांव के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–246/बजट दिनांक–14.10.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। विभागीय पत्रांक–385/बजट दिनांक–01.03.2025 एवं स्मार पत्रांक–111/बजट दिनांक–01.08.2025 के द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से डिग्री महाविद्यालय, बड़कागांव के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, हजारीबाग से भूमि हस्तांतरण के पश्चात् महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है, कि रांची जिला के खलारी प्रखण्ड, चतरा जिला टंडवा प्रखण्ड और हजारीबाग जिला का केरेडारी प्रखण्ड में खनन के रूप में विकसित हो गया है जिसके कारण इस क्षेत्र की जनसंख्या दिनों दिन वृद्धि हो रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कोई डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची जिला का खलारी प्रखण्ड काँके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आता है, जिसमें एस0 एस0 मेमोरियल महाविद्यालय, राँची (अंगीभूत महाविद्यालय) तथा खलारी प्रखण्ड में उत्तरी कर्णपुरा महाविद्यालय, डकरा, राँची (स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय) अवस्थित है, जिसमें पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। चतरा जिला का टंडवा प्रखण्ड सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आता है। टंडवा प्रखण्ड में वनांचल कॉलेज, टंडवा (स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय) अवस्थित है, जिसमें पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग जिला का केरेडारी प्रखण्ड बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आता है। केरेडारी प्रखण्ड से लगभग 14 कि0मी0 की दूरी पर कर्णपुरा महाविद्यालय, बड़कागांव अवस्थित है, जहाँ पठन–पाठन का कार्य किया जाता है। साथ ही बड़कागांव में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने एवं खलारी, टंडवा और केरेडारी के बीचबचरा में एक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	बड़कागांव में डिग्री महाविद्यालय के संबंध में उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति अंकित की गयी है। बचरा से 11 कि0मी0 की दूरी पर उत्तरी कर्णपुरा महाविद्यालय, डकरा, राँची (स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय) अवस्थित है। वर्तमान में बचरा में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–95/2025 1616 / राँची, दिनांक– 20/08/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2037 दिनांक–30.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/08/25

सरकार के उप सचिव।

3214
20/08/2025

श्री हेमलाल मुर्मू, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–07

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और आदर्श विद्यालयों (मार्डन स्कूलों) में अंग्रेजी शिक्षकों की कमी के कारण राज्य में 12.27 लाख स्कूली बच्चे पिछले साल की तुलना में कम नामांकित हुए हैं;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार के संकल्प सं. 2215 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा आदर्श विद्यालय योजना के तहत् 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है, जो CBSE से मान्यता प्राप्त है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने में दक्ष 1860 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन विद्यालयों में वर्त्तमान में कुल 50253 छात्र/छात्राएँ नामांकित होकर अध्ययनरत हैं। शेष नामांकन हेतु प्रक्रिया जारी है। राज्यांतर्गत मॉडल विद्यालय योजना के तहत् 82 मॉडल विद्यालय संचालित हैं, जहाँ JAC बोर्ड अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। इन विद्यालयों में कुल 293 शिक्षक कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में वर्त्तमान में कुल 11487 छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि इस प्रयोजन हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को ऐसे बच्चों को पता लगाने का निर्देश दिया है;	अस्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन विद्यालय स्तरीय परीक्षा के आधार पर ली जाती है। मॉडल विद्यालयों के कक्षा 6 में प्रवेश हेतु JAC Board द्वारा परीक्षा ली जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में विशेष कर आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने, अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति और कम नामांकित होने वाले बच्चों का जिला–वार आंकड़ा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं नामांकित बच्चों की जिलावार संख्या संलग्न की जा रही है।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–133/2025 3214 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं. अ.सू.–02 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प सं.–1278/वि., रांची दिनांक 03.06.25 के तहत् मानव बल प्रदेता एजेंसीयों पर नियंत्रण एवं कार्यरत कर्मियों को शोषण से बचाने हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है;	वित्त विभाग के संकल्प सं.–1278/वि., रांची दिनांक 03.06.25 द्वारा सरकारी विभागों/संस्थाओं में मैन पावर की सेवा लेने हेतु Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual 2025 का गठन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि यह संकल्प एजेंसीयों द्वारा मानव बल चयन में मनचाहा अतिरिक्त उगाही को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, कि हाल के दिनों में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत सिक्योरिटी एजेंसी "समांता" ने अधिक मानव बल दिखाकर अतिरिक्त भुगतान लेने का प्रयास किया है;	विभाग से संबंधित नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संकल्प में सुधार एवं भिन्न–भिन्न विभागों में मानव बल देने वाली एजेंसी का "विशेष जाँच दल" का गठन कर उससे जाँच कराना चाहती है ताकि कार्यरत नौजवानों को भी न्याय मिल सके एवं इन एजेंसियों पर लगाम लग सके; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/5/2025-DoIT-Section1 – 1049 रांची, दिनांक : 20/8/25

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–1801/वि.स., दि. 22.07.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। दि0 05.08.25 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं.–2 का उत्तर प्रतिवेदन विभागीय ज्ञापांक–979 दि0 04.08.25 के द्वारा प्रेषित किया गया था। उक्त अल्पसूचित प्रश्न सं. अ.सू.–02 दि0 25.08.25 को पूछा जाना है। अतः अ.सू. प्रश्न सं.–02 का उत्तर प्रतिवेदन पुनः 200 प्रतियों में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया पावती स्वीकार की जाय।

(विशालदीप खलखो) 20/08/25
उप सचिव।

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/5/2025-DoIT-Section1 – 1049 रांची, दिनांक : 20/08/25

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव। 20/08/25

ज्ञापांक : IT/VIDH/Ques/5/2025-DoIT-Section1 – 1049 रांची, दिनांक : 20/08/25

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय प्रभारी मंत्री के वरीय प्रधान आप्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव। 20/08/25

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1680
19/08/2025

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–12

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के द्वारा इसे झारखण्ड में 2011 से लागू किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (यथा संशोधित) 2019 में कई कठिन नियम यथा जमीन लीज आदि की समय अवधि जो दी गई है इसके कारण मान्यता लेने में कई तरह की कठिनाईयां आ रही है;	राज्य अंतर्गत संचालित गैर–मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत् मान्यता प्रदान किए जाने हेतु झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (यथासंशोधित, 2019) अधिसूचित है। नियमावली अंतर्गत कतिपय प्रावधानों को निरस्त करने हेतु माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर डब्लू०पी०(सी०) सं0–5455/2019 तथा अन्य संबद्ध एवं सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश दिनांक 02.05.2025 के अनुपालन में नियमावली में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि कठिन नियमों के कारण कम भूमि क्षेत्र रखने वाले निजी मध्य विद्यालयों को स्थापना अनुमति नहीं प्राप्त हो रही है;	इस कंडिका का उत्तर खंड–2 में सन्निहित है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संशोधित अधिनियम 2019 में जोड़े गए कठिन नियमों में संशोधन कर जमीन की बाध्यता को समाप्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस कंडिका का उत्तर खंड–2 में सन्निहित है।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–02–94/2025....1680...../ राँची, दिनांक...19/08/2025

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1895 दिनांक 27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 का उत्तर सामग्री

क0सं0	प्रश्न संख्या–अ0सू0–01	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है, कि राँची जिला के अनगड़ा से नामकुम तक फोरलेन सडक बनाने में 3120 काटे गये पेड़ के बदले पौधारोपन हेतु वन विभाग को 6.25 करोड़ रू० दिया गया था;	अस्वीकारात्मक है। मान्नीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के निदेशानुसार गठित उच्च स्तरीय समिति (HPC) द्वारा यथा निर्देशित पौधों के विरूद्ध शत–प्रतिशत पौधों का रोपण किया गया। पथ प्रमण्डल, राँची (ग्रामीण) अंतर्गत Widening of Existing Pavement to Four Lane Divided Carriage Way of Ranchi Purulia Road (Namkum ROB to Angara Section) (Total length-17.70 km) के कार्य में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, राँची (ग्रामीण) को वृक्ष पातन के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर फेज–01 में कुल 426 वृक्षों के पातन की अनुमति दी गई तथा फेज–02 में 2229 वृक्षों के पातन की अनुमति दी गई। अतः कुल 2655 वृक्षों के पातन के विरूद्ध 05 गुणा अर्थात् 13,275 पौधारोपण प्रयोक्ता अभिकरण यानि पथ प्रमण्डल, ग्रामीण (राँची) द्वारा किए जाने का निर्देश निर्गत किया गया। उक्त वनरोपण कार्य हेतु कुल 5.07 करोड़ की राशि राँची वन प्रमण्डल, राँची को फरवरी, 2024 में प्राप्त हुई थी। यह राशि कुल चार वर्ष की योजना के विरूद्ध एकबार जमा हुई है।
2.	क्या यह बात सही है, कि वन विभाग में बिना पेड़ लगाये ही सारे पैसों को चपत लगाया है;	अस्वीकारात्मक । राँची रीजन अन्तर्गत प्राप्त राशि के विरूद्ध 2024 के मानसून में शत प्रतिशत पौधारोपण राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा किया गया, जिसका संपोषण कार्य वर्त्तमान में चालू है। इसकी स्थल सूची एवं पौधारोपण संबंधी सूचना राँची वन प्रमण्डल के पत्रांक–1844, दिनांक–26.06.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, राँची (ग्रामीण) को दी गयी है।
3.	क्या यह बात सही है, कि वन विभाग ने अन्य सड़कों के निर्माण एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्व में भी काटे गये पेड़ के बदले नए पेड़ ना लगाकर मोटी रकम की हेराफेरी किया है;	अस्वीकारात्मक। उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को पौधारोपण का कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है। अपितु कई बार वन विभाग के माध्यम से भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पौधारोपण का कार्य करने हेतु राशि जमा करते है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग को पौधारोपण हेतु प्राप्त राशि एवं रोपित पौधों की विस्तृत विवरणी (अनुलग्नक–1 से 6) में दर्शायी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ACB से जाँच करा कर आवश्यक कार्रवाई कराना चाहती है; हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वास्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/वि0स0 अल्पसूचित–91/2025– 3049 /व0प0, दिनांक– 22.08.2025

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1805, दिनांक–22.07.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/08/25

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(७५)

अनु०–1

रीजन का नाम – जमशेदपुर

प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) के निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या		अभ्युक्ति
	वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि (रू०)	लगाये गये पेड़ों की संख्या	
1	2	3	4	5	6
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।	2022–23	4427	84332584	20270	1. दिनांक 13.09.2022 को सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक में प्रयोक्ता अभिकरण को दिये गये निदेश के आलोक में पातन किए जाने वाले कुल 4427 वृक्षों के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण के तहत दसगुणी अर्थात कुल 44270 पौधों का रोपण लौह/बांस गैबियन/Barbed Wire Fencing/ Linear Plantation में प्रोजेक्ट स्थल के आस–पास किया जाना था। उक्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुरोध किये जाने पर वन विभागीय पत्रांक 4427 दिनांक 22.11.2019 में दिये गये निदेश के आलोक में वन प्रेषण लोक लेखा (प्राप्तियाँ) शीर्ष– 8782 में e-challan द्वारा दो किस्तों में कुल रू० 84332584 मात्र जमा कराया गया है जिसके अनुसार कुल 20270 वृक्षों का रोपण सम्पन्न हो चुका है। 2. शेष बचे 24000 पौधों का रोपण इस वर्ष में किया जा रहा है।
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।	2022–23	852	42913698	—	852 वृक्षों के पातन के विरूद्ध 10 गुणा अर्थात 8520 पौधों का रोपण गैबियन के माध्यम से किया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य प्रस्तावित है।

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखंड, रांची।

हजारीबाग रीजन

(23)

अनु0–2

क्र0	प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) के निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या		अभ्युक्ति
		वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि (रू0)	लगाये गये पेड़ों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	2023-24	1067	1768000	12500	
		2024-25	5469	170360516	324400	
		कुल:–	6536	172128516	336900	
3	कोडरमा वन प्रमंडल	2023-24	106	3712682	1060	
		कुल:–	106	3712682	1060	
4	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	2025-26	54	36,736		400 के0मी0 डी0सी0 नॉर्थ कर्णपुरा–गया ट्रांसमिशन लाईन्स के निर्माण में प्रस्तावित 54 वृक्षों के पातन के विरूद्ध HPC के निर्देशानुसार 10 गुना अर्थात 540 वृक्षों के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चालान संख्या–86 दिनांक 21.04.2025 के माध्यम से 36,73,600.00 राशि प्राप्त हुई है, जिसका अग्रिम कार्य वर्तमान वर्ष (वर्ष 2025–26) में प्रस्तावित है।
		कुल:–	54	36,736	0	
5	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	2022-23	13890	245266089	101935	
		2023-24	8584	276036052	129131	
		2024-25	266725	162480812	104810	
		कुल:–	289199	683782953	335876	

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखंड, रांची।

(22)

रीजन का नाम :– पलामू

अनु०–3

प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) के निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या		अभ्युक्ति
1	3	4	5	6	7
	वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि	लगाये गये पेड़ों की संख्या	
लातेहार वन प्रमण्डल।	2022–23	2146	59969097.00	21460	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 2146 वृक्ष पातन के बदले 10 गुणा अर्थात 21460 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।
लातेहार वन प्रमण्डल।	2023–24	1026	16432941.00	5130	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 1026 वृक्ष पातन के बदले 5 गुणा अर्थात 5130 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण किया जा रहा है।
लातेहार वन प्रमण्डल।	2023–24	1544	58586725.00	15440	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 1544 वृक्ष पातन के बदले 10 गुणा अर्थात 15440 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण किया जा रहा है।
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।	2023–24	42	677000.00	210	कुल–42 वृक्षों के पातन के बदले 5 गुणा अर्थात 210 पौधों का पौधारोपण करा लिया गया है।
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।	2023–24	2619	0	13095	प्रयोक्ता अभिकरण को ही 2619 वृक्षों के पातन के बदले 5 गुणा अर्थात 13095 पौधा लगाने का निर्देश दिया गया था। जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 13095 पौधा लगाने की सूचना प्रमण्डलीय कार्यालय को प्राप्त है एवं सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखंड, रांची।

(२४)

हजारीबाग रीजन

अनु0–2

क्र0	प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) के निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या		अभ्युक्ति
		वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि (रू0)	लगाये गये पेड़ों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	2023-24	1067	1768000	12500	
		2024-25	5469	170360516	324400	
		कुल:–	**6536**	**172128516**	**336900**	
3	कोडरमा वन प्रमंडल	2023-24	106	3712682	1060	
		कुल:–	**106**	**3712682**	**1060**	
4	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	2025-26	54	36,736		400 के0मी0 डी0सी0 नॉर्थ कर्णपुरा–गया ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में प्रस्तावित 54 वृक्षों के पातन के विरूद्ध HPC के निर्देशानुसार 10 गुना अर्थात 540 वृक्षों के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चालान संख्या–86 दिनांक 21.04.2025 के माध्यम से 36,73,600.00 राशि प्राप्त हुई है, जिसका अग्रिम कार्य वर्तमान वर्ष (वर्ष 2025–26) में प्रस्तावित है।
		कुल:–	54	36,736	0	
5	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	2022-23	13890	245266089	101935	
		2023-24	8584	276036052	129131	
		2024-25	266725	162480812	104810	
		कुल:–	**289199**	**683782953**	**335876**	

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखंड, रांची।

(2.

रीजन का नाम :— पलामू

अनु०—3

प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) के निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या		अभ्युक्ति
1	3	4	5	6	7
	वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि	लगाये गये पेड़ों की संख्या	
लातेहार वन प्रमण्डल।	2022—23	2146	59969097.00	21460	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 2148 वृक्ष पातन के बदले 10 गुणा अर्थात 21460 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।
लातेहार वन प्रमण्डल।	2023—24	1026	16432941.00	5130	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 1026 वृक्ष पातन के बदले 5 गुणा अर्थात 5130 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण किया जा रहा है।
लातेहार वन प्रमण्डल।	2023—24	1544	58566725.00	15440	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 1544 वृक्ष पातन के बदले 10 गुणा अर्थात 15440 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण किया जा रहा है।
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।	2023—24	42	677000.00	210	कुल 42 वृक्षों के पातन के बदले 5 गुणा अर्थात् 210 पौधों का पौधारोपण करा लिया गया है।
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।	2023—24	2619	0	13095	प्रयोक्ता अभिकरण को ही 2619 वृक्षों के पातन के बदले 5 गुणा अर्थात् 13095 पौधा लगाने का निर्देश दिया गया था। जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 13095 पौधा लगाने की सूचना प्रमण्डलीय कार्यालय को प्राप्त है एवं सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखंड, रांची।

(21)

रीजन का नाम :– पलामू

अनु०–3

प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) के निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या		अभ्युक्ति
1	3	4	5	6	7
	वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि	लगाये गये पेड़ों की संख्या	
लातेहार वन प्रमण्डल।	2022–23	2146	59969097.00	21460	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 2146 वृक्ष पातन के बदले 10 गुणा अर्थात 21460 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है
लातेहार वन प्रमण्डल।	2023–24	1026	18432941.00	5130	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 1026 वृक्ष पातन के बदले 5 गुणा अर्थात 5130 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है
लातेहार वन प्रमण्डल।	2023–24	1544	56566725.00	15440	प्रयोक्ता अभिकरण को विषयांकित परियोजना के निमित 1544 वृक्ष पातन के बदले 10 गुणा अर्थात 15440 (बांस गैबियन वृक्षारोपण) पौधा लगाने का निर्देश वृक्षों के पातन हेतु राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गयी थी। जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बांस गैबियन के साथ वृक्षारोपण हेतु चार वर्षीय योजना का प्राक्कलन के आधार पर राशि जमा की गयी है। इस साल (2025) वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।	2023–24	42	677000.00	210	कुल–42 वृक्षों के पातन के बदले 5 गुणा अर्थात 210 पौधों का पौधारोपण करा लिया गया है।

रीजन का नाम :– बोकारो

अनु०–,

प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) के निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या			अभियुक्ति
	वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि	High Power Committee (HPC) के आलोक में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या	वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की संख्या	
1	2	3	4	5	7	8
बोकारो	2023–24	1992	90,78,240.31	11060	3210	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के आलोक में प्रमण्डल द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है तथा सी०सी०एल० कोनार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के द्वारा 2025 के मानसून में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। शेष वृक्ष जो प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा लगाये जाने हैं, के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा कोई अनुपालन समर्पित नहीं किया गया है।
	2024–25	13785	2,87,69,443.78	56900	38834	
धनबाद	2022–23	4263	88,20,645.00	57910	18000	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के आलोक में प्रमण्डल द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है। शेष वृक्ष जो प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा लगाये जाने हैं, के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा कोई अनुपालन समर्पित नहीं किया गया है।
	2023–24	4724	45,31,508.78	24368	2865	
	2024–25	2178	21,54,069.00	12285	555	
रामगढ	2022–23	1756	75,19,605.00	4680	600	4680 पौधे लगाये जाने थे, परन्तु अभीतक 600 पौधे ही लगाये गये हैं। 60 से०मी० से कम गोलाई के पौधों को Transplant करने का आदेश दिया गया है।

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखंड, रांची।

(19)

रीजन का नाम :– दुमका				अनु०–5
प्रमण्डल का नाम	विगत तीन साल में सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं हेतु पातित वृक्षों की संख्या		High Power Committee (HPC) निदेशानुसार प्राप्त राशि एवं लगाये गये वृक्षों की कुल संख्या	
1	2	3	4	5
	वर्ष	संख्या	प्राप्त राशि (लाख में)	लगाये गये पेड़ों की संख्या
दुमका वन प्रमण्डल	2022-23	743	87.614	5516
	2023-24	2269	8.02	1390
	2024-25	222	26.22	1225
	कुल :–	**3012**	**121.857**	**8131**
गोड्डा वन प्रमण्डल	2022-23	48866	1972.95	81754
	कुल :–	**48866**	**1972.95**	**81754**
पाकुड़ वन प्रमण्डल	2022-23	201	113.73	4030
	2023-24	5135	935.47	51350
	2024-25	9036	599.43	42370
	कुल :–	**14372**	**1648.63**	**97750**
देवघर वन प्रमण्डल	2022-23	745	239.73	7450
	2023-24	959	230.60	7525
	2024-25	24	7.57	120
	कुल :–	**1728**	**477.91**	**15095**
जामताड़ा वन प्रमण्डल	2022-23	36	10.89	360
	2023-24	0	0.00	00
	2024-25	36	10.89	360
	कुल :–	**72**	**21.78**	**720**
	सकल योग :–	**65038**	**4121.27**	**195319**

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता, झारखंड, रांची।

श्रीमती श्वेता सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र में अब तक कोई आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. बोकारो जिला अन्तर्गत कुल 11 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित है। 2. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र राजकीय स्तर पर स्थापित नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सालय केन्द्र की स्थापना करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	1. बोकारो विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र के संबंध में उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। 2. बोकारो विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–20/आयुष वि0स0–08/2025 165 (20) स्वा/राँची, दिनांक 21.08.2025
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2072/वि0स0 दिनांक–31.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

21.08.2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–20/आयुष वि0स0–08/2025 165 (20) स्वा/राँची, दिनांक 21.08.2025
प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रशाखा–14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.08.2025
सरकार के अवर सचिव।

डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा गया अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रत्येक साल मॉनसून के दौरान सर्पदंश की सैकड़ों घटनाएं होती है और त्वरित ईलाज के अभाव में कई लोगों की मौत हो जाती है;	स्वीकारात्मक। राज्य में मानसून की बारिस तथा उमस भरी गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाऐं अचानक बढ़ जाती है। माह–जून से सितम्बर तक सर्पदंश के मामले ज्यादा देखे जाते है। सर्पदंश के उपरांत घबराहट के वजह से हृदय गति रूकने से भी मौतें होती है। Snake Bite Prevention & Control कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्पदंश से बचाव हेतु झोला छाप तथा झाड़–फूक के चंगुल में मरीज न जाए, इसलिए सामुदायिक जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से मनुष्यों में सर्पदंश से बचाव, रोकथाम एवं ईलाज़ संबंधित **"क्या करें, क्या न करें"** को आमलोगों तक पहुँचाने के लिए कार्य किया गया है। सर्पदंश से संबंधित मरीजों को ससमय अस्पताल पहुँचाने तक सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को कम किया जाय, इसके लिए व्यापक उपाय किये जा रहे हैं। National Snake Bite Management Protocol के अनुपालन से संबंधित आवश्यक दिशानिदेश विभाग द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज एवं सभी सिविल सर्जन को दिया गया है। इस संबंध में जिला अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारियों को राज्य स्तर पर ToT प्रशिक्षण दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्र में एंटी स्नेक वाइल उपलब्ध नहीं है और सभी जिलों में सदर अस्पताल के गांवों से अधिक दूरी होने पर मरीज समय पर नहीं पहुँच पाते हैं और अंततः ईलाज के अभाव में मौत हो जाती है;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सर्पदंश रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक एंटी स्नेक वाइल इंजेक्शन (Anti Snake Venom) की उपलब्धता निःशुल्क सुनिश्चित की गयी है। ताकि अस्पताल में आनेवाले सर्पदंश पीड़ित मरीज का ईलाज ससमय किया जा सके। वर्तमान में 39178 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की मात्रा उपलब्ध है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डो में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 22/विधानसभा(अल्पसूचित)–09/2025 77(22) स्वा० राँची, दिनांक– 18·08·2025

प्रतिलिपि : उपसचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र० 1854/वि०स० रॉची, दिनांक 24.07.2025 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 (दिनांक 05.08.2025 के बदले) को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–18 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन स्थलों को अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव की माँग की गयी है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों के साथ पश्चिमी सिंहभूम के मंझगाँव विधानसभा के तांतनगर, मंझारी एवं मंझगाँव के पर्यटक स्थलों को प्रखण्ड से प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेज दी गयी है ;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विभिन्न प्रखण्डों से प्राप्त प्रस्ताव को विचार करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के मंझगाँव, मंझारी एवं तांतनगर के विभिन्न पर्यटन स्थल को अधिसूचित करने की कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	विदित हो कि प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 1229 दिनांक 30.07.2025 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, पश्चिमी सिंहभूम को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/79/2025 1342 /राँची, दिनांक 22-08-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2038/वि०स०, दिनांक–30/07/2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

जितेन्द्र

3205
20/08/2025

श्री राज सिन्हा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–21

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक का नामकरण "आचार्य" कर दिया गया है और पुराने ग्रेड पे. रु. 4,200/– रु. 4600/– और रु. 4,800/– को विलोपित कर नया ग्रेड पे रु. 2,400/– रु. 2,800/– और रु. 4,200/– किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि – *(i)* राज्य सरकार द्वारा बेहतर शैक्षणिक एवं मानव प्रबंधन के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा व्यवस्था के ढ़ांचे एवं सुझावों के आलोक में राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के पठन–पाठन हेतु नए समेकित माध्यमिक (कक्षा 9 से 12) आचार्य संवर्ग, ग्रेड पे. रु. 4200/– का गठन किया गया है, जिनके विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। *(ii)* इसके अंतर्गत कक्षा 09 से 12 के लिए पठन–पाठन हेतु पूर्व से स्वीकृत 11 विषयों के अतिरिक्त 23 विषयों में, मानविकी, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा सहित कुल 34 विषयों के पठन–पाठन का प्रावधान किया गया है। *(iii)* उपर्युक्त के अतिरिक्त, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान के अनुरूप प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1–5) में कम से कम 2 इंटर प्रशिक्षित अध्यापक तथा मध्य/उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6–8) में कम से कम 3 उच्च प्राथमिक स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक की उपलब्धता हेतु विभागीय संकल्प सं. 2102 दिनांक 30.08.2022 द्वारा क्रमशः इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, लेवल–4, ग्रेड पे. रु. 2400/– के 20825 पद तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, लेवल–5, ग्रेड पे. रु0 2800/– के 29175 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनके विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2012 एवं 2016 के सर्टिफिकेट पर पूर्व में सिर्फ काउंसिलिंग कराकर नौकरी पाए शिक्षक खण्ड (01) में वर्णित पुराने ग्रेड पे प्राप्त करेंगे, परन्तु उसी शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वारा प्राप्त प्रमाण–पत्र से एक से अधिक परीक्षा देकर नौकरी पाने वाले नाम परिवर्तित "आचार्य" (शिक्षक) नये ग्रेड पे प्राप्त करेंगे, जो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लंघन है;	उपर्युक्त क्रम में प्रावधान अंकित किया गया है कि पूर्ववर्त्ती प्राथमिक इंटर प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा 1–5), ग्रेड पे. रु. 4200/–, उच्च प्राथमिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा 6–8), ग्रेड पे. रु. 4600/–, माध्यमिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा 9–10), ग्रेड पे. रु. 4600/– तथा +2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा 11–12), ग्रेड पे. रु. 4800/– का संवर्ग मरणशील (Dying) होगा। अतएव् नए संवर्ग के गठन तथा पूर्ववर्त्ती संवर्ग के मरणशील (Dying) घोषित किए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप "समान कार्य के लिए समान वेतन" का मामला लागू नहीं होगा, जो माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **Civil Appeal No. 4862/2019, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम् बिहार सेकेंड्री टीचर्स स्ट्रगल कमिटी, मुंगेर एवं अन्य समरूप वाद में दिनांक 10.05.2019 को पारित आदेश** से भी सुस्पष्ट है।

श्री राज सिन्हा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–21		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षक को सिर्फ नामकरण परिवर्तित कर "आचार्य" करने के आधार पर न करके पुराने ग्रेड पे को यथावत रखने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 01 एवं 02 से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–152/2025 3205 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(21)

डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी में कई नर्सिंग होम का संचालन बिना पंजीकरण एवं आवश्यक निर्देशों की अवहेलना करके अवैध रुप से किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिला के अन्तर्गत सभी प्रखण्ड में निबंधित नर्सिंग होम संचालित है। बिना निबंधन के संचालित नर्सिंग होम की जानकारी मिलने पर तत्तकाल कार्रवाई की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नर्सिंग होमों में अप्रशिक्षित एवं गैर मान्यता प्राप्त लोगों द्वारा चिकित्सा एवं सर्जरी करने के कारण आजतक कई मरीज एवं जच्चा-बच्चा की जा जा चुकी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिला में पाँकी प्रखण्ड के अन्तर्गत किरण सिंह, नर्सिंग होम की सूचना मिलने पर उसे तत्काल सील कर कार्रवाई की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मरीजों की जान से खेलने वाले अवैध नर्सिंग होमों को बंद करने एवं इनके संचालनों पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है यदि, हाँ, तो कब तक नही, तो क्यों?	वस्तु स्थिति यह है कि अवैध नर्सिंग होम की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। पलामू सिविल सर्जन द्वारा यह सूचना दी गयी है कि उक्त जिले में कुल सात वैसे नर्सिंग होम पर आर्थिक दण्ड एवं सील करने की कार्रवाई की गई है, जो अवैध रुप से संचालित थे।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-11/2025 180 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः- 21/8/2025

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-1892 वि0स0 दिनांक-27.07.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.08.25

सरकार के उप सचिव।

श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मई, 2025 में सरकार के द्वारा केन्द्र से विशेष स्वास्थ्य पैकेज की मांग की गयी है, जिसपर केन्द्र द्वारा मांग के अनुरूप विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के देख–रेख का अभाव, चिकित्सकों की कमी और मरीजो को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और सरकार ने ऐसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी अस्पतालों में 10/– रू0 में 10 जांच की व्यवस्था की है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे की सीमा वाले एवं आयुष्मान भारत अन्तर्गत शामिल लोगों के लिए निःशुल्क जाँच की व्यवस्था है एवं अन्य के लिए नाममात्र शुल्क निर्धारित है। सरकारी अस्पतालों में 10 जाँच 10/– रूपये प्रति जाँच हेतु संचिका प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार को झारखण्ड की आवश्यकताओं पर आवश्यक रिपोर्ट समर्पित करने और खण्ड–2 के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	उपरोक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 21/वि0स0–06–28/2025 138 (21) स्वा0 राँची, दिनांक– 23.8.2025

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं0–1856/वि0स0 राँची, दिनांक–24.07.2025 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.25

(धीरंजन प्रसाद शर्मा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री निरल पुरती, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–16 से संबंधित उत्तर :–

<table>
<tr><th>क्रं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>01</td><td>क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के अधिकतर एवं पश्चिमी सिंहभूम के डिग्री महाविद्यालय मंझगाँव में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के स्तर पर क्रमशः स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं (यथा, मैथिली, उर्दू, बंग्ला, कुडुख, मुंडारी, संथाली, हो, खोरठा आदि) विषयों की पढ़ाई होती है। वर्त्तमान में डिग्री महाविद्यालय मंझगाँव, पश्चिमी सिंहभूम में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>क्या यह बात सही है, कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के डिग्री महाविद्यालय मंझगाँव में शिक्षकों के 18 स्वीकृत पद के विरूद्ध मात्र 03 शिक्षक कार्यरत है जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।

सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को भेजी गयी है। नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>03</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्रीय भाषा के सम्बर्धन के लिए राज्य के विभिन्न महाविद्यालय के साथ–साथ पश्चिमी सिंहभूम के डिग्री महाविद्यालय मंझगाँव में क्षेत्रीय भाषा "हो" की पढ़ाई एवं शिक्षकों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>वर्त्तमान में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में क्षेत्रीय भाषा "हो" के लिए सहायक प्राध्यापक के तीन (03) पद सृजित हैं जिनकी नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची भेजी जा चुकी है।
<table>
<tr><th></th><th>विषय</th><th>सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पद</th></tr>
<tr><td>टाटा कॉलेज, चाईबासा</td><td>हो</td><td>1</td></tr>
<tr><td>डिग्री कॉलेज, जुगसलाई</td><td>हो</td><td>1</td></tr>
<tr><td>कोल्हान विश्व0– स्नातकोत्तर विभाग</td><td>हो</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>3</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–94/2025 1608 /   राँची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–2036, दिनांक–30.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के उप सचिव

श्री निर्मल महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11 का उत्तर :–

क्र0सं0	विषय	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालय में झारखण्ड के सभी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की बी0एड एवं स्नातकोत्तर पढ़ाई प्रारंभ नहीं होने के कारण मूलवासी/आदिवासी छात्र/छात्रायें बी0एड एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तरीय की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं;	अस्वीकारात्मक। राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार :– • रॉची विश्वविद्यालय, रॉची एवं डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची में बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। • सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में हिन्दी एवं संथाली विषय में बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। • विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में बी0एड0 स्तर पर Pedagogy विषय में खोरठा, कुरमाली, कुडुख, संथाली, मुण्डारी एवं पंचपरगनिया विषय में पढ़ाई होती है। • कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में स्नातकोत्तर स्तर पर संथाली, हो एवं कुरमाली भाषा साहित्य की पढ़ाई होती है, जबकि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में विद्यार्थी जिस विषय में नामांकन लेते हैं, उस विषय में बी0एड0 की पढ़ाई होती है। • जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में बी0एड0 एवं स्नातकोत्तर स्तर में संथाली भाषा की पढ़ाई होती है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई बी0एड एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तर की सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में शुरू करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक–01/वि0स0–92/2025...1606.../ रॉची, दिनांक–...20/08/2025

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके पत्रांक–1894 दिनांक–27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/08/25
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

Plan

श्री भूषण बाड़ा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अन्तर्गत सभी CHC/PHC/ PHSC में चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी ICU की अनुपलब्धता एवं आधुनिक मशीनों की कोई व्यवस्था नहीं होने से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला अन्तर्गत संचालित अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सदर अस्पताल, सिमडेगा में PICU Ward संचालित है एवं अस्पताल में आवश्यक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध है, जिससे अस्पताल में आए मरीजों का का ईलाज किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 में सिमडेगा जिला में 06 विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापन किया गया है तथा विभाग के स्तर से भी माह जुलाई, 2025 में सिमडेगा जिला में 05 चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है। सिमडेगा जिला में कुल–42 चिकित्सक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि संसाधनों की कमी/अनुपलब्धता के कारण गर्भवती महिलाएं/बच्चें/गंभीर मरीज भारी परेशानी में रहते है ;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, सिमडेगा में PICU Ward, SNCU Ward संचालित है तथा रेफरल अस्पताल, ठेठईटांगर में NBSU Ward संचालित है जहाँ बच्चों का समुचित ईलाज किया जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं हेतु सभी स्वास्थ्य संस्थानों में लेबर रुम तथा सदर अस्पताल, सिमडेगा में ओ0टी0 भी संचालित है, जहाँ गर्भवती मरीजों का सम्पूर्ण ईलाज किया जाता है। सदर अस्पताल, सिमडेगा में 10 Bed ICU संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है। 15वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत मशीन उपकरण आवश्यकतानुसार अस्पातालों मे मशीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विषय गंभीर पहल कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–57/2025 947(3) राँची, दिनांक: 23.8.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०– 2034/वि०स० दिनांक 30.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.25

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान– सभा
तृतीय (मानसून) पूरक सत्र
वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 03 भाद्र, 1947 (श0) को 25 अगस्त, 2025 (ई0) झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0=	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
22–	शि– 03	श्री समीर कुमार मोहन्ती	वाणिज्य संकाय की पढ़ाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
@ 23–	ख– 02	श्री रोशन लाल चौधरी	दोषी कंपनी पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	27.07.2025
24–	उत– 07	श्रीमती ममता देवी	स्टेडियम के रूप में परिवर्त्तन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
25–	उ– 01	श्री अमित कुमार	नीति निर्धारण।	उद्योग	28.07.2025
26–	उत– 04	प्रकाश राम	पठन–पाठन प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
27–	शि– 14	श्री सरयू राय	कर्मचारियों का समायोजन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025
28–	शि– 11	श्री अमित कुमार यादव	एक समान वेतन लागू करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025
29–	टन– 04	श्री अमित कुमार	प्रशिक्षक की नियुक्ति।	पर्यटन, कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य	28.07.2025

01	02.	03.	04.	05.	06
30—	टन— 03	श्री घन्नजय सोरेन	स्टेडियम का निर्माण	पर्यटन, कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य	27.07.2025
31—	उत— 08	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	पढ़ाई प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
32—	स— 09	श्री कुमार उज्जवल	विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
33—	उत— 10	श्री रामचन्द्र सिंह	डिग्री महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	27.07.2025
34—	स— 01	श्री आलोक कुमार चौरसिया	चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	22.07.2025
35—	शि— 01	मो0 ताजुद्दीन	शिक्षा परियोजना से जोड़ना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2025
36—	शि— 02	श्री आलोक कुमार चौरसिया	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.07.2025
37—	शि— 16	श्री देवेन्द्र कुंवर	समान कार्य के बदले समान वेतन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025
38—	स— 02	श्री अरूप चटर्जी	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
** 39—	उत— 01	डॉ0 नीरा यादव	पढ़ाई आरंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
40—	टन— 02	श्री रामचन्द्र सिंह	पार्क का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य	27.07.2025
41—	शि— 10	श्री नागेन्द्र महतो	रोजगार देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
42—	स— 04	श्री अनन्त प्रताप देव	स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
43—	उत— 06	श्री सुरेश कुमार बैठा	डिग्री कॉलेज का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
44—	उत— 12	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	समायोजन करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	29.07.2025
45—	टन— 01	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य	24.07.2025

कृ0पृ0उ0—

01	02.	03.	04.	05.	06
46—	स— 07	श्री आलोक कुमार सोरेन	दवा एवं उपकरण उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
47—	स— 06	श्री नागेन्द्र महतो	स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
48—	शि— 09	श्री सुरेश कुमार बैठा	नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
49—	उत— 09	श्री नरेश प्रसाद सिंह	डिग्री कॉलेज की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	27.07.2025
50—	शि— 05	श्री अनन्त प्रताप देव	बालिका उच्च विद्यालय स्थापित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
51—	शि— 06	श्रीमती निसात आलम	माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
52—	स— 08	श्री नरेश प्रसाद सिंह	अस्पताल भवन चालू कराना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
53—	शि— 15	श्री सुदीप गुड़िया	विद्यालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025
# 54—	शि— 08	श्री प्रदीप प्रसाद	पढ़ाई आंरभ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
55—	स— 03	श्री जर्नादन पासवान	चिकित्सक का पद स्थापन।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
56—	स— 05	श्रीमती ममता देवी	मानव बल बढ़ाना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2025
57—	स— 12	श्री सुदीप गुड़िया	चिकित्सकों की नियुक्ति।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
# #58—	उत— 11	श्री नवीन जयसवाल	रिक्त पद पर नियुक्ति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	27.07.2025
59—	ख— 03	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	बालू घाटों की निलामी।	खान एवं भूतत्व	29.07.2025
60—	वन— 02	श्री मथुरा प्रसाद महतो	नियुक्ति कराना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	28.07.2025
61—	उत— 05	श्री जयराम कुमार महतो	पढाई प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
62—	शि— 17	श्री मनोज कुमार यादव	वेतन भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	28.07.2025

कृ0पृ0उ0—

01	02.	03.	04.	05.	06
63—	वन— 01	श्रीमती सबिता महतो	हाथियों के आतंक से निजात।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	28.07.2025
64—	ख— 01	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	बालू घाटों की निलामी।	खान एवं भूतत्व	24.07.2025
65—	शि— 04	श्री अरूप चटर्जी	प्रक्रिया का सरलीकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
66—	स— 10	श्री कुमार उज्जवल	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
67—	उत— 02	श्रीमती निसात आलम	महिला महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
68—	स— 13	श्री मथुरा प्रसाद महतो	ट्रामा सेन्टर का निर्माण।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	28.07.2025
69—	शि— 13	श्री दशरथ गागराई	कार्य प्रारंभ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025
70—	स— 11	श्री उदयशंकर सिंह	चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	27.07.2025
71—	उत— 03	श्री प्रकाश राम	महिला महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.07.2025
72—	शि— 07	श्री जनार्दन पासवान	गृह जिला में पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.07.2025
73—	शि— 12	श्री आलोक कुमार सोरेन	चहारदीवरी का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.07.2025

नोट— @ आदेश पत्र संख्या—23— ख— 02— खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक— 1387, दिनांक— 02.08.25 के द्वारा उद्योग विभाग में स्थानांतरित।

* आदेश पत्र संख्या— 24— उत—07 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक— 1423, दिनांक— 28.07.25 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग में स्थानांतरित।

* * आदेश पत्र संख्या— 39— उत—01 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक— 1448, दिनांक— 30.07.25 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

\# आदेश पत्र संख्या— 54— शि—08 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक— 1470, दिनांक— 28.07.2025 के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानांतरित

\#\# आदेश पत्र संख्या— 58— उत— 11 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक— 1467, दिनांक— 01.08.2025 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक— 25 अगस्त, 2025 (ई0)।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0—

ज्ञाप संख्या— झा0वि0स0—08/2025—...3015.../वि0स0, रांची, दिनांक— 22/08/25

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 21/8/25

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0वि0स0—08/2025—...3015.../वि0स0, रांची, दिनांक 22/08/25

प्रतिः— अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 21/8/25

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0वि0स0—08/2025—...3015.../वि0स0, रांची, दिनांक 22/08/25

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/वेबसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा एवं ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान सभा राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 21/8/25

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष/

3207
20/08/2025

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–03

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा कई उच्च विद्यालयों को 10 +2 में उत्क्रमित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित कुछ विद्यालयों में विज्ञान एवं कला संकाय तथा लगभग सभी विद्यालयों में कला संकाय में पठन–पाठन की क्रियाएँ चल रही हैं, परन्तु किसी भी उत्क्रमित विद्यालयों में वाणिज्य (*Commerce*) संकाय में पठन–पाठन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है;	अस्वीकारात्मक। राज्यान्तर्गत वर्ष 2006 से 2024 तक +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित 742, +2 विद्यालयों में से 451 उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों में 11 विषयों– हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं वाणिज्य के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 4961 पद स्वीकृत है एवं तीनों +2 संकायों – कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में पठन–पाठन संचालित है। वर्त्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के पठन–पाठन हेतु पूर्व से गठित कक्षा 09 एवं 10 के लिए माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संवर्ग (TGT) एवं कक्षा 11 एवं 12 के लिए +2 विद्यालय शिक्षक संवर्ग (PGT) के स्थान पर कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के पठन–पाठन हेतु नये समेकित माध्यमिक आचार्य संवर्ग (कक्षा 09–12) का गठन किया गया है, जिसके तहत शेष 291 उत्क्रमित +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य के पदसृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त 291 उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों में से कतिपय +2 उच्च विद्यालयों में भी सभी संकायों में तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्रतिनियोजन के माध्यम से पठन–पाठन संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित विद्यालयों में वाणिज्य (*Commerce*) संकाय में पठन-पाठन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

20/08/25
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–134/2025 3207 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के अवर सचिव।

श्री रोशन लाल चौधरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ और हजारीबाग जिला में 25 से अधिक खनन परियोजनाएँ एवं 40 से अधिक छोटे–बड़े उद्योग संचालित है, लेकिन किसी कंपनी या एजेन्सी के द्वारा विगत 10 वर्षों से सीएसआर फंड की राशि का खर्च कम्पनी अधिनियम–2013 धारा 135 के Schedule VII निर्धारित क्षेत्र में नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जिला में सीएसआर फंड की राशि का जिला स्थापना से संबंधित सामग्रियों को खरीदने एवं संबंधित क्षेत्र से बाहर राशि खर्च की गई है जो नियम के विपरीत हैं;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ और हजारीबाग में विगत 10 वर्षों का सीएसआर मद का अंकेक्षण कराकर दोषी कंपनियों एषं पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	Ministry of Corporate Affairs, New Delhi के General circular No.-14/2021, dated 25th August 2021 द्वारा निर्गत Frequently Asked Questions (FAQ), के कंडिका–2.2 में निहित प्रावधानानुसारः कम्पनियों की CSR कमिटी द्वारा CSR नीति तैयार की जाती है। उक्त तैयार CSR नीति के आधार पर एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। पात्र कंपनियाँ अपने क्षेत्र अंतर्गत CSR मद अंतर्गत योजना का चयन एवं व्यय करती है। Ministry of Corporate Affairs, New Delhi के General circular No.-14/2021, dated 25th August 2021 द्वारा निर्गत Frequently Asked Questions (FAQ), के कंडिका–2.4 में निहित प्रावधानानुसार : कम्पनी का बोर्ड अपनी CSR समिति की सिफारिशों के आधार पर CSR गतिविधियों की योजना बनाने, अनुमोदन करने, क्रियान्वयन एवं निगरानी करने के लिए अधिकृत है।

		किसी कम्पनी के CSR कार्यक्रमों /परियोजनाओं के अनुमोदन एवं कार्यान्वयन में सरकार का कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। कंपनियों द्वारा CSR प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में Ministry of Corporate Affairs भारत सरकार द्वारा ही कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–49/2025 1061 /राँची, दिनांकः–21/08/25

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1904 दिनांक–27.07.2025 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/08/25

सरकार के अवर सचिव

श्रीमती ममता देवी, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 (दिनांक 05.08.2025 के बदले) को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –उत–07 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती ममता देवी, सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत गोला प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय डिमरा में बच्चों के लिए खेल मैदान स्थित है;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक–315/जि०खे०, दिनांक–31.07.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विद्यालय दो खण्डों में है एवं दानों खण्डों के विद्यालय में चाहरदिवारी है। इन दोनों खण्डों के अलावा खेल का मैदान अलग अवस्थित है जिसमें चाहरदिवारी नहीं है। खेल का मैदान लगभग 1.7 एकड़ में है। विभागीय मानक प्राक्कलन के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु कम से कम 2.63 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विद्यालय में उपलब्ध भूमि के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण करना संभव नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि बारिश हो जाने पर उक्त मैदान बच्चों के खेलने लायक नहीं रह जाता है, जिसके कारण बच्चों को खेलने एवं वृद्धों को टहलने में काफी परेशानी होती है;	
3	क्या यह बात सही है कि गोला प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय डिमरा के मैदान को खेल स्टेडियम बनाने से प्रखण्डवासियों एवं अध्ययनरत छात्रों को लाभ मिलेगा;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	रामगढ़ जिलान्तर्गत गोला प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग उपायुक्त, रामगढ़ से की गई है। प्रस्ताव एवं भूमि विवरणी प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–78/2025 1347/ राँची, दिनांक 22.08.2025

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1840/वि०स०, दिनांक–24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
22/8

4

3219
20/08/2025

श्रीमती ममता देवी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–07

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत गोला प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय, डीमरा में बच्चों के लिए खेल का मैदान स्थित है;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक 315/जि.खे. दिनांक 31.07.2005 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विद्यालय दो खण्डों में है एवं दोनों खण्डों के विद्यालय में चाहरदिवारी है। इन दोनों खण्डों के अलावा खेल का मैदान अलग अवस्थित है, जिसमें चाहरदिवारी नहीं है। खेल का मैदान लगभग 1.7 एकड़ में है।
2	क्या यह बात सही है कि बारिश हो जाने पर उक्त मैदान बच्चों के खेलने लायक नहीं रह जाता है, जिसके कारण बच्चों को खेलने एवं वृद्धों को टहलने में काफी परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गोला प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय, डीमरा के मैदान को खेल स्टेडियम बनाने से प्रखण्डवासियों एवं अध्ययनरत छात्रों को लाभ मिलेगा;	संबंधित प्रशासी विभाग के विभागीय मानक प्राक्कलन के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु कम से कम 2.63 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विद्यालय में उपलब्ध भूमि के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण करना संभव नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–3 से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है।

20/08/25
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–149/2025....3219..../ दिनांक...20/08/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित विभिन्न उद्योगों यथा–हिण्डालको BSL, TATA आदि कंपनियों द्वारा CSR Fund के उपयोग हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नीति नहीं हैं;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कंपनियों द्वारा की जा रही CSR Fund राशि के उपयोग की जाँच एवं जानकारी सरकार द्वारा प्राप्त करने हेतु स्पष्ट नीति नहीं हैं;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नीति निर्धारित करने हेतु पहल करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	CSR हेतु की जानेवाली कार्रवाई Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India द्वारा अधिसूचित Companies Act, 2013 के Section 135 एवं The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 तथा Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India द्वारा निर्गत FAQs में यथा प्रावधानित अनुसार संचालित होती है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–48/2025 1069 /राँची, दिनांक:– 22/08/25
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1926 दिनांक–28.07.2025 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/08/25
सरकार के अवर सचिव

श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–04 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय हेतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान किया गया था, तथा जिला प्रशासन लातेहार द्वारा उक्त महाविद्यालय हेतु भूमि का चयन कर लिया गया था ;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–367/रा0 दिनांक–28.05.2019 के द्वारा लातेहार जिला अन्तर्गत अंचल–बालूमाथ, ग्राम–तसतबार, थाना संख्या–70, खाता संख्या–91, प्लॉट संख्या– 731 कुल रकबा–5.00 एकड़ भूमि डिग्री महाविद्यालय, बालूमाथ के लिए चिन्हित किया गया है।
02	क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होने के कारण इसे अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा डिग्री महाविद्यालय, बालूमाथ के निर्माण हेतु कुल राशि रू0 38,82,08,000/– (अड़तीस करोड़ बयासी लाख आठ हजार) रूपये मात्र का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त डिग्री महाविद्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए भवन निर्माण एवं शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए पठन–पाठन का कार्य शुरू कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–80/2025 1613 / राँची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–1842, दिनांक–24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25

सरकार के उप सचिव

3211
20/08/2025

श्री सरयू राय, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–14 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू होने के पश्चात् झारखण्ड के डिग्री अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बन्द हो गई है और 10+2 स्कूलों की कमी के कारण मैट्रिक पास विद्यार्थियों के 10+2 में नामांकन में कठिनाई हो रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि – (*i*) नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट शिक्षा की व्यवस्था समाप्त किए जाने/11वीं कक्षा में कोई नामांकन नहीं लिये जाने तथा वैसे छात्र, जो पूर्व में उक्त संस्थानों में नामांकित हैं एवं जिनके द्वारा 11वीं का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है, मात्र उनके मामले मे इस शैक्षणिक वर्ष तक 12वीं की कक्षा जारी रखने के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिवालय से निर्गत पत्रांक 1495 दिनांक 30.05.2025 एवं पत्रांक 1899 दिनांक–11.07.2025 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों को पत्र दिया गया था। (*ii*) उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 1896 दिनांक 12.06.2025 द्वारा सभी उपायुक्त, सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 801 (510+125+166) सरकारी +2 विद्यालयों तथा 178 झारखण्ड इंटरमीडिएट स्थापना अनुमति प्राप्त अथवा प्रस्वीकृति प्राप्त महाविद्यालयों में सुचारू नामांकन हेतु पत्र दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि डिग्री अंगीभूत महाविद्यालयों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग से हो जाने के कारण वहाँ पर कार्यरत इंटरमीडिएट शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के समक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;	अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत इंटरमीडिएट की पढ़ाई में संलग्न किए गए शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा नयी शिक्षा नीति के लागू होने एवं इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई, स्नातक स्तर से अलग माध्यमिक शिक्षा/स्कूली शिक्षा के अंतर्गत संचालित होने के प्रावधान के फलस्वरूप, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में अपने समायोजन हेतु W.P.(S) No. 821 of 2023 एवं अन्य 16 समरूप वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 11.04.2023, 01.08.2023 एवं 17.08.2023 को पारित आदेश में उनकी सेवा के समायोजन के अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए, उन्हें सचिव, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के पास नियमानुकूल विचार हेतु अभ्यावेदन समर्पित किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध वादीगण द्वारा क्रमशः LPA No. 306/2023 एवं अन्य 16 अपील वाद दायर किया गया था। दिनांक 25.04.2024 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में उपर्युक्त सभी LPA मामले को एक साथ खारिज की गयी है।

श्री सरयू राय, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–14

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के पर्याप्त 10+2 विद्यालय खोलने, विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित करने तथा बेरोजगार शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राज्य के 10+2 विद्यालय में समायोजित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में झारखंड राज्य सरकार के अन्तर्गत पूर्व से उत्क्रमित 510 सरकारी +2 विद्यालयों के अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या–98 दिनांक–12.01.2022 के द्वारा उत्क्रमित 125 सरकारी +2 विद्यालयों तथा विभागीय संकल्प संख्या–822 दिनांक–12.03.2024 के द्वारा उत्क्रमित 166 सरकारी +2 विद्यालयों में +2 स्तर का पठन–पाठन संचालित है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड इंटरमीडिएट स्थापना अनुमति प्राप्त अथवा प्रस्वीकृति प्राप्त 178 महाविद्यालयों में भी इंटरमीडिएट स्तर के पठन–पाठन की व्यवस्था है। फलस्वरूप इंटरमीडिएट स्तर के पठन–पाठन की +2 विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचना है। Local arrangement के अंतर्गत इंटरमीडिएट की पढ़ाई में संलग्न शिक्षक/शिक्षिकाओं के समायोजन से संबंधित बिंदू legitimate expectation से आच्छादित नहीं है, जो माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **CIVIL APPEAL NOS. 7256-7259 /2024, ARMY WELFARE EDUCATION SOCIETY, NEW DELHI Vs. SUNIL KUMAR SHARMA & ORS. ETC.** वाद में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **CIVIL APPEAL NO. 233/1991, Union of India & Ors. Vs. Tejram Parashramji Bombhate** तथा **CIVIL APPEAL NO. 480/1989, Tejram Parashramji Bombhate Vs. Ordnance Factory, Ambazari, Nagpur & Ors.** वाद में पारित आदेश से भी सुस्पष्ट है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–147/2025 3211 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1681
19/08/2025

श्री अमित कुमार यादव, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०–11

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सहायक अध्यापकों को वर्त्तमान महंगाई दर के अनुपात में अत्यंत ही कम वेतन का भुगतान हो रहा है;	अस्वीकारात्मक । पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक का चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए रु.1000/– मासिक मानदेय पर किया गया था। झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 कंडिका 7 (i) के प्रावधानानुसार JTET उत्तीर्ण सहायक अध्यापक के मानदेय में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 50% की वृद्धि की गई है तथा (JTET) अनुत्तीर्ण सहायक अध्यापक के मानदेय में 40% की वृद्धि की गई है। आकलन परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि से मानदेय में अतिरिक्त 10% की वृद्धि बोनस के रूप में दी गई है। उक्त नियमावली की कंडिका–9 (ii) के प्रावधानानुसार प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में 4% प्रतिवर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान्य होगी के आलोक में वर्द्धित मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कुछ विभागों के संविदा कर्मियों को समान काम समान वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है, परंतु सहायक अध्यापकों को यह सुविधा नहीं मिल रही है;	अस्वीकारात्मक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड में किसी भी संविदा कर्मी को समान काम समान वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहायक अध्यापकों को भी अन्य संविदा कर्मियों की तरह समान काम के बदले समान वेतनमान लागू करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपने स्थायीकरण एवं समान कार्य समान वेतन के मामले में याचिका संख्या WP(S) No.315/2016 सुनिल कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई थी। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित कारणों को अंकित करते हुए उक्त मामले को खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका SLP(C)No.4881/2024 सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में सरकार की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दायर किया गया है। मामले की सुनवाई प्रक्रियाधीन है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1060 दिनांक 07.06.2022 में सहायक आचार्य के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद पारा शिक्षकों सम्प्रति सहायक

Khurshid

		अध्यापक हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 26001 रिक्त पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। पारा शिक्षकों सम्प्रति सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण एवं स्थायी शिक्षक के समान वेतनमान लागू नहीं किया जा सकता है।

19.08.25

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–02–98/2025......1681......./ राँची, दिनांक 19/08/2025

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1913 दिनांक 27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री अमित कुमार, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 (दिनांक 05.08.2025 के बदले) को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–04 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री अमित कुमार, सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने अपने ज्ञापांक–384, दिनांक–03.03.2025 के द्वारा राँची जिला के सिल्ली प्रखण्ड स्थित फुटबॉल स्टेडियम में शीघ्र फुटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति करने की घोषणा किया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम में आवासीय फुटबॉल शिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु जिला संचालन समिति से अनुशंसा प्राप्त है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला संचालन समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला खेल संचालन समिति से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा एवं अग्रतर अनुशंसा निदेशक, क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित अनुशंसा समिति द्वारा किया जाना है एवं उक्त अनुशंसा के आलोक में मा० विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना प्रावधानित है। आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में क्रीड़ा प्रशिक्षकों की संविदा आधारित नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संविदा आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। सिल्ली प्रखण्ड में आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केन्द्र का अधिष्ठापन तथा उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में फुटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई क्रमशः एक माह एवं तीन माह में निष्पादित करना क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–411, दिनांक–30.07.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–76/2025 1346 / राँची, दिनांक 22-08-2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1924/वि०स०, दिनांक–28.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

3

श्री धनंजय सोरेन, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 (दिनांक 05.08.2025 के बदले) को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–03 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता श्री धनंजय सोरेन, सदस्य विधान सभा	**उत्तर दाता** *श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का बोरियों विधान सभा क्षेत्र जन जातीय बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर फुटबॉल से यहाँ के लोगों को फुटबॉल से अत्यधिक लगाव है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बोरियों विधान सभा के मंडरों प्रखण्ड में एक भी फुटबॉल स्टेडियम नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मंडरो प्रखण्ड में एक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज जिलान्तर्गत मंडरो प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग उपायुक्त, साहेबगंज से की गई है। प्रस्ताव एवं भूमि विवरणी प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–74/2025 1344 / राँची, दिनांक 22-08-2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1900/वि०स०, दिनांक–27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

2

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–08 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर विधान सभा में एक एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा वैसे विधान सभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, उन विधान सभा क्षेत्रों में नये डिग्री महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।
02	क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोलेबिरा प्रखण्ड में भवन विभाग द्वारा डिग्री कॉलेज बन कर तैयार हो गया है;	स्वीकारात्मक। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, कोलेबिरा का भवन निर्माण कार्य पूर्ण है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा भवन हस्तातंरण की कार्रवाई की जा रही है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी चालू वित्तीय वर्ष में कोलेबिरा प्रखण्ड में बनकर पूर्ण हुए कॉलेज भवन में डिग्री कॉलेज पढ़ाई शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री महाविद्यालय, कोलेबिरा का भवन हस्तातंरण के पश्चात् अगले शैक्षणिक सत्र (2026–27) से पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–79/2025 1611 /   राँची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–1836, दिनांक–24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25

सरकार के उप सचिव

श्री कुमार उज्जवल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–09 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के तंडवा प्रखण्ड में चिकित्सकों की कमी के कारण इलाज नहीं किया जा रहा है, साथ ही यहां पर अस्पतालों में मैन पावर की कमी है ;	अस्वीकारात्मक। चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया विधान सभा क्षेत्र के टंडवा प्रखण्ड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टंडवा में 02 चिकित्सक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कागांव में 01 महिला चिकित्सक पदस्थापित है, इसके अतिरिक्त कुल–14 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है। टंडवा प्रखण्ड के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तंडवा के सरकारी अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ समेत चिकित्सकों तथा कर्मियों की पदस्थापना करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–56/2025 941(3) राँची, दिनांक: 21.8.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1901/वि०स० दिनांक 27.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.25

सरकार के अवर सचिव

श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–10 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के छात्र–छात्राओं को 12वीं के उपरांत उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु डिग्री महाविद्यालय मेदनीनगर 30 कि0मी0, मनिका 60 कि0मी0 एवं लातेहार 75 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक ।
02	क्या यह बात सही है कि बरवाडीह प्रखण्ड घनी आबादी वाला भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यंत घना वन क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित है साथ ही यह क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के कारण यहाँ के छात्र–छात्राएँ जो अधिकांशतः अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग बहुल है को उच्च शिक्षा हेतु आवागमन में काफी कठिनाई होती है, साथ ही कई एक को अत्याधिक दूरी तय करने एवं आर्थिक तंगी के कारण 12वीं के बाद ड्राप आउट करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में बरवाडीह प्रखण्ड में कोई महाविद्यालय नहीं है, अपितु राज्य सरकार द्वारा नया डिग्री महाविद्यालय की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
04	क्या यह बात सही है कि बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय का अधिष्ठापन हेतु उपायुक्त, लातेहार द्वारा प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक–383 दिनांक–23.04.2025 के द्वारा District Development Coordination and Monitoring Committee (DDCMC) "DISHA" की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बरवाडीह प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक–93/बजट दिनांक–14.07.2025 द्वारा उपायुक्त, लातेहार को बरवाडीह प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
05	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय का अधिष्ठापन अतिशीघ्र करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, लातेहार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसका आकलन कराते हुए सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–89/2025 1609/ रॉंची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–1907, दिनांक–27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25

सरकार के उप सचिव

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–01 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भण्डरिया प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की 10 पद सृजित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्रखण्ड की परिधि में लगभग 76 गॉव आते है, जिसकी आबादी लगभग एक लाख के करीब है तथा एक मात्र चिकित्सकों के सहारे उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंडरिया में पदस्थापित 01 चिकित्सक तथा चलन्त ग्राम क्लीनिक के तहत् नियुक्त कुल–09 आयुष चिकित्सक की रोस्टर के अनुसार अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। भंडरिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवा एवं मेडिकल उपकरण की उपलब्धता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड मुख्यालय के आबादी के हिसाब से जनहित में पर्याप्त चिकित्सकों का पदस्थापन, दवा एवं मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सकों के उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। सभी अस्पताल में दवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख–रखाव योजना के तहत पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है। IPHS मानके के अनुसार सभी अस्पतालों में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–48/2025 944(3) राँची, दिनांक: 21.8.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1807/वि०स० दिनांक 22.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.25
सरकार के अवर सचिव

3209
20/08/2025

मो. ताजुद्दीन, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–01 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान् वर्ष, 2016 से मिल रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 186 अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठा वेतनमान् मिल रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–2956 दिनांक–25.11.2011 द्वारा तदेन प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 186 मदरसों एवं 12 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से वैचारिक लाभ देते हुए एवं संकल्प निर्गत की तिथि से आर्थिक लाभ दिए जाने का संकल्प निर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि मदरसों को झारखण्ड शिक्षा परियोजना से जोड़ने से मदरसों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को भी सरकारी स्कूल के भाँति पोशाक, भवन, डेस्क–बेंच व अन्य सुविधा मिल सकेगी;	एतद्संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है एवं न ही विचाराधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मदरसों के कर्मियों को सातवां वेतनमान् उपलब्ध कराते हुए झारखण्ड के मदरसों की भी झारखण्ड शिक्षा परियोजना से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में वस्तुस्थिति अंकित है। अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) वर्त्तमान 180 मदरसों एवं 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–131/2025 3209 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

3213
20/08/2025

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–02

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भण्डरिया प्रखण्ड अंतर्गत कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं होने के चलते यहाँ की छात्राओं को पढ़ाई के लिए अन्य जगह जाना पड़ता है, जिससे काफी कठिनाई होती है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखण्ड भण्डरिया में कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का छात्राओं के हित में विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि गढ़वा जिला अंतर्गत भण्डरिया प्रखण्ड में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना दिसम्बर, 2005 में हुई है एवं संचालित है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, भण्डरिया का अपना विद्यालय भवन तथा 02 बालिका छात्रावास भी है, जिसमें कुल 424 छात्राएँ आवासीय व्यवस्था के तहत् शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वर्त्तमान में विद्यालय में कुल 05 पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ, 07 अंशकालिक शिक्षिकाएँ, 01 लेखापाल, 01 रात्रि प्रहरी, 02 होमगार्ड एवं 04 रसोईया कार्यरत हैं।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–132/2025 3213 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

झारखड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1684
19/08/2025

श्री देवेन्द्र कुँवर, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०-16

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में विगत 25 वर्षो से सहायक अध्यापक अपनी सेवा दे रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समान कार्य का समान वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक समग्र शिक्षा के तहत् अनुबंध पर कार्यरत हैं। इस कोटि के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त्त नियमावली, 2021 निर्गत है। नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक के मानदेय में वृद्धि की गई है साथ ही इनके मानदेय में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियामावली, 2022 (यथा संशोधित) में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी सहायक आचार्य के 50 प्रतिशत पद पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार राज्य सरकार पारा शिक्षकों सम्प्रति सहायक अध्यापकों के आर्थिक लाभ के लिए संवेदनशील है।

Arun
19.08.25
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०-02-96/2025....1684..../ राँची, दिनांक 19/08/2025

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1899 दिनांक 27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

Arun
19.08.25
सरकार के अवर सचिव

Khursid

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–स–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत धनबाद जिले में सर्वाईकल कैंसर के जाँच हेतु बीस (20) लाख रूपये की VIA Kit का क्रय जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) धनबाद के द्वारा एन0 सी0 डी0 सेल, धनबाद से बिना मंतव्य लिये ही कर लिया गया और तो और इसमें आवश्यक जाँच सामग्री के जगह अनावश्यक सामग्रियों का क्रय कर लिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा जिलास्तर पर जाँच करने हेतु आदेशित किये जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	सिविल सर्जन, धनबाद कार्यालय के पत्रांक 1266 दिनांक 20.05.2025 एवं पत्रांक 1909 दिनांक 29.07.2025 द्वारा जाँच हेतु टीम गठित की गयी है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही इसपर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डी0पी0एम0, धनबाद द्वारा नियम विरूद्ध रूप अनावश्यक सामग्रियों के क्रय जैसी गंभीर विषय पर अबतक हुई विभागीय जाँच का प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए इसमें दोषी पदाधिकारी पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 21/वि0स0–06–29/2025 135(21) स्वा0 राँची, दिनांक–21.08.2025

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक सं0–1857/वि0स0 रॉची, दिनांक–24.07.2025 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25

(धीरंजन प्रसाद शर्मा)
सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 नीरा यादव, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–01 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिले के सतगावां, डोमचांच और मरकच्चो प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज तथा बेकोबार में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का भवन बन कर तैयार है;	स्वीकारात्मक। कोडरमा जिले में डिग्री महाविद्यालय, सतगावां, महिला महाविद्यालय, डोमचांच का भवन निर्माण पूर्ण है एवं विश्वविद्यालय को हस्तातंरित है तथा मॉडल महाविद्यालय, मरकच्चो का भवन निर्माण पूर्ण है एवं हस्तातंरण की कार्रवाई की जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक–1116 दिनांक–01.08.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कोडरमा जिला के तथा बेकोबार में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) का भवन निर्मित है, जिसमे प्रशिक्षण दिया जाता है।
02	क्या यह बात सही है कि विशेष सुविधा युक्त डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण सुदूरवर्ती सतगावां, डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। डोमचांच में रमेश प्रसाद यादव स्नातक महाविद्यालय (संबद्धता प्राप्त) है, जिसमें छात्र–छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करते हैं।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में सतगावां, डोमचांच और मरकच्चो के डिग्री कॉलेज को इसी वित्तीय वर्ष–2025–2026 में अथवा शीघ्र चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री महाविद्यालय, सतगावां, महिला महाविद्यालय, डोमचांच एवं मॉडल महाविद्यालय, मरकच्चो में सभी अनिवार्य कार्रवाई करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र (2026–27) से शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–81/2025 1615 / रॉंची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–1838, दिनांक–24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के उप सचिव

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 (दिनांक 05.08.2025 के बदले) को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन–02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत महुआडांड प्रखण्ड मुख्यालय जो पर्यटकीय क्षेत्र महुआडांड़ लोधफोल, सुरकईफॉल (ओरसा) सुग्गा बांध, मिरचईयाफोल, बेतला, नेशनल पार्क के मध्यवर्ती घनी आबादी वाला क्षेत्र है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्रखण्ड मुख्यालय में पर्यटकों के आवागमन के दृष्टिकोण से जमशेदपुर अवस्थित जुबली पार्क के तर्ज पर पार्क निर्माण एवं महुआडांड़ में ही अवस्थित कुटूदिरी डैम (साले डैम) का विकास कार्य एवं सुन्दरीकरण कार्य से इस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलागा ;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक लातेहार जिलान्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय में पार्क निर्माण का कार्य इस विभाग से संबंधित नहीं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महुआडांड़ प्रखण्ड मुख्यालय में पार्क निर्माण कार्य एवं कुटुदिरी डैम (साले डैम) का विकास कार्य एवं सुन्दरीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 1215 दिनांक 29.07.2025 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, लातेहार को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/75/2025 1343 /राँची, दिनांक 22.08.2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1902/वि०स०, दिनांक–27/07/2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

जितेन्द्र

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1685
19/08/2025

श्री नागेन्द्र महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०–10

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि गणित प्रतिष्ठा की पढ़ाई झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं कला दोनों संकाय में समान पाठ्यक्रम एवं समान विभाग द्वारा कराया जाता है तथा विश्वविद्यालय में गणित विभाग द्वारा गणित की उपाधि दी जाती है;	विषयवस्तु उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रतिष्ठित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (विज्ञापन संख्या–13/2023) में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक (विज्ञान)/विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा) की अनुपलब्धता बताकर कला संकाय से गणित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने वाले झारखंडी आदिवासी/मूलवासी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के परीक्षा नियंत्रक ने अपने Ref No. VBU/Ex1462/2025, दिनांक 14.06.2025 में स्पष्ट किया है कि त्रिवर्षीय स्नातक विज्ञान संकाय एवं स्नातक कला संकाय में गणित प्रतिष्ठा का पाठ्यक्रम दोनों एक समान है;	सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की गई है एवं नियुक्ति हेतु परिणाम प्रकाशित की जा रही है। सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में सहायक आचार्य (विज्ञान एवं गणित विषय) के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक (विज्ञान)/विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा) की अहर्ता अनिवार्य है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्नातक कला संकाय से गणित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो विज्ञापन संख्या 13/2023 में उत्तीर्ण है, को रोजगार देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–02–89/2025....1685....../ राँची, दिनांक..19/08/2025.......

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1846 दिनांक 24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun 19.08.25
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री अन्नत प्रताप देव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स०–04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भवनाथपुर अन्तर्गत निवास कर रहे लगभग चार लाख की अबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 100 (एक सौ) बेड का "मॉडल अत्याधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र" का निर्माण अति आवश्यक है;	अस्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भवनाथपुर में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के उद्देश्य से 100 (एक सौ) बेड का मॉडल अत्याधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र (आवासीय भवन सहित) का निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	गढ़वा जिला अन्तर्गत भवनाथपुर प्रखंड की अबादी लगभग 112625 (एक लाख बारह हजार छः सौ पच्चीस) है। भवनाथपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुराने भवन में क्रियाशील है। IPH मानक के अनुसार पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र हेतु 80,000 की जनसंख्या पर एवं सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान है। भवनाथपुर प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माणाधीन है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के प्रतिवेदनानुसार भवनाथपुर में 30 शैय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अवशेष कार्य को पूर्ण करने का कार्य निगम द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–5/पी०वि०स०(तारांकित)–34/2025 305(5)   स्वा०, राँची, दिनांक 21.08.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–1861/वि0स0, दिनांक–24.07.2025 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25

अवर सचिव

श्री सुरेश कुमार बैठा, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–06 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि काँके विधानसभा अंतर्गत बुढ़मू प्रखण्ड के विभिन्न गाँवों की दूरी जिला से– 50–60 किलोमिटर तक अवस्थित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि बुढ़मू प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है;	स्वीकारात्मक। बुढ़मू प्रखण्ड में महाविद्यालय नहीं है किन्तु निकटवर्ती प्रखण्ड खलारी में उत्तरी कर्णपुरा श्रमिक महाविद्यालय (स्थायी संबद्धन महाविद्यालय) संचालित है, जो बुढ़मू प्रखण्ड से लगभग 21 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बुढ़मू में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार का प्रखण्डवार डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। बुढ़मू प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में आवश्यकता का आकलन किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–82/2025 1612 / राँची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–1837, दिनांक–24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के उप सचिव

3270
20/08/2025

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत0–12

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2025 तक राज्य के 55 अंगीभूत महाविद्यालयों में +2 के विद्यार्थियों के पठन–पाठन की जिम्मेवारी करीब 540 शिक्षकों और लगभग 300 नन टीचिंग स्टाफ के कंधों पर थी, जिन्हें अचानक हटा देने से उन सभी टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है ;	अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा शिक्षक/शिक्षिकाओं/कर्मियों को संलग्न किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की अवधि 2026 थी ;	अस्वीकारात्मक। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को 2020 से नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया था। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक 1480 दिनांक 02.08.2025 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के क्रम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत Four Year Undergraduate Programme का पहला सत्र 2022–26 से प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की उच्चस्तरीय कमेटी (RUSA) नई शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के लिए बनी थी, जिसके निर्णय का भी अनुपालन नहीं हो पाया, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है;	अस्वीकारात्मक। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक 1480 दिनांक 02.08.2025 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना झारखण्ड राज्य में वर्ष 2014 से संचालित है। इस योजना के तहत् राजकीय विश्वविद्यालय के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने के लिए वर्ष 2022 में कार्यालय आदेश सं०–25 दिनांक–08.03.2022 के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। साथ ही राज्य स्तर पर NEP Implementation Cell का गठन भी किया गया है, जिसमें राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों से प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अकादमिक सत्र 2022–2026 से सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में Four Year Undergraduate Programme (FYUGP) की व्यवस्था लागू की गयी है।

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत0–12

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

		इसके तहत् स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी। 3 वर्ष के कार्यक्रम में स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी एवं 4 वर्ष के कार्यक्रम में स्नातक (Hons.) या स्नातक (Research) की उपाधि प्राप्त होगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भांति +2 के विद्यार्थियों के पठन–पाठन का कार्य जिन 540 शिक्षकों और लगभग 300 नन टीचिंग स्टाफ के सहारे चल रहा था, उन छात्रों के पठन–पाठन के मद्देनजर समायोजन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	Local arrangement के अंतर्गत इंटरमीडिएट की पढ़ाई में संलग्न शिक्षक/शिक्षिकाओं के समायोजन से संबंधित बिंदू legitimate expectation से आच्छादित नहीं है, जो माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **CIVIL APPEAL NOS. 7256-7259 /2024, ARMY WELFARE EDUCATION SOCIETY, NEW DELHI Vs. SUNIL KUMAR SHARMA & ORS. ETC.** वाद में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **CIVIL APPEAL NO. 233/1991, Union of India & Ors. Vs. Tejram Parashramji Bombhate** तथा **CIVIL APPEAL NO. 480/1989, Tejram Parashramji Bombhate Vs. Ordnance Factory, Ambazari, Nagpur & Ors.** वाद में पारित आदेश से भी सुस्पष्ट है।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–155/2025 3210 राँची, दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता, मा० स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 (दिनांक 05.08.2025 के बदले) को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–01 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता, सदस्य विधान सभा	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के खेल प्रतिभा को निखारने एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम एवं डे–बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पाँकी विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित कुल 05 प्रखण्डों में से एक भी प्रखण्ड में उपयोगी प्रखण्ड स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं है;	अस्वीकारात्मक। पांकी विधानसभा क्षेत्र के 05 प्रखण्डों में से पांकी एवं सतबरवा प्रखण्ड में विभाग द्वारा प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई थी जो अद्यावधि पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में सतबरवा प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम के जीर्णोद्धार की स्वीकृति देते हुए सम्पूर्ण राशि आवंटित की जा चुकी है।
3	क्या यह बात सही है कि पाँकी प्रखण्ड के ग्राम+पंचायत–सगालिम में स्टेडियम निर्माण में संवेदक एवं जिम्मेदार पदाधिकाारियों द्वारा घोर अनियमितता की गई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–220/जि०खे०, दिनांक–13.09.2022 के साथ संलग्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी के पत्रांक–460, दिनांक–05.09.2020 के द्वारा पांकी प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण के उपरान्त हस्तगत प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायी गई है। उक्त हस्तगत प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाँकी विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित कुल 05 प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम एवं डे–बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–244/जि०खे०, दिनांक–30.07.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लेस्लीगंज प्रखण्ड के ग्राउण्ड में डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र (बालक वर्ग) संचालित है। पांकी विधानसभा क्षेत्र के शेष प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग उपायुक्त, पलामू से की गई है। प्रस्ताव एवं भूमि विवरणी प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–73/2025 1345/ राँची, दिनांक 22.08.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1834/वि०स०, दिनांक–24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

1

श्री आलोक कुमार सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या--स–07 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा विधान सभा के तीनों प्रखण्ड–रानेश्वर, काठीकुण्ड एवं शिकारीपाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुरुप चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी है, तथा दवा की घोर अभाव है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दुमका जिला के अन्तर्गत शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखण्ड–रानेश्वर, काठीकुण्ड एवं शिकारीपाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 18 चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत है, जिनके द्वारा जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों के नहीं रहने के तथा दवा की कमी के कारण गरीब मरीजों का ईलाज नहीं हो पाता है ;	अस्वीकारात्मक। ओ0पी0डी0 में ईलाजरत मरीजों को आवश्यकतानुसार दवा उपलब्ध करायी जाती है तथा दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रखण्डों के सभी सामदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मियों की स्वीकृत पद के अनुरुप नियुक्त करने तथा दवा एवं उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० 03/किस–03–53/2025 938(3) राँची, दिनांकः 21.8.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र–1905/किस दिनांक 27.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25

सरकार के अवर सचिव

नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत बिरनी प्रखंड के ग्राम पंचायत पड़रमनियां के अगल–बगल कोई स्वास्थ्य उप केन्द्र नहीं रहने के कारण उक्त पंचायत एवं बगल के पंचायतो के लोगों को इलाज हेतु काफी दूर जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला अन्तर्गत बिरनी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत पडरमनियां से लगभग 05 कि०मी० की दूरी पर बलिया पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है एवं लगभग 07 कि०मी० की दूरी पर पेशम, लगभग 08 कि०मी० की दूरी पर धरमपुर एवं लगभग 10 कि०मी० की दूरी पर स्थित बलगो स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ए०एन०एम० एवं एम०पी०डब्लू० के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्ग लोगों को इलाज सुविधा उपलब्ध कराने में काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है; कभी–कभी तो इलाज के लिए ले जाने के क्रम में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है;	अस्वीकारात्मक। पडरमनियां पंचायत के आमजनों हेतु लगभग 12 कि०मी० की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचम्बा, लगभग 23 कि०मी० पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरनी तथा लगभग 16 कि०मी० की दूरी पर सदर अस्पताल, गिरिडीह में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम पड़रमनियां में स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–10(06)ब दिनांक–10.06.2025 द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 हेतु 1117 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें गिरिडीह जिलान्तर्गत बिरनी प्रखण्ड के पडरमनिया पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत है। उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण हेतु जिला परिषद को निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ांक–5/पी०वि०स०(तारांकित)–35/2025 307(S) स्वा०, राँची, दिनांक 21.08.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–1860/वि0स0, दिनांक–)7.2025 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1683
19/08/2025

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एव साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री सुरेश कुमार बैठा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि०–09

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में स्नातक प्रतिष्ठा विषय को अनिवार्य किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2024 में संशोधित कर स्नातक प्रतिष्ठा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सभी विषयों को सम्मिलित किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 4194/2024 में दिनांक 30.01.2025 को न्यायादेश पारित करते हुए सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 को अमान्य कर दिया गया है, जिसके क्रम में तृतीय संशोधन के पूर्व की नियमावली में अंकित प्रावधान ही प्रमावी है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 2024 की नियमावली के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

Arun 19.08.25
सरकार के उप सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि०–02–91/2025....1683....../ रॉंची, दिनांक 19/08/2025

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1851 दिनांक 24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arun 19.08.25
सरकार के उप सचिव

Khurshid

श्री नरेश प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–09 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के कांडी एवं मझिआंव प्रखण्ड में एवं पलामू जिला के पाण्डु एवं विश्रामपुर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से वहाँ के छात्र–छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रह रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा वैसे विधान सभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, उन विधान सभा क्षेत्रों में नये डिग्री महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। गढ़वा जिला के कांडी एवं मझिआंव प्रखण्ड तथा पलामू जिला के पाण्डु एवं विश्रामपुर प्रखण्ड विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत है। कांडी प्रखण्ड मुख्यालय में शोनभद्र आदर्श डिग्री कॉलेज (संबंद्धता प्राप्त) एवं मझिआंव प्रखण्ड से 25 कि0मी0 की दूरी पर डिग्री महाविद्यालय, गढ़वा अवस्थित है, जिसमें पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। पाण्डु प्रखण्ड से 25 कि0मी0 एवं विश्रामपुर प्रखण्ड से 10 कि0मी0 की दूरी पर संत तुलसीदास महाविद्यालय, रेहला (संबंद्धता प्राप्त) अवस्थित है, जिसमें पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र के नाबाबाजार अंचल अन्तर्गत ग्राम–ईटको में डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार का प्रखण्डवार डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–91/2025 1610 / रॉंची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–1906, दिनांक–27.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के उप सचिव

3218
20/08/2025

श्री अनन्त प्रताप देव, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–05 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर अंतर्गत (1) रमना (2) सगमा (3) धुरकी (4) केतार (5) डंडई (6) खरौंधी तथा (7) विशुनपुरा में बालिका उच्च विद्यालय स्थापित नहीं है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड– (1) रमना, (2) धुरकी, (3) खरौंधी एवं (4) डंडई में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं प्रखण्ड– (5) केतार, (6) सगमा तथा (7) विशुनपुरा में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित एवं संचालित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों के अंतर्गत ग्रामों में निवास करने वाली छात्राओं को प्रतिदिन सुदूरवर्त्ती इलाकों से गुजर कर पठन–पाठन हेतु उच्च विद्यालय, भवनाथपुर जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित प्रखण्डों में एक–एक बालिका उच्च विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	एतद् वस्तुस्थिति कंडिका–01 में अंकित है।

20/08/25
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–138/2025.....3218...../ दिनांक.....20/08/2025.....
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के अवर सचिव।

3212
20/08/2025

<table>
<tr><td colspan="3"><u>श्रीमती निसात आलम, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–06</u>
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</td></tr>
<tr><td>क्र.</td><td>प्रश्न</td><td>उत्तर</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि बरहरवा प्रखण्ड में छः मध्य विद्यालय यथा (i) GOVT MS AGLOI (ii) UPG GOVT. MS PURULIA DANGA (iii) GOVT MS KANKJOLE (iv) GOVT MS BELDANGA (v) GOVT MS GOALKHOR (vi) UPG GOVT MS URDU DILALPUR को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव विभाग को जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा वर्ष–2023 में भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अबतक लंबित है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में एवं उच्च विद्यालय को +2 विद्यालयों में उत्क्रमित किये जाने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–2748 दिनांक–18.11.2008 निर्गत एवं संसूचित है, जिसमें उत्क्रमण हेतु विभिन्न मापदण्ड निर्धारित हैं।
राज्य के 296 मध्य विद्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमण के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था कि एक पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता हो, आदि।
निदेशालयीय पत्रांक 2104 दिनांक– 27.07. 2023 द्वारा संबंधित जिलों को प्रस्तावित 296 विद्यालयों की सूची में अंकित उनके जिले के विद्यालयों की जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 24 मध्य विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमण का प्रस्ताव योग्य नहीं पाया गया है।
सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–20.09.2023 को आहूत बैठक में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर एवं अधिसूचना सं0–2748 दिनांक–18.11.2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में समीक्षोपरान्त कुल–284 मध्य विद्यालयों में से 140 विद्यालय उत्क्रमण हेतु योग्य पाये गये तथा शेष 144 विद्यालय उत्क्रमण के योग्य नहीं पाये गये हैं, जिसमें बरहरवा प्रखण्ड के उपर्युक्त विद्यालय भी शामिल हैं, जो निम्नांकित हैं –
<table><tr><td>(i) GOVT MS AGLOI –</td><td>Less land and nearest High School is in less distance</td></tr><tr><td>(II) UPG GOVT. MS PURULIA DANGA –</td><td>Less land</td></tr><tr><td>(iii) GOVT MS KANKJOLE –</td><td>Less land and nearest High School is in less distance</td></tr><tr><td>(iv) GOVT MS BELDANGA –</td><td>Less land</td></tr><tr><td>(v) UPG GOVT MS URDU DILALPUR –</td><td>Less land</td></tr><tr><td>(vi) GOVT MS GOALKHORE –</td><td>Nearest High School is in less distance (within 500 Meters)</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखण्ड में दो मध्य विद्यालय यथा मध्य वि. सीतापहाड़ी एवं मध्य वि. झिकरहाटी को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव विभाग को जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा वर्ष–2023 में भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अबतक लंबित है;</td>
<td>284 मध्य विद्यालय में से 144 विद्यालय, जो उत्क्रमण के योग्य नहीं पाये गये हैं, में मध्य विद्यालय सीतापहाड़ी एवं मध्य विद्यालय, झिकरहाटी भी शामिल हैं। इन विद्यालयों को उत्क्रमण के योग्य नहीं पाये जाने के कारण का उल्लेख निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तंभ में अंकित है।
<table>
<tr><td>1) मध्य विद्यालय,सीतापहाड़ी</td><td>Less land and nearest High School is in less distance</td></tr>
<tr><td>2) मध्य विद्यालय, झिकरहाटी</td><td>Dropped Less land</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित सभी मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td>
<td>उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है।</td>
</tr>
</table>

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड-सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–137 / 2025 3212 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री नरेश प्रसाद सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–08 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखण्ड में (PHC) अस्पताल भवन एवं पलामू जिला के उटारी प्रखण्ड में (PHC) अस्पताल बनाकर तैयार है;	स्वीकारात्मक। गढ़वा जिला के बरडीहा प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नवनिर्मित भवन हस्तगत है।
2.	क्या यह बात सही है कि मझिआव, बरडीहा एवं कांडी एवं नावा प्रखण्ड में एम्बुलेंश एवं चिकित्सकों के नहीं रहने से वहाँ के घायल मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी कठिनाई होता है, तथा यहाँ के आम नागरिकों को ईलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मझिऑव, बरडीहा एवं कांडी प्रखण्ड के अस्पताल में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या निम्नवत् है :– 1. मझिऑव–04 2. बरडीहा–01 3. कांडी–02 मझिऑव, बरडीहा एवं कांडी प्रखण्ड के अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा रोस्टर के अनुसार ग्रामीणें को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। मझिऑव में नियमित पद पर 03 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 01 चिकित्सा पदाधिकारी संविदा के आधार पर पदस्थापित हैं। बरडीहा प्रखण्ड के सामदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरडीहा में रोस्टर के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। कांडी अस्पताल में 01 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है एवं रोस्टर के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों पर अस्पताल भवन को चालू करने एवं डाक्टरों का पदस्थापन करने एवं एम्बुलेंश उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सकों के उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 03/वि०स०–03–54/2025 940(3) राँची, दिनांक: 21.8.2025

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र0–1908/वि०स० दिनांक 27.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25

सरकार के अवर सचिव

3215
20/08/2025

श्री सुदीप गुड़िया, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–15

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार को तोरपा विधान सभा क्षेत्र के अनेक सरकारी विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति एवं कई विद्यालयों में भवनों की अनुपस्थिति की जानकारी है;	वस्तुस्थिति यह है कि एतद्संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी के पत्रांक 713 दिनांक 30.07.2025 एवं सिमडेगा के पत्रांक 913 दिनांक 30.07.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है कि – (i) खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा विधान सभा क्षेत्र के 70 विद्यालयों में जर्जर/अनुपयोगी वर्गकक्ष चिन्हित किए गए हैं, जिसे सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। वर्त्तमान में 55 विद्यालयों में जर्जर/अनुपयोगी वर्गकक्ष को ध्वस्त किया जा चुका है एवं शेष प्रक्रियाधीन है। (ii) तोरपा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 07 विद्यालय भवनहीन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 01 का निर्माण जारी है। शेष के भवन निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से राज्य एवं जिला स्तर से कराए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (iii) सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड के तोरपा विधान सभा क्षेत्र के 44 विद्यालयों में जर्जर/अनुपयोगी वर्गकक्ष चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 05 विद्यालयों में समग्र शिक्षा कार्यक्रम मद से एवं 04 विद्यालयों में 15वीं वित्त आयोग की राशि से कार्य किया जा रहा है। (iv) सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड के तोरपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी विद्यालय भवनहीन नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि कई विद्यालय मरम्मत होने के बावजूद पठन–पाठन के योग्य नहीं हैं;	जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, खूँटी के पत्रांक 713 दिनांक 30.07. 2025 द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि – मरम्मति योग्य विद्यालय भवनों की मरम्मति के उपरांत, पठन–पाठन कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 38 विद्यालयों के भवनों की मरम्मति का कार्य झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के स्तर से कराया गया है, जिसमें सुचारू रूप से पठन–पाठन का कार्य हो रहा है।

श्री सुदीप गुड़िया, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–15

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों की मरम्मत अथवा नए भवन निर्माण हेतु एवं आगामी बजट में शिक्षा मद में प्राथमिकता देते हुए नए विद्यालय भवनों के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक 2963 दिनांक 31.07.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि – बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत उपलब्ध राशि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से मरम्मति योग्य विद्यालय भवनों की मरम्मति कार्य एवं नए विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु जिलास्तरीय परियोजना कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कार्य कराए जाने की योजना तैयार की गयी है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–148/2025 3215 / दिनांक 20/08/2025

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–08 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कम्प्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टफिशल इन्टेलिजेन्स, जैसे विषयों में बी0एड0 कोर्स की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि +2 शिक्षकों की बहाली हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों की शैक्षणिक अनिवार्यता के रूप में एमसीए था एमटेक के साथ–साथ बी0एड. डिग्री अनिवार्य रखा गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक विभागीय पत्रांक–581 दिनांक–02.03.2023 द्वारा संसूचित परिनियम Statute for B.Ed/M.Ed/B.P.Ed/M.P.Ed Course (Admission & Fee Determination) conducted by recognized institutions in the State of Jharkhand-2020 की कंडिका 3.1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में B.Tech के अभ्यर्थी नामांकन ले सकते है।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी0एड0 कोर्स के अंतर्गत उक्त विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	NCTE के मानकों एवं नई शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आर्टफिशल इन्टेलिजेन्स (ए0आई0), कम्प्यूटर साइंस आदि विषयों की पढ़ाई हेतु संदर्भित परिनियम में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–85/2025 1607/ रॉंची, दिनांक : 20/08/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–1847, दिनांक–24.07.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
सरकार के उप सचिव

श्री जनार्दन पासवान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला
<u>तारांकित प्रश्न संख्या–स–03 का उत्तर।</u>

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में चिकित्सक का कुल स्वीकृत पद 122 है, जिसके विरुद्ध मात्र 48 चिकित्सक ही पदस्थापित है, इनमें से (02) दो चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति अन्य जिला में कर दी गई है, जिससे आभ नागरिकों को ईलाज में असुविधा होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के किसी भी सरकारी अस्पताल में सी0टी0 स्कैन/अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध नहीं है तथा जिला के मात्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही डिजीटल एक्सरे मशीन उपलब्ध है;	सदर अस्पताल, चतरा में मनिपाल हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक प्रा0 लि0 (सरकार द्वारा PPP Mode पर) द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउण्ड की सेवा दी जाती है, इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा जिला व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराई जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला में सभी स्वीकृत पद पर चिकित्सकों का पदस्थापन एवं सी0टी0 स्कैन/ अल्ट्रासाउण्ड मशीन (टेकनीशियन के साथ) एवं डिजीटल एक्सरे मशीन सभी प्रमुख अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अविलंब उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सकों के उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। सभी सदर अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डिजिटल एक्स–रे मशीन के अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् सी0टी0 स्केन मशीन का अधिष्ठापन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
<u>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</u>

ज्ञाप सं० 03/~~चिस्व~~–03–50/2025 939(3) राँची, दिनांकः 21.8.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1858/चिस्व दिनांक 24.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25

सरकार के अवर सचिव

श्रीमती ममता देवी, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
01	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ के सदर अस्पताल सहित झारखण्ड के सभी सरकारी अस्पतालों में मानव शक्ति (Man Power) की कमी होने के कारण सरकारी अस्पताल में जाकर आम जनमानस को ईलाज कराने में काफी कठिनायों का सामना करना पड़ता है:,	अस्वीकारात्मक। रामगढ़ एवं अन्य सभी जिलों के सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों मे नियमित, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध, डी०एम०एफ०टी० मद एवं आउटसोर्सिंग से मानव संसाधन रखकर कार्य लिया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को ईलाज सुलभ है एवं जनता को ईलाज कराने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
02	क्या यह बात सही है कि मानव भाक्ति (Man Power)की कमी होने के कारण सरकारी अस्पतालों में लगी अत्याधुनिक मशीनों का भी सुचारू रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और साथ ही आम जनमानस को बाहर से जॉच कराने को विवश होना पड़ रहा है:,	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलों में नियमित एवं अनुबंध चिकित्सा पदाधिकारी, पारामेडिकल कर्मी संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न मानवबल की सेवा उपलब्ध है। उक्त कर्मियों के माध्यम से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देकर जन समुदाय को सरकारी अस्पतालों में लगे अत्याधुनिक मशीनों/उपकरणों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, अस्पतालों में पैथोलोजी एवं रेडियोलोजी जाँच की सुविधा PPP मोड के तहत कार्यरत एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार मानव शक्ति (Man Power) की कमी को व्यापक जनहित में दूर करने का विचार अतिशीघ्र रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यो?	उपरोक्त कण्डिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। 5612 विभिन्न पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है जिसमें ए0एन0एम0 का 3188 पद, फार्मासिस्ट का 424 पद प्रयोगशाला प्रावैधिक का 481 पद, एक्सरे–टेक्निशियन का 60 पद एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता का 510 पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–15/वि० स०–07–10/2025– 76 (15) स्वा०, राँची, दिनांक: 20-08-2025

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–1859 वि० स०, राँची, दिनांक–14.07.2025 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25
अवर सचिव

ज्ञापांक:–15/वि० स०–07–10/2025– 76 (15) स्वा०, राँची, दिनांक: 20-08-2025

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, (प्रशाखा–14) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/08/2025
अवर सचिव

श्री सुदीप गुड़िया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–12 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र दो चिकित्सक पदस्थापित है ;	आशिंक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानो, सिमडेगा में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक के अतिरिक्त एक चिकित्सक का पदस्थापन कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड अन्तर्गत 16 पंचायतों के एक लाख आबादी में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता दो चिकित्सक से संभव नहीं है ;	संचालित स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायर जा रही है। तोरपा प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल, तोरपा में महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। रनियाँ प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रनियाँ में एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त के आधार पर कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि तोरपा प्रखण्ड, बानो प्रखंड एवं रनिया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सकों का पदस्थापन अब तक नहीं किया गया है ;	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल, तोरपा में महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। रनियाँ प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रनियाँ में महिला चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त के आधार पर कार्यरत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–52/2025 943(3) राँची, दिनांक: 21.8.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1897/वि०स० दिनांक 27.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.8.25

सरकार के अवर सचिव

3217
20/08/2025

श्री नवीन जयसवाल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 25.08.2025 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–11

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सभी अंगीभूत महाविद्यालय में लगभग 10 वर्षों से लगभग 550 शिक्षेत्तर कर्मचारीगण न्यूनतम मानदेय के आधार इण्टरमिडियट के साथ–साथ यू0जी0/पी0जी0 पर अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपनी सेवा देते आ रहे है।	अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा शिक्षक/शिक्षिकाओं/ कर्मियों को संलग्न किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में कई शिक्षा नीति के तहत् उक्त सभी कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण को उनकी सेवा से हटा दिया गया है, जिस कारण ये सभी पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गये है, जबकि ये सभी शिक्षेत्तर कर्मचारीगण काफी अनुभव प्राप्त कर्मचारी है।	उक्त कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में अपने समायोजन हेतु W.P.(S) No. 821 of 2023 एवं अन्य 16 समरूप वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 11.04.2023, 01.08.2023 एवं 17.08.2023 को पारित आदेश में उनकी सेवा के समायोजन के अनुरोध को अस्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध वादीगण द्वारा क्रमशः LPA No. 306/2023 एवं अन्य 16 अपील वाद दायर किया गया था। दिनांक 25.04.2024 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में उपर्युक्त सभी LPA मामले को एक साथ खारिज की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राँची विश्वविद्यालय में शिक्षेत्तर कर्मचारीगण के लगभग 500 पद रिक्त है इसके बावजूद इन अनुभव प्राप्त शिक्षेत्तर कर्मचारीगण को रिक्त पद पर नियुक्त करने बजाय उन्हे उनके पद से हटा दिया गया है साथ ही साथ कुछ माह पूर्व राँची विश्वविद्यालय के तरफ से बिना किसी विज्ञापन के अवैध तरीके से राम लखन सिंह यादव कॉलेज एवं आर्यभट में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।	उप सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1479 (अनु.) दिनांक 02.08.2025 के माध्यम से प्राप्त कुलसचिव, रांची विश्वविद्यालय, रांची के पत्रांक आर.यू./आर./7863/25 दिनांक 01.08.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी उत्तर सामग्री में अंकित है कि पद रिक्त रहने से संबंधित तथ्य स्वीकारात्मक है, परंतु कर्मचारियों की कमी के कारण व्यवस्था बनाए रखने हेतु 11 माह के अनुबंध पर कुछ कर्मियों को अस्थायी तौर पर काम पर रखा गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व से कार्यरत अनुभव प्राप्त शिक्षेत्तर कर्मचारीगण को उनके रिक्त पद पर नियुक्त करने या किसी अन्य महाविद्यालयों/+2 स्कूलों में समायोजन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	Local arrangement के अंतर्गत इंटरमीडिएट की पढ़ाई में संलग्न शिक्षक/शिक्षिकाओं के समायोजन से संबंधित बिंदू legitimate expectation से आच्छादित नहीं है, जो माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा CIVIL APPEAL NOS. 7256-7259 /2024, ARMY WELFARE

		EDUCATION SOCIETY, NEW DELHI Vs. SUNIL KUMAR SHARMA & ORS. ETC. वाद में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा CIVIL APPEAL NO. 233/1991, Union of India & Ors. Vs. Tejram Parashramji Bombhate तथा CIVIL APPEAL NO. 480/1989, Tejram Parashramji Bombhate Vs. Ordnance Factory, Ambazari, Nagpur & Ors. वाद में पारित आदेश से भी सुस्पष्ट है।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–153/2025.....3217/ दिनांक.....20/08/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/25

सरकार के अवर सचिव।

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–03

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 544 बालू घाटों में से कुछ एक को छोड़ कर वर्ष 2015 से अब तक टेंडर/आक्शन की जिम्मेदारी JSMDC के जिम्मे थी, लेकिन एक साजिश के तहत् JSMDC ने अभी तक बालू घाटों का टेंडर/आक्शन नहीं किया है;	अस्वीकारात्मक । वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में तैयार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (बालू) में वर्गीकृत बालू घाटों का संचालन Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के तहत Category-I एवं Category-II क्रमशः ग्राम पंचायत एवं M/S JSMDCL द्वारा किया जाना है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining and Management Guidelines, 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change January, 2020 के आलोक में NABET aggregate Agency द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्वीकृति Jharkhand State Level Environment Impact Assessment Authority Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Governemnt of India से स्वीकृति प्राप्त की गई। SEIAA द्वारा New DSR, अप्रैल 2023 से जून, 2023 के बीच स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात् बालू से संबंधित Financial Bid Category-A (0 से 10 हे0), Category-B (10 से 50 हे0) का विभिन्न जिलों द्वारा टेंडर प्रकाशित किया गया एवं Category C (More than 50 Ha) का टेंडर M/S JSMDCL द्वारा किया गया। प्रकाशित टेंडर में भाग लेने वाले प्रतिभागी द्वारा अत्यंत ही Abnormally Low/अव्यवहारिक Rate Quote किया गया। जिस कारण से बहुत सारे जिलों का टेंडर Final नही हो सका। प्रतिभागियों द्वारा Low Rate Quote करने के कारण विभिन्न उपायुक्तों द्वारा विभाग से दिशा–निर्देश की माँग की गई। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा पत्रांक 1236 दिनांक 25.07.2023 द्वारा Sand Mining Fees (नदी से बालू का उत्खनन कर स्टॉकयार्ड तक बालू भण्डारण एवं स्टॉकयार्ड से लोडिंग का दर) की न्यूनतम दर निर्धारण हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। कमिटी द्वारा न्यूनतम दर 52/– रू0 per cubic meter का अनुशंसा की गई। उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्ति उपरान्त निगम पत्रांक–156-A दिनांक–14.10.2023 Resolution By Circulation Dated 14th October 2023 (01/2023/24) द्वारा Financial Bid Clause: 8.5i एवं 8.6 a में बदलाव करते हुए Additional Security एवं Performance Security प्रावधान को सख्त किया गया। तत्पश्चात् टेंडर प्रक्रिया पुनः आरंभ किया गया। राज्य अन्तर्गत कुल 444 बालू–घाट Category-II चिन्हित है तथा टेंडर उपरान्त उनमें कुल 272 बालू–घाटों का LOI निर्गत किया गया है जिसके विरुद्ध 183 बालू–घाटों का एकरारनामा निष्पादित किया गया है। साथ ही 68 बालू घाटों का EC (Environment Clearance) एवं 22 बालू घाटों का ToR (Terms of Reference) प्राप्त है। अन्य बालू घाटों के लिए वैधानिक स्वीकृति से संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में Jharkhand Sand Mining Rule, 2025 प्रभावी है जिसके आधार पर जिला स्तर से Category–II के बालू घाटों का Auction किया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि 10 जून के बाद नदी–नालों से बालू नहीं निकालने हेतु NGT का सख्त निर्देश है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार टेंडर नहीं करने वाले JSMDC के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए राज्य के सभी 544 बालू घाटों का टेंडर/आक्शन कराकर आमजनों के लिए पूर्व की भाँति बालू सुलभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में Jharkhand Sand Mining Rule, 2025 प्रभावी है जिसके आधार पर जिला स्तर से Category–II के बालू घाटों का Auction किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(तारा0)–73/2025 1539 /राँची, दिनांकः– 21/8/25

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2028 दिनांक–29.07.2025 एवं ज्ञापांक–3004 दिनांक 14.08.2025 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2025

सरकार के उप सचिव

षष्टम झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मानसून) सत्र में मा0 स0वि0स0 श्री जयराम कुमार महतो द्वारा दिनांक 05.08.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 05 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राज्य में 09 नवनिर्मित पोलिटेकनिक भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें 01 खूँटी, 02-हजारीबाग, 03- जामताड़ा, 04- गोड्डा, 05-पलामू, 06-चतरा, 07- बगोदर, 08- लोहरदगा, 09- बसिया शामिल हैं;	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि इन भवनों में पठन-पाठन कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक
03	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन भवनों में पोलिटेकनिक की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	नवनिर्मित तकनीकी शिक्षण संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) का संचालन Public Private Partnership (PPP) के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु एक PPP Policy गठित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- उ0त0शि0/विधान सभा-18/2025-**702** /राँची, दिनांक- **03/08/2025**

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक **1843** वि0स० दिनांक **24.07.2025** के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.08.2025
(मंजू कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कुमार उज्जवल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स०-स-10 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के मयुरहण्ड प्रखण्ड के पंचायत मझगावां के ग्राम मधनियां में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन लगभग 15 वर्षो से बन कर तैयार है परन्तु संबंधित विभाग आज तक इस भवन में प्रवेश नहीं कर पाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। चतरा जिले के मयूरहण्ड प्रखण्ड के मझगावा पंचायत स्थित मंधनिया गाँव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण BRGF योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा के द्वारा किया गया है। सिविल सर्जन, चतरा एवं ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा के अभियंता के साथ संयुक्त रूप से भवन का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि भवन का आंशिक मरम्मति के पश्चात उपयोग में लाया जा सकता है। अतः उक्त के आलोक में भवन को हस्तगत कर लिया गया है। भवन का आंशिक मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार कर मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना से मरम्मति कार्य कराकर शीघ्र ही स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि मयुरहण्ड प्रखण्ड के ग्राम मझगावां में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं होने से प्रखण्ड मुख्यालय से मझगावां ग्रामीण वासियों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या के निराकरण के लिए लम्बी दूरी तय करना होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में स्थानीय व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र मंधनियां का संचालन उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मंधनियां स्थित खाली पड़े भवन में किया जा रहा है। फलतः स्वास्थ्य सुविधा बाधित नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मंधनियां से लगभग 7 कि०मी० की दूरी पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, करमा, लगभग 11 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मयुरहण्ड एवं लगभग 6 कि०मी० की दूरी पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, पथरा के माध्यम से भी ग्रामवासी को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त प्रखण्डों के चिकित्सको/नर्सो की बहाली एवं नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र का स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक-5/पी० (वि०स०) ता०-36/2025....303 (S)   स्वा०, राँची, दिनांक 21.08.2025

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०-1909/वि0स0, दिनांक-27.07.2025 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.25
अवर सचिव

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा गया
तारांकित प्रश्न सं0–स0–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत गोविन्दपुर साहेबगंज पथ पर आए दिन दुर्घटना होने के कारण टुण्डी–गिरिडीह के आस पास अस्पताल नहीं रहने के कारण आम नागरिको को जान गवाँना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिलान्तर्गत गोविन्दपुर साहेबगंज पथ के आस–पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़रघुनाथपुर, स्वास्थ्य उपकेन्द्र लटानी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र गौरानवाटॉड संचालित है। उक्त केन्द्रो द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। आपातकालीन स्थति में एस0 एन0 एम0 एम0 सी0 एच0, धनबाद/सदर अस्पताल धनबाद भेजा जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि गोविन्दपुर–साहेबगंज पथ में पूर्वी टुण्डी के पास ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण होने पर मरीजो को आकस्मिक सुविधा प्राप्त होगी;	आंशिक अस्वीकारात्मक। एस0 एन0 एम0 एम0 सी0 एच0, धनबाद में ट्रॉमा सेन्टर कार्यरत है तथा धनबाद जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निरसा में ट्रॉमा सेन्टर निरसा का निर्माण प्रस्तावित है। Government of India, Ministry of Health & Family Welfare द्वारा निर्गत Capacity Building for Developing Trauma Care Facilities on Naional Highways, Operational Guidelines के अनुसार प्रत्येक 100 किलामीटर की दूरी पर Trauma Centre संचालित किया जाना है ताकि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करना पड़े।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्वी टुण्डी क्षेत्र में ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डो में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 22/वि0स0(तारांकित)–10/2025 78(22) स्वा0 राँची, दिनांक– 18.08.2025

प्रतिलिपि : उपसचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं0–प्र0 1923/वि0स0 राँची, दिनांक 28.07.2025 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–11 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सारठ, पालाजोरी एवं करमाटांड़ प्रखण्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी की कमी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। देवघर जिला अन्तर्गत सारठ एवं पालाजोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारठ में 02 चिकित्सक कार्यरत है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालाजोरी में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक के अतिरिक्त 01 चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्डों की जनसंख्या अधिक रहने के कारण उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को अपग्रेड करना तथा स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना आवश्यक है ;	देवघर जिलान्तर्गत सारठ, पालाजोरी एवं करमाटांड़ प्रखण्ड के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारठ को क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड करते हुए, खण्ड 01 में वर्णित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का शीघ्र पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०: 03/वि०स०–03–55/2025 942-(3) राँची, दिनांक: 21.8.2025

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1910/वि०स० दिनांक 27.07.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.25

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय-(मानसून) पूरक-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 25.08.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रदीप प्रसाद स0वि0स0	हजारीबाग शहरी क्षेत्र में थाना संख्या-140 की जमीन का वर्ष- 2014-15 से मालगुजारी रसीद कटना बंद है, और न ही अब इस जमीन का भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, जिस कारण न ही इसकी खरीद-बिक्री का निबंधन हो पा रहा है, और न ही दाखिल-खारिज, जिससे सरकार को भी करोड़ों रूपये राजस्व की क्षति हो रही है, साथ ही उक्त भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैट की भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है और न ही भवन निर्माण हेतु रैयतों का नक्शा ही पास हो पा रहा है, जिससे भी राजस्व की क्षति हो रही है। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि व्यापक जनहित में तत्काल हजारीबाग के थाना संख्या- 140 के उक्त जमीनों का पूर्व की भाँति मालगुजारी रसीद निर्गत कर रैयतों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र निर्गत करवा	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		कर उनके इन जमीनों का खरीद-बिक्री हेतु निबंधन और म्यूटेशन के साथ-साथ उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु नक्शा पास करवाने की कार्रवाई की जाय।	
02-	श्री रामेश्वर उराँव, स0वि0स0	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह कहना भूमि सर्वेक्षण मैनुअल के अनुसार प्रत्येक 20 वर्षो में भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि के स्वामित्व एवं सीमाओं का स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सटीक भूमि रिकॉड बनाकर भूमि विवादों को कम करना तथा सरकारी भूमि की पहचान करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राँची, खूँटी, सिमडेगा, गुमला में 1975 में पलामू, गढ़वा, लातेहार, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ जामताड़ा, गोड्डा एवं देवघर में 1976-77 में तथा धनबाद, बोकारो में 1981 में सर्वे सेटलमेंट का कार्य शुरू हुआ परन्तु 50 साल बाद भी यह पूरा नहीं हो पाया है। राज्य के 20 जिलों में जमीन सर्वे सेटलमेंट 83 साल या इससे अधिक पुराना है। लोहरदगा एवं लातेहार जिला में सर्वे सेटलमेंट का कार्य पूरा हुआ है परन्तु कई तरह के खामियों के साथ पूरा होने के कारण भूमि विवार बढ़ गया है। सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा नहीं होने से जमीन माफिया संक्रिय हो गये, जो जमीन के कागजात में हेराफेरी करके जमीन बेच रहे है तथा राज्य का हर दूसरा भू-स्वामी किसी-न-किसी कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। अतः राज्य के आमजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि विवाद को कम करने हेतु त्रुटि रहित	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		सर्वे सेटलमेंट शीघ्र पूरा कराने एवं लोहरदगा तथा लातेहार जिला में भूमि विवाद को समाप्त करने हेतु नये सिरे से सर्वे सेटलमेंट कराने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री प्रकाश राम स0वि0स0 श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0 श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता स0वि0स0	पलामू उपायुक्त द्वारा जिले में 7-8 वर्षो से कार्यरत 251 अनुसेवकों को ज्ञापांक-06, दिनांक-01.03.2025 द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। जबकि इनके खिलाफ किसी भी तरह के आरोप नहीं, इनसे स्पष्टीकरण भी पूछा नही गया। उपायुक्त द्वारा दिये गये (सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाली के समय तात्कालीन उपायुक्त की गलती) के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इन 251 अनुसेवकों में अधिकांश वैसे कामगार हैं जो वर्षो से दैनिक वेतन भोगी के रुप में (10-15) कार्यरत थे जिनका नियमतिकरण किया गया था। छत्तीसगढ़ तथा बंगाल में इसी तरह की स्थिति में कैबिनेट के निर्णय के आधार पर लगभग 260 शिक्षकों का समायोजन किया जा चुका है। अतः जनहित में उपरोक्त संदर्भ में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
04-	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी स0वि0स0 श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0	राज्य के कई प्रखंड प्रमुख, साजिश या अन्य किन्हीं कारणों से प्रमुख पद से अपदस्त होने से उप प्रमुख एक वर्षो से ज्यादा समय से प्रमुख के पद पर आसीन हैं। यथाः- (1)- गढ़वा जिला अन्तर्गत रंका प्रखंड प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति समाज के लिए आरक्षित है, उस पर पर सामान्य वर्ग के उप प्रमुख विगत-1 वर्ष से ज्यादा समय से आसीन हैं। (2)- गढ़वा प्रखंड प्रमुख का पद पिछड़ी जाति की महिला के लिए आरक्षित है, जिस पद पर सामान्य वर्ग के पुरुष विगत-1 वर्ष से ज्यादा समय से आसीन है, इत्यादि, जो की पंचायती राज अधिनियम का घोर उल्लंघन है।	पंचायती राज

क0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		अतः राज्य के प्रखंड प्रमुखों का पद, जिस भी जाति या वर्ग के लिए आरक्षित है, उसी जाति या वर्ग के लोगों को वोटिंग कराकर, प्रमुख के पद पर पदस्थापित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
05-	श्री आलोक कुमार सोरेन स0वि0स0	दुमका ज़िला का प्रखंड-रानेश्वर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदुरी है। प्रखंड के ग्रम्म शार्दापुर पंचायत सुकजोड़ा से नौरंगी, दिगुली तक किसानों की उपजाऊ भूमि लगभग सैकड़ो एकड़ मयुराक्षी नदी के बाढ़ से कटाव के कारण नदी में समाहित हो गया है जिससे किसान काफी तकलीफ झेल रहें है। अतः बाढ़ के कटाव से रोकथाम के लिए ग्राम-शार्दापुर पंचायत सुकजोड़ा से नौरंगी, दिगुली तक सर्वेक्षण करा कर तटबंध (गार्डवाल) का निर्माण किसानों के हित में करानें के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	जल संसाधन

राँची,
दिनांक- 25 अगस्त, 2025 ई0।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 -37/2025-3027/वि0स0,राँची,दिनांक- 22/08/25

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता विरोधी दल/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/08/2025

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0-37/2025-3027/वि0स0,राँची,दिनांक- 22/08/25

प्रतिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22/08/2025

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

22/08

सत्यमेव जयते

वित्तीय वर्ष–2025–26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदानों के मांगों से संबंधित कटौती प्रस्तावों की सूचना।

कार्य–सूची का पूरक

दिनांक– 25 अगस्त, 2025 ई0।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय,राँची।

मॉंग संख्या:......01

आय–व्ययक का शीर्षकः **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)**

1–मंत्री, प्रभारी **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13,86,55,000/–(तेरह करोड, छियासी लाख,पचपन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:......02

आय–व्ययक का शीर्षकः **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)**

2–मंत्री, प्रभारी **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,11,00,000/–(दो करोड़, ग्यारह लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.......04

आय–व्ययक का शीर्षकः **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)**

3–मंत्री, प्रभारी **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 22,45,00,000/–(बाईस करोड, पैंतालीस लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

4–5– श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री राज सिन्हा स0वि0स0 प्रस्ताव करेंगें कि इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटाई जाय। इस मांग के औचित्य पर विचार–विमर्ष करने के लिए।

जु०प्र०६०१

मॉंग संख्याः.....06

आय–व्ययक का शीर्षकः **मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग**

6–मंत्री, प्रभारी **मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,02,43,52,000/– (दो अरब, दो करोड़, तैंतालीस लाख, बावन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः......07

आय–व्ययक का शीर्षकः **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(निगरानी प्रभाग)**

7–मंत्री, प्रभारी **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(निगरानी प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(निगरानी प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,00,000/–(दो लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः......08

आय–व्ययक का शीर्षकः **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(नागर विमानन प्रभाग)**

8–मंत्री, प्रभारी **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(नागर विमानन प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(नागर विमानन प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,00,00,000/–(बारह करोड़) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ह०/अ० उ०प्र०

माँग संख्याः.....10

आय–व्ययक का शीर्षकः **उर्जा विभाग**

9–मंत्री, प्रभारी **उर्जा विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **उर्जा विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 45,78,00,000/–(पैंतालीस करोड़, अठहत्तर लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.....11

आय–व्ययक का शीर्षकः **उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**

10–मंत्री, प्रभारी **उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,000/–(एक हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.12

आय–व्ययक का शीर्षकः **वित्त विभाग**

11– मंत्री, प्रभारी... **वित्त विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **वित्त विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,35,83,48,000/– (आठ अरब, पैंतीस करोड़, तिरासी लाख, अड़तालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ह०/अ०

मँाग संख्याः.17

आय–व्ययक का शीर्षकः **वाणिज्यकर विभाग**

12– मंत्री, प्रभारी... **वाणिज्यकर विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **वाणिज्यकर विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मँाग संख्याः.18

आय–व्ययक का शीर्षकः **खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

13– मंत्री, प्रभारी... **खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,50,000/– (नौ लाख, पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मँाग संख्याः.....19

आय–व्ययक का शीर्षकः **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

14–मंत्री, प्रभारी **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 22,48,00,000/–(बाईस करोड़, अड़तालीस लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मँाग संख्याः.....20

आय–व्ययक का शीर्षकः **स्वास्थ्य,चिकित्सा षिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

15–मंत्री, प्रभारी **स्वास्थ्य,चिकित्सा षिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **स्वास्थ्य,चिकित्सा षिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,48,63,30,000/–(चार अरब, अड़तालीस करोड़, तिरसठ लाख, तीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ह०प्र०उ०

माँग संख्याः.....21

आय–व्ययक का शीर्षकः **उच्च एवं तकनीकी षिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)**

16–मंत्री, प्रभारी **उच्च एवं तकनीकी षिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **उच्च एवं तकनीकी षिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 17,54,02,000/–(सत्रह करोड़, चौवन लाख, दो हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.....22

आय–व्ययक का शीर्षकः **गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)**

17–मंत्री, प्रभारी **गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 79,15,57,000/–(उनासी करोड़, पन्द्रह लाख, सत्तावन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.....23

आय–व्ययक का शीर्षकः **उद्योग विभाग**

18–मंत्री, प्रभारी **उद्योग विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **उद्योग विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,17,75,13,000/–(एक अरब, सत्रह करोड़, पचहत्तर लाख, तेरह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.....24

आय–व्ययक का शीर्षकः **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**

19–मंत्री, प्रभारी **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 30,24,50,000/–(तीस करोड़, चौबीस लाख, पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.....25

आय–व्ययक का शीर्षक: **कोषागार एवं सांस्थिक वित्त**

20–मंत्री, प्रभारी **कोषागार एवं सांस्थिक वित्त** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **कोषागार एवं सांस्थिक वित्त** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 50,000/–(पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.......26

आय–व्ययक का शीर्षक: **श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**

21– मंत्री, प्रभारी... **श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 46,40,000/– (छियालीस लाख, चालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.....27

आय–व्ययक का शीर्षक: **विधि विभाग**

22–मंत्री, प्रभारी **विधि विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **विधि विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 29,62,45,000/–(उनतीस करोड़, बासठ लाख, पैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.....30

आय–व्ययक का शीर्षक: **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)**

23–मंत्री, प्रभारी **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 30,50,000/–(तीस लाख, पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ह०पू०उ०/–

मॉंग संख्या:....32

आय–व्ययक का शीर्षक: **विधान सभा**

24–मंत्री, प्रभारी **संसदीय कार्य** विभाग प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **विधान सभा** के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,18,50,000/–(एक करोड़, अठारह लाख, पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:....33

आय–व्ययक का शीर्षक: **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)**

25–मंत्री, प्रभारी **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)** विभाग प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)**के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 48,12,50,000/–(अड़तालीस करोड़, बारह लाख, पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.35

आय–व्ययक का शीर्षक: **योजना एवं विकास विभाग**

26– मंत्री, प्रभारी... **योजना एवं विकास विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **योजना एवं विकास विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,000/– (दो हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.36

आय–व्ययक का शीर्षक: **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

27– मंत्री, प्रभारी... **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,17,00,00,000/– (चार अरब, सत्रह करोड़) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष

मॉंग संख्याः37

आय–व्ययक का शीर्षकः **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)**

28– मंत्री, प्रभारी... **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,50,000/– (पाँच लाख, पचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः......38

आय–व्ययक का शीर्षकः **राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग(निबंधन प्रभाग)**

29–मंत्री, प्रभारी... **राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग(निबंधन प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग(निबंधन प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 37,06,000/–(सैंतीस लाख, छः हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः......39

आय–व्ययक का शीर्षकः **गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)**

30–मंत्री, प्रभारी... **गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,24,000/–(एक लाख, चौबीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः.....40

आय–व्ययक का शीर्षकः **राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)**

31–मंत्री, प्रभारी **राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,27,30,000/–(दो करोड, सत्ताईस लाख, तीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

क्रमशः......

माँग संख्याः.....41

आय–व्ययक का शीर्षकः **पथ निर्माण विभाग**

32–मंत्री, प्रभारी **पथ निर्माण विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **पथ निर्माण विभाग** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,000/–(एक हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.....42

आय–व्ययक का शीर्षकः **ग्रामीण विकास विभाग**

33–मंत्री, प्रभारी **ग्रामीण विकास विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **ग्रामीण विकास विभाग** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,68,89,72,000/– (नौ अरब, अड़सठ करोड़, नवासी लाख, बहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.....43

आय–व्ययक का शीर्षकः **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)**

34–मंत्री, प्रभारी **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,32,00,000/– (तीन करोड़, बत्तीस लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः.....44

आय–व्ययक का शीर्षकः **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

35–मंत्री, प्रभारी **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर, भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,00,000/– (एक लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या:.....45

आय–व्ययक का शीर्षक: **सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस विभाग**

36–मंत्री, प्रभारी **सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस विभाग** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 16,00,000/– (सोलह लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या:.46

आय–व्ययक का शीर्षक: **पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग(पर्यटन प्रभाग)**

37– मंत्री, प्रभारी... **पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग(पर्यटन प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग(पर्यटन प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,01,42,000/– (तेईस करोड़, एक लाख, बयालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या:.48

आय–व्ययक का शीर्षक: **नगर विकास एवं आवास विभाग(नगर विकास प्रभाग)**

38– मंत्री, प्रभारी... **नगर विकास एवं आवास विभाग(नगर विकास प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **नगर विकास एवं आवास विभाग(नगर विकास प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,17,41,63,000/– (एक अरब, सत्रह करोड़, इकतालीस लाख, तिरसठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

39– श्री राज सिन्हा स0वि0स0 प्रस्ताव करेंगें कि इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटाई जाय। इस माग के औचित्य पर विचार–विमर्ष करने के लिए।

माँग संख्या:.49

आय–व्ययक का शीर्षक: **जल संसाधन विभाग**

40– मंत्री, प्रभारी... **जल संसाधन विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **जल संसाधन विभाग** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 21,25,000/– (इक्कीस लाख, पच्चीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

80 40301—

मॉंग संख्या:.50

आय–व्ययक का शीर्षक: **जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)**

41– मंत्री, प्रभारी... **जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13,25,000/– (तेरह लाख, पच्चीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.51

आय–व्ययक का शीर्षक: **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)**

42– मंत्री, प्रभारी... **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडा कल्याण वर्ग प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 39,52,39,000/– (उनचालीस करोड, बावन लाख, उनचालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:.52

आय–व्ययक का शीर्षक: **पर्यटन,कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग(कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)**

43– मंत्री, प्रभारी... **पर्यटन,कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग(कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **पर्यटन,कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग(कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च,2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,00,00,000/– (दस करोड़) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ग्र0403०1–

मॉंग संख्याः.....53

आय–व्ययक का शीर्षकः **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)**

44–मंत्री, प्रभारी **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,59,000/–(दो लाख, उनसठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः.....55

आय–व्ययक का शीर्षकः **ग्रामीण कार्य विभाग**

45–मंत्री, प्रभारी **ग्रामीण कार्य विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **ग्रामीण कार्य विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,66,00,00,000/–(एक अरब, छियासठ करोड़) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफ़ारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः....56

आय–व्ययक का शीर्षकः **पंचायती राज विभाग**

46–मंत्री, प्रभारी **पंचायती राज विभाग** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **पंचायती राज विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 98,56,00,000/–(अट्ठानबे करोड़, छप्पन लाख) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः....58

आय–व्ययक का शीर्षकः **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)**

47–मंत्री, प्रभारी **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,24,46,000/–(पाँच करोड़, चौबीस लाख, छियालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

0माँग संख्याः....59

आय–व्ययक का शीर्षकः **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)**
48–मंत्री, प्रभारी **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,20,00,00,000/–(चार अरब, बीस करोड़) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्याः....60

आय–व्ययक का शीर्षकः **महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग**
49–मंत्री, प्रभारी **महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग**
प्रस्ताव करेंगें कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगो की अनुसूची में सम्मिलित योजना/ योजनाओं के लिए **महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए झारखण्ड विनियोग विधेयक संख्या– 2 के उपबन्ध के अतिरिक्त 62,05,87,000 /–(बासठ करोड, पाँच लाख, सत्तासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

राँची,
दिनांक– 25 अगस्त, 2025

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

नोटः– कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में की जायेगी।

ज्ञाप सं0–आय–व्ययक(बजट)–05/2025–3028/वि0स0 ,राँची, दिनांक–23/08/25
प्रतिः–सभी माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार/सरकार के सभी विभाग के सचिव /सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 23/8/25
(संजीत कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

मुद्रा 23/08/25

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

ज्ञाप संख्या–वि०स०वि०–16/2025–3031/वि०स०,राँची,दिनांकः–24/08/2025

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

+प्रतिः संलग्न — वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, ने ''झारखण्ड विनियोग (संख्या–03) विधेयक,2025'' को झारखण्ड विधान सभा में पुरःस्थापित करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है और साथ ही यह भी सूचना दी है कि पुरःस्थापित होने के बाद उक्त विधेयक पर विचार हो तथा इसे पारित किया जाय।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सख्या–वि०स०वि०–16/2025...3031...वि०स०,राँची,दिनांक–24/08/2025

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/वित्त विभाग/ विधि विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/सरकार के मुख्य सचिव/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/2025
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सख्या–वि०स०वि०–16/2025...3031...वि०स०,राँची,दिनांक–24/08/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/2025
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

24.08.25

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्याः–कार्य0का0सू0–09/2025–..3029....../वि0स0।

प्रेषक,

हरेन्द्र कुमार साह
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची, दिनांक–24/08/2025

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक–01 अगस्त,2025 को हुई कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर तृतीय मानसून पूरक सत्र में दिनांक –22 अगस्त, 2025 को सभा की सहमति हुई। सभा के कार्यक्रम अब निम्न रूप में लिये जायेंगेः–

(01) दिनांक 26 अगस्त,2025 (मंगलवार) को राजकीय विधेयक के उपरांत "राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति" पर दो घंटे की विशेष चर्चा होगी।

(02)–शेष कार्य दिवस के कार्य यथावत् रहेंगे।

विश्वासभाजन,
ह0/ 24/08/2025
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–09/2025–..3029../वि0स0,राँची,दिनांक–24/08/25

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखण्ड विधान सभा/ सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 24/08/2025
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–09/2025–3029../वि0स0,राँची,दिनांक–24/08/25

प्रतिलिपिः–अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/ 24/08/2025
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–09/2025–3029../वि0स0,राँची,दिनांक–24/08/25

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान–सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 24/08/2025
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा | तृतीय (मॉनसून) पूरक सत्र
संख्या–03 | शुक्रवार, दिनांक–22अगस्त, 2025 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 12.09 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रारम्भिक वक्तव्यः–

आसन द्वारा सदन को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि तृतीय मानसून सत्र के रूप में 01 अगस्त, 2025 से 07 अगस्त, 2025 तक के लिए आहूत किया गया था, परन्तु दिनांक–04 अगस्त, 2025 को आदरणीय शिबू सोरेन के निधन हो जाने के कारण सभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के सुसंगत नियम के तहत सदन नेता का प्रस्ताव के आलोक में दिनांक–22 अगस्त, 2025 से 28 अगस्त, 2025 तक के लिए तृतीय(मानसून) पूरक सत्र के रूप में पुनः आहूत किया गया है।

तृतीय(मानसून) पूरक सत्र के लिए निर्धारित औपबंधिक कार्यक्रम के अनुरूप यह सत्र चलेगा, जो आप सभी को प्रेषित किया जा चुका है। आज वित्तीय वर्ष–2025–26 के प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी का उपस्थापन तत्पश्चात् शोक–प्रकाश होगा। दिनांक–05 अगस्त, 2025 को पूर्व निर्धारित कार्य 25 अगस्त, 2025 को, इसी प्रकार 06 अगस्त, 2025 के लिए निर्धारित कार्य, 26 अगस्त, 2025 को एवं 07 अगस्त, 2025 के लिए निर्धारित कार्य, 28 अगस्त, 2025 को लिये जायेंगे। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण राजकीय कार्य एवं विधेयक पेश किये जायेंगे।

अंत में उन्होंने उम्मीद जतायी कि राज्य के जनआकांक्षाओं के हित में सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।

2.वित्तीय–कार्यः–

आसन की अनुमति से वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष–2025–26 के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आनेवाले भारों के वहन के लिए **4296,62,00,000/–(चार हजार, दो सौ छियानबे करोड़, बासठ लाख)** रूपये मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी सभा में उपस्थापित किया गया।

प्रथम अनुपूरक व्यय–विवरणी पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक–22 अगस्त, 2025 के 04.00 बजे अप० तक सभा सचिव को दे सकेंगे।

क्र० पृ० उ०

3.कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें:–

आसन की अनुमति से संसदीय कार्यमंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा दिनांक–01 अगस्त, 2025 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में "दिनांक–06 अगस्त, 2025 को राजकीय विधेयक के उपरांत राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर दो घंटे की विशेष चर्चा" के निर्णय को दिनांक–26 अगस्त, 2025 को राजकीय विधेयक के उपरांत लिये जाने का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

4.आसन से सूचना:–

आसन द्वारा सूचित किया गया कि सभा सचिवालय द्वारा षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों का स्थायी परिचय पत्र (**Permanent Digital I.D.Card**) बनाया जा रहा है जिसके लिए फोटोग्राफी की व्यवस्था वितरण पटल के समीप विधायक लॉबी में किया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने अबतक अपना फोटोग्राफी नहीं कराया है, वे अवश्य करा लें।

5.शोक–प्रकाश:–

आसन द्वारा शोक प्रकट करते हुए कहा गया कि चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच से दिशोम गुरू शिबू सोरेन, स्कूली शिक्षा मंत्री, रामदास सोरेन एवं पूर्व राज्यपाल, सत्यपाल मलिक सहित कई जाने–माने लोग गुजर गये।

स्वर्गीय गुरूजी के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए कहा गया कि वे वर्ष–1989, 1991, 1996, 2004, 2009 एवं 2014 में दुमका से लोकसभा सदस्य रहे। वर्ष–1998, 2002 तथा 2020 में राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष–2005, 2008 तथा 2009 में झारखण्ड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली। वर्ष–2004, 2005 तथा 2006 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री के कार्यभार को संभाला। गुरूजी झारखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान झारखण्ड स्वायत्त शासी परिषद् के अध्यक्ष रहे साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इनके जीवन संघर्ष, सामाजिक सुधार तथा आंदोलनों पर विस्तारपूर्वक विचार प्रकट किया गया।

स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री, रामदास सोरेन के निधन पर अपना शोक प्रकट करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन अत्यंत सहज, सरल, सौम्य और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी थे जो वर्ष–2009, 2019 तथा 2024 में घाटशिला विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ये कोल्हान क्षेत्र की राजनीति में विशिष्ट पहचान रखते थे साथ ही झारखण्ड आंदोलन के भी योद्धा थे।

पूर्व राज्यसभा सांसद एवं विभिन्न राज्य के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के निधन, भारतीय वायुसेना के वर्ष–1971 के भारत–पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन डी० के० पारूलकर, पद्मश्री बिनोद कुमार पसायत, प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान के स्थानीय संपादक रहे हरिनारायण सिंह तथा जम्मू–कश्मीर, हिमाचल–प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में बादल फटने से सैकड़ों लोगों के अकाल मृत्यु पर भी शोक व्यक्त किया गया।

तदुपरांत माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, श्री हेमन्त सोरेन, नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबू लाल मराण्डी, माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रदीप यादव, सुरेश पासवान, अरूप चटर्जी, सरयू राय, जनार्दन पासवान, निर्मल महतो एवं माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो ने भी ऊपर उल्लिखित विभूतियों के प्रति अपनी–अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए विचार रखे।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक–25.08.2025 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–22 अगस्त, 2025 ई०।

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।